द्वितीय माला, खण्ड ५२—अंक २६

मंगलवार, २१ मार्च, १९६१
३० फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५२ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ९८८ से ९९५, १००६, ९९६, ९९९, १००० से १००३ और १००५	२९८३–३००९
तारांकित प्रश्न संख्या ९९० के उत्तर में शुद्धि	२९८८–९०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८	३००९–१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९९७, ९९८, १००४, १००६ से १००८ और १०१० से १०१६	३०१०–११
अतारांकित प्रश्न संख्या १९९२ से २०४१ और २०४४ से २०५५	३०२६–४५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३०४५
बिहार और उड़ीसा में सीमेंट की कमी	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३०४५–४६
राज्य सभा से सन्देश	३०४६
औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक	३०४६
राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा-पटल पर रखा गया।	
अनुदानों की मांगें	३०४७–३११०
स्वास्थ्य मंत्रालय :	३०४७–९३
श्री कोडियान	३०४७–४९
श्री अब्दुल लतीफ़	३०४९–५१
डा० सुशीला नायर	३०५१–५२
डा० मेलकोटे	३०५२–५४
श्री यादव नारायण जाधव	३०५४–५७
श्रीमती लक्ष्मी बाई	३०५७–६०
श्री राधे लाल व्यास	३०६८–७१
श्रीमती उमा नेहरू	३०७१–७३
श्री जगदीश अवस्थी	३०७३–७७

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी दस्य न वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, २१ मार्च, १९६१

३० फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निर्यात गृह

+

†*९८८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात का संवर्धन करने के लिए निर्यात गृह स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : निर्यात गृहों के दोनों प्रर्वतकों से संथा के अन्तर्नियम और सीमानियम प्राप्त हो गए हैं। उनको जांच किए जाने के बाद उपयुक्त संशोधनों के लिए प्रवर्तकों को लौटा दिया गया है। प्रवर्तकों से समवायों को समवाय अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर कराने के लिए कहा गया है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** मान्यता दिए जाने की शर्तें क्या हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** अनेक शर्तें हैं। मुख्य शर्त यह है कि लाभ का ५० प्रतिशत संवर्धन कार्य के लिए रक्षित किया जाना चाहिए और दूसरी शर्त यह है कि एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के एक सार्थ में १० प्रतिशत से अधिक अंश नहीं होंगे।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या कोई और प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

49(Ai) LSD—1.

†**श्री सतीश चन्द्र** : जैसा मैंने बताया था दो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं और हमने संथा के अन्तर्नियमों को निर्यात गृहों की मान्यता के लिए विनिहित शर्तों के अनुरूप बनाने के लिए कुछ संशोधन सुझाए हैं । और कोई प्रार्थनापत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : वे दो प्रवर्तक कौन से हैं जिन्होंने अभी तक प्रार्थनापत्र दिए हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : एक निर्यात-गृह का संवर्धन बम्बई के श्री रुइया कई अन्य पक्षों के साथ मिलकर कर रहे हैं और दूसरे का श्री करार द्वारा किया जा रहा है ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और प्रस्तावित निर्यात गृहों के बीच समन्वय रहेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : निर्यात संवर्धन परिषदें संवर्धन कार्य करती हैं ये निर्यात-गृह वास्तविक व्यापार करेंगे, विदेशों में भारतीय माल का प्रचार करने का प्रयत्न करेंगे, हमारी परम्परागत वस्तुओं के लिए नए बाजार ढूंढेंगे और नई चीजों की विदेशों में बिक्री बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और स्थापित किए जाने वाले निर्यात-गृहों के बीच समन्वय रहेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : निर्यात-गृह निर्यात संवर्धन परिषद का सदस्य होगा यदि वह उसी वस्तु का व्यापार करता है जिससे वह परिषद संबंधित है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : क्या ये निर्यात-गृह विदेशी खरीदारों के साथ सीधे लिखा पढ़ी करेंगे अथवा सरकारी अभिकरणों के माध्यम से ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : वे विदेशी सार्थों के साथ सीधे व्यापार कर सकते हैं ।

†**श्री त्यागी** : क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात किए जाने वाले माल में से कोई चीजें इन निर्यात-गृहों को हस्तान्तरित कर दी जायेंगी और क्या वे राज्य व्यापार निगम के एजेण्टों के रूप में भी काम करेंगे ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : अभी यह उद्देश्य नहीं है । अभी केवल इतना उद्देश्य है कि वे नए बाजार ढूंढें ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि कितने एक्स्पोर्ट हाउसेज बनाने की योजना है और उन पर क्या व्यय आने वाला है ।

श्री सतीश चन्द्र : मैंने अभी जवाब दिया था, माननीय सदस्य शायद यहां थे नहीं :

अध्यक्ष महोदय : कुल योजना कितने एक्स्पोर्ट हाउसेज के बारे में है ?

श्री सतीश चन्द्र : दो एक्स्पोर्ट हाउसेज के लिये ऐप्लिकेशन्स आई हैं । आगे जितनी आयेंगी, उन पर हम गौर करेंगे ।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या हथकरघे के कपड़े के निर्यात के मामले में उनका यहां प्रतिनिधित्व होगा अथवा वे अलग से उसका कार्य करेंगे ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : हथकरघे का कपड़ा तो अब निर्यात की परम्परागत चीज बन गया है और इस प्रयोजन के लिए अन्य अभिकरण भी हैं । एक हथकरघा वस्त्र सहकारी विपणन समिति है जो हथकरघे के वस्त्र का परम्परागत बाजारों को निर्यात का कार्य करती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह सब सूचना नहीं चाहते हैं। वह केवल इतना जानना चाहते हैं कि क्या निर्यात गृह हथ करघे के कपड़े का निर्यात भी करेंगे ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यदि वे नया क्षेत्र ढूंढ़ते हैं तो वैसा कर सकते हैं परन्तु हमने इसका उपबन्ध नहीं किया है ।

भारी विद्युत् संयंत्र

†*९८९.
श्री अ० मु० तारिक :
श्री दी० चं० शर्मा
श्री उस्मान अली खां :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री त० ब० विट्ठलराव:
श्री अ० क० गोपालन :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वारियर :
श्री कोडियान :
श्री पुन्नूस :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हेमराज :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री हेम बरुआ :
श्री रामी रेड्डी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री आसर :
श्री पांगरकर :
श्री नंजप्प :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से और प्रविधिक प्रतिनिधिमंडल की सलाह से, जो इन दोनों देशों में गया था, दो भारी विद्युत संयंत्र स्थापित करने की परियोजनाओं के ब्योरे को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह परियोजनायें इस समय किस प्रक्रम पर हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). अभी तक नहीं श्रीमान् । दोनों परियोजनाओं के ब्यौरे को अंतिम रूप देने के लिए विदेशी परामर्शदाताओं के साथ चर्चा करने और उनके लिए उपयुक्त स्थान की सिफारिश करने के लिए निर्मित समिति द्वारा दो या तीन महीनों के समय में सरकार को अपनी सिफारिशें पेश किए जाने की आशा है ।

श्री अ० मु० तारिक: मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कमेटियां सूटेबल लोकेशन्स के बारे में अपनी रिकमेन्डेशन्स करेंगी उन के पेशे नजर कौन कौन सी लोकेशन्स हैं और उन के बारे में कब तक फैसला हो जायेगा ।

श्री मनुभाई शाह: अभी तो हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है । इस लिये मैं माननीय सदस्य को कोई इन्फार्मेशन नहीं दे सकता हूं ।

श्री अ० मु० तारिक: मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां तक कमेटी की रिपोर्ट का ताल्लुक है क्या वजारत ने अपने नुमाइन्दों को लोकेशन के बारे में कोई हिदायत की है ? और अगर ऐसा है तो वे कौन कौन सी जगहें हैं ?

श्री मनुभाई शाह: हम ऐसी कोई हिदायत नहीं करते हैं । उन को साइट देखनी पड़ती है, सूटेबिलिटी देखनी पड़ती है, टेक्निकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी**: क्या स्थान का निश्चय हो गया है और यदि नहीं तो इन संयंत्रों की स्थापना के संबंध में कौन कौन से स्थानों का विचार किया जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं । प्रविधिक समिति इसकी जांच करेगी और परियोजनाओं के विस्तार क्षेत्र के संबंध में विदेशी विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके तथा वास्तविक स्थलों की जांच करके उपयुक्त स्थानों के संबंध में अपनी सिफारिशें करेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: यह प्रविधिक समिति जिन देशों को गई थी उनके साथ चर्चा के लिए निर्दिष्ट बातें क्या थीं ?

†**श्री मनुभाई शाह**: समिति को इन बातों पर विचार करना था कि किस प्रकार के टरबाइन, जेनेरेटर तथा अन्य भारी विद्युत संयंत्र, डीजल इंजनों तथा बायलरों को सम्मिलित करते हुए, जिनकी तापीय तथा जलविद्युत स्टेशनों के लिए आवश्यकता है, यहां निर्मित किए जाने चाहिएं और यह भी कि प्रविधिक सहयोग का स्वरूप क्या हो तथा वे देश किन शर्तों तथा निबन्धनों के अन्तर्गत सहयोग प्रदान करेंगे ।

†**श्री अब्दुल सलाम**: क्या चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधिमंडल ने मद्रास राज्य में तिरुचिरापल्ली का दौरा किया था और उस स्थान को भारी विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए अत्यन्त उपयुक्त पाया था और यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है । उन्होंने अनेक स्थानों का दौरा किया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : अन्वेषण के लिये किन किन स्थानों के सुझाव आये थे और उन स्थानों की जांच कब तक पूरी हो जाएगी ?

श्री मनुभाई शाह : मैं ने बतलाया कि जहां तक स्थान का सवाल है, अलग अलग स्टेट्स में जांच करनी पड़ती है।

†श्री म० ला० द्विवेदी : इतने स्थानों की जांच की ही जा चुकी है। मुझे इसकी व्यक्तिगत जानकारी है और फिर भी मुझ से यह कहा जा रहा है कि कुछ नहीं किया गया है।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं। प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी ही होगी। माननीय सदस्य तथा प्रत्येक नागरिक सुझाव देने के हकदार हैं और उन पर कच्चे माल और विभिन्न अन्य चीज़ों की उपलब्धता के अनुसार प्रविधिक समिति द्वारा विचार किया जाना होता है। इस प्रश्न को इस तरह उठाने से कोई लाभ नहीं है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या इस प्रविधिक समिति ने केवल उन्हीं स्थानों की जांच की हैं जिनकी सरकार द्वारा सिफारिश की गई थी अथवा वह उनके अतिरिक्त भी कहीं गई है ?

†श्री मनुभाई शाह : वे स्वयं भी भारत के स्थान-वृत्त और इस प्रकार की भारी उद्योग परियोजना के लिए उपयुक्तता का अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें व्यक्तियों, नगरनिगमों और राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तथा वे उन पर विचार करते हैं और संभावित स्थानों का निर्णय करते हैं और तब मामले की जांच करते हैं।

†श्री रामी रेड्डी : क्या अधिक राज्यों तथा प्रादेशिक विचारों को संतुष्ट करने की दृष्टी से इन संयंत्रों को एक से अधिक इकाइयों में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मैं सभा में अनेक बार स्पष्ट कर चुका हूं, इन भारी उद्योगों के सम्बन्ध में हम परियोजना के आर्थिक लाभ के अधीनस्थ सामान्यतः यह प्रयत्न करते हैं कि उनकी स्थापना का लाभ अधिकाधिक स्थान उठा सकें। इसलिये परियोजना का आकार क्या होगा और क्या उसको एक से अधिक इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है आदि बातों का निर्णय प्रविधिक समिति द्वारा किया जाना होगा और तब वह सरकार से अपनी सिफारिशें करेगी ताकि योजना आयोग और सरकार में उस पर ठीक तरह विचार किया जा सके।

श्री विभूति मिश्र : अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जो बाहर के लोग आयेंगे वह जांच पड़ताल करेंगे और तब बतलायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने अपने मन में जांच पड़ताल करके कोई स्थान निश्चित किया है कि फलां जगह इसको लगाया जाएगा ?

श्री मनुभाई शाह : नहीं हमने अभी कोई स्थान निश्चित नहीं किया। हमारी टैकनिकल कमेटी सी लिये है कि वह फारिन कनसलटैंन्ट्स से काफी पूछताछ करे। डिसाइड करना तो सरकार के हाथ में है, फारिन कंसलटैन्ट्स के हाथों में नहीं है।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या उत्तर प्रदेश में भी किसी स्थान की जांच की गई है ?

†अध्यक्ष महोदय : श्री रामकृष्ण गुप्त :

†श्री रामकृष्ण गुप्त : कारखाने की स्थापना के लिये कौन कौनसे राज्यों से प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं ।

†**श्री कोडियान** : क्या इस सन्यन्त्र की स्थापना के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति की राय के अतिरिक्त राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन का भी विचार किया जाएगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रादेशिक पिछड़ेपन, परियोजना की आर्थिक उपादेयता और स्थान की उपयुक्तता आदि अनेक बातों का विचार किया जाएगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण का भी ।

†**श्री पहाड़िया** : क्या यह सच है कि विशेषज्ञ समिति ने राजस्थान सरकार के अनुरोध पर गंगापुर सिटी का दौरा किया था और उन्होंने मन्त्री जी से यह शिकायत की थी कि वे उस स्थान को स्थानीय प्राधिकारियों और जनता की उपस्थिति में नहीं देख सके ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने मन्त्री जी से उस स्थान की जांच स्थानीय जनता की उपस्थिति में करने का अनुरोध किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ये बातें विभिन्न स्थानों के ब्यौरे से सम्बन्धित हैं । सरकार जिन स्थानों का उल्लेख करती है उन पर प्रविधिक समिति विचार करती है यदि वह उसे उपयुक्त समझती है तो उसका दौरा करती है और समस्त परीक्षण करती है ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या माननीय मन्त्री विस्तार में यह बताने की कृपा करेंगे कि संयंत्र की स्थापना के लिये किन किन बातों की आवश्यकता होती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं प्रविधिक विशेषज्ञ नहीं हूं । इसलिये यह बताना सम्भव नहीं है ।

श्री अ० मु० तारिक : क्या यह दुरुस्त है कि रियासत जम्मू काश्मीर की गवर्नमेंट ने भी अपनी रियासत में इस तरह के प्लाण्ट के लगने की सिफारिश की है, और अगर की है तो क्या यह टीम वहां भी जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : जम्मू काश्मीर सरकार उनको इनवाइट करे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या माननीय मन्त्री के उत्तर का मतलब यह है कि जिस तरह हम चल रहे हैं उस चाल से तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में प्रारम्भिक कार्य भी शुरू नहीं किया जाएगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : नहीं श्रीमान् ! मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्य तुरन्त प्रारम्भ हो जाएगा ।

योजना आयोग का पुनर्गठन

†९९०. { **श्री दी० चं० शर्मा**
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार योजना **आयोग** के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निश्चय किया गया है ; और

(ग) किन परिस्थितियों के कारण इस प्रश्न पर विचार किरना आवश्यक हो गया ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) से (ग). कार्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों की आवश्यकताओं और प्रबन्ध का पुनरीक्षण समय समय पर किया जाता है और थोड़ा बहुत पुनर्गठन निरन्तर चलता रहता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए योजना आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाने वाली है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने उसे कार्यालय स्थापना के बारे में समझा था। अब वह जानना चाहते हैं कि क्या सदस्यता भी बढ़ाई जाने वाली है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : यह प्रधान मन्त्री की जिम्मेदारी है और यह निर्णय करना उन्हीं के हाथ में है कि सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए अथवा नहीं। मैं उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। वह कह सकते हैं कि मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

†**श्री तिरुमल राव** : माननीय उपमन्त्री के कहने का तात्पर्य यह है कि यह प्रश्न प्रधान मन्त्री से पूछा जाना चाहिए। वह यह नहीं कह सकते हैं कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसलिये उन्हें यह कहना चाहिये कोई प्रस्ताव नहीं है अथवा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मेरा निवेदन है कि यदि मन्त्रिमण्डल की सदस्य संख्या बढ़ाई जानी है तो इसका उत्तर प्रधान मन्त्री के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं दे सकेगा।

†**अध्यक्ष महोदय**: शान्ति, शान्ति। जो व्यक्ति किसी मामले के सम्बन्ध में उत्तर देने की जिम्मेदारी लेता है उसे उससे सम्बन्धित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार रहना चाहिये। वह यह कह सकते हैं कि "ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है" अथवा "एक प्रस्ताव है"। अन्यथा मैं आगे से आयोजना सम्बन्धी प्रश्न सभा में पूछे जाने की अनुमति नहीं दूंगा। यह एक संगत प्रश्न है। कर्मचारियों की समय समय पर संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव है। इसलिए माननीय सदस्य यह पूछ सकते हैं कि क्या सदस्य संख्या भी बढ़ाई जाएगी। यदि यह उत्तर दिया जाता है कि प्रधान मन्त्री से पूछिये तो माननीय मन्त्री को इस प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के हकदार नहीं हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य का इस प्रकार का प्रश्न पूछना सर्वथा उचित है और जैसाकि आपने संकेत किया है हमारे लिये भी यह सर्वथा उचित है कि हमारे पास जो सूचना हो वह दे दें और यदि हमारे पास सूचना न हो तो वैसा कह दें।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: पहले एक पूर्णकालिक महानुभाव योजना आयोग के उप-सभापति हुआ करते थे। क्या योजना आयोग पुनः वैसा करने जा रहा है अथवा एक अंशकालिक व्यक्तिगत सभापति बनाया जाएगा ?

†**श्री नन्दा** : वर्तमान व्यवस्था जारी है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कुछ माननीय सदस्य उठे —

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : उन्होंने कहा कि वह जारी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका तात्पर्य यही है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन पर इस वक्त हर साल क्या खर्च होता है और जब आप रिआरगेनाइजेशन करेंगे तो क्या इसमें कुछ कमी की जाएगी ?

श्री श्या० नं० मिश्र: प्लानिंग का जो इस साल का बजट एस्टीमेट था वह ५२ लाख ४४ हजार का था और पिछले साल का रिवा ज्ड एस्टीमेट ४७ लाख ८३ हजार का है।* माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या इसमें कमी करने की कुछ बात की जा रही है या नहीं, तो जहां तक हम लोग कमी कर सकते हैं उनकी कोशिश करते हैं । लेकिन यह जाहिर है कि कमीशन का काम और भी ज्यादा जोरदार बनाना होगा ोर इसलिए कुछ ज्यादा कमी करने की गुंजाइश नहीं मालूम होती ।

श्री म० ला० द्विवेदी: इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अखबारों में ऐसी स्कीम प्रकाशित हुई है कि प्लानिंग कमीशन रिआरगेनाइज होने जा रहा है । ये बातें बाद में सच निकलती हैं लेकिन यहां सदन में उनका उत्तर सही नहीं दिया जाता । मैं जानना चाहता हूं कि इस किस्म की खबरें फिर अखबा ों में कैसे फैल जाती हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इस मामले में काफी कह चुके हैं । समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रत्येक बात पर विचार नहीं किया जा सकता ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : कभी कभी वे बाद में सच निकलती हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उपसभापति, कर्मचारियों आदि के सम्बन्ध में कमी किए जाने के बारे में अनेक प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं । प्रत्येक प्रश्न पूछा जा चुका है । अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : परन्तु कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रतीक्षा करें । जब सभा में योजना आयोग के बारे में चर्चा होगी तब वे अपने सुझाव दे सकते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : तब सम्भव है हमें बोलने का मौका न मिले ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य को मौका न मिल सके तो वह किसी दूसरे सदस्य को सा कहने के लिये कह सकते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं एक आधारभू ा प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अने ा प्रश्नों ी अनुमति दे चुका हूं । अग ा प्रश ा ।

†मूल अंग्रेज़ी में

*योजना उपमन्त्री द्वारा बाद में इस उत्तर में शुद्धि की गई ।

तिब्बत में भारतीय व्यापारी

९९१. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रधान मंत्री** ३० नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या **५६९** के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बत में भारतीय व्यापारियों की कठिनाइयों को दूर कराने के बारे में तिब्बत के स्थानीय अधिकारियों और चीन सरकार से जो अभ्यावेदन किये जा रहे थे, क्या इस बीच उनका कोई परिणाम निकला है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस वर्ष व्यापार का जो सीजन शीघ्र शुरू होने वाला है, उसमें भारतीय व्यापारियों की कठिनाइयों को दूर कराने या कम कराने के लिये कौन से विशेष कदम, यदि कोई हों तो, उठाए जा रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत सरकार राजनयिक सूत्रों के द्वारा भारतीय व्यापारियों की कठिनाइयां दूर करने के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रही है।

श्री भक्त दर्शन: श्रीमन पिछली बार भी इस प्रश्न के उत्तर में यही बताया गया था और आज भी यही बताया गया है कि पत्र व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन जैसाकि आशंका है परिणाम नहीं निकल रहा है। आजकल मैं तिब्बत के व्यापार का सीजन शुरू होने वाला है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह अपने व्यापारियों को इस सम्बन्ध में क्या राय देना चाहते हैं कि इन संकटों के समय भी उन को वहां जाना चाहिये या नहीं जाना चाहिये ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री की ओर से): माननीय सदस्य को मालूम है कि चीन के साथ हमारे कैसे सम्बन्ध हैं और चीन की क्या एटीट्यूड है और इसीलिये हमारे प्रयत्नों से क्या हो सकता है वह भी उन को मालूम होना चाहिये। जिन व्यापारियों को वहां जाना है वे सारी जोखिम उठा कर ही वहां जा सकते हैं।

†**श्री रंगा** : यह कठिनाई कितने समय से महसूस की जा रही है और इस मामले के सम्बन्ध में हमारी सरकार और चीनी सरकार के बीच कब से लिखा पढ़ी चल रही है ? क्या सरकार दोनों देशों के बीच हुए पत्र-व्यवहार को सभा-पटल पर रखने को तैयार है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह १९५९ से चल रहा है।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार वह पत्र-व्यवहार सभा-पटल पर रखेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं जानता कि संसद् के आभिलेखों में इस प्रकार के पत्र रखना ठीक होगा। परन्तु मुझे कोई आपत्ति नहीं है और माननीय सदस्य बहस के दौरान उस की चर्चा कर सकते हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार यह बतायेगी कि भारतीय व्यापारियों को तिब्बत में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा जिन के सम्बन्ध में उन्हों ने अभ्यावेदन किया है उन की वास्तविक कठिनाइयां क्या हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : उन की कठिनाइयां ये हैं :—

(१) चलने फिरने पर प्रतिबन्ध ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(२) चीनी मुद्रा चालू किये जाने के कारण मुद्रा की कठिनाइयां ;

(३) विनिमय सुविधाओं का अभाव और बैंक कमीशन की अधिकता ;

(४) ऋणों की वापसी न होना ;

(५) तिब्बतियों पर भारतीय व्यापारियों को माल बेचने पर पाबन्दी ;

(६) भारत ले जाई जाने वाली समस्त वस्तुओं के लिये निर्यात परमिट ; और

(७) आयात शुल्कों और आयकर का लगाया जाना जिन की वसूली पीछे से अर्थात् १ जनवरी, १६६० से की जायेगी ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि भारतीय व्यापारियों पर बहुत अधिक कर लगाये जा रहे हैं तथा उन की वसूली १६५४ से करने का विचार किया जा रहा है ? व्यापार बन्द होने का यही कारण है । अतः क्या सरकार चीनी सरकार के साथ कर कम कराने की बातचीत करेगी ताकि व्यापार में उत्पन्न अवरोध खत्म हो सके ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस समय उन से इस प्रकार की आशा नहीं की जा सकती है ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या हमारी सरकार ने भी चीनी व्यापारियों पर इसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह भी एक अन्य अवसर पर पूछा जा चुका है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : हम अपनी परम्परा के अनुसार आचरण करते हैं और वे अपनी परम्परा के अनुसार आचरण करते हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : तिब्बत में चीनी आधिपत्य के पूर्व कितने भारतीय व्यापारी थे तथा अब उन की संख्या कितनी है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, भारतीय व्यापारियों की एक शिकायत यह भी है कि पश्चिमी तिब्बत में बार्टर सिस्टम से व्यापार होता रहा है अर्थात् यहां से कपड़ा, चीनी और अन्य चीजें ले जाते रहे हैं और उन के बदले में वहां से ऊन लाते हैं लेकिन इस वर्ष यह प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है कि कपड़ा और अन्य सामान वे वहां न ले जा सकें तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार उन को इस तरह की सुविधायें देने के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : आगामी व्यापार के दिनों के लिये चीनी सरकार तथा तिब्बत के स्थानीय प्राधिकारियों से भारतीय व्यापार आयुक्त को पश्चिमी तिब्बत का दौरा करने के लिये सुविधायें देने का अनुरोध किया जा रहा है ताकि वह हमारे व्यापारियों को आवश्यक सहायता दे सकें ।

†**श्री रंगा** : क्या १६५४ में हुए करार में यह भी था कि उन की परम्परा कुछ भी हो और वे हमारे व्यापारियों के मार्ग में कितनी भी बाधायें पेश करें हम अपनी परम्परा के अनुसार आचरण करेंगे और उन के व्यापारियों के लिये कोई अड़चनें नहीं खड़ी करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अनेक बार कह चुका हूं कि प्रश्नों के घंटे में नीतियों की चर्चा नहीं की जानी चाहिये। माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या सरकार अपनी नीति जारी रखेगी। इस का उत्तर माननीय मंत्री दे चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो नीति में परिवर्तन नहीं किया जायगा।

†**श्री रंगा** : हम नीति नहीं बदलेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हों ने ऐसा ही कहा है।

†**श्री रंगा** : परन्तु करार में ऐसा तो नहीं कहा गया है कि वे एक तरह का आचरण करें और हम दूसरी तरह का ? इस का परम्परा से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार कोई प्रतिबन्ध लगाने को तैयार नहीं है। यदि माननीय सदस्य वैसा चाहते हैं तो उन्हें अधिक शक्ति संचित कर के सरकार को इस मामले में पराजित करना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा निवेदन है कि हम ने सूचना मांगी थी और आप ने ठीक कहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सूचना दे दी गई है।

†**श्री हेम बरुआ** : सूचना देने के बदले हमें नैतिक शिक्षायें दी जा रही हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नैतिक उपदेश की कोई बात नहीं है। मुझे उठाये गये प्रश्न का उत्तर देना था। मैं इस प्रकार के प्रश्नों की अनुमति हमेशा नहीं देता रहूंगा। मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि मैं इन प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा और यदि माननीय सदस्य उसे नैतिक उपदेश समझते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा तात्पर्य आप से नहीं था वरन् सभा के कार्यकारी नेता से था।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हों ने इतना ही कहा है कि हमारा अपना आदर्श है इसलिये हम उस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हमारा राज्य प्रजातांत्रिक है। यदि सभा का मत भिन्न है तो वह सरकार से वैसा कह सकती है और सरकार को सभा का निर्णय मानना होगा।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : माननीय सदस्य नीति उपदेशों से इतना चिढ़ते क्यों हैं ?

कोचीन पत्तन पर गोदी श्रमिक योजना

†*९९२. **श्री कोडियान** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोचीन पत्तन पर गोदी श्रमिक योजना को क्रियान्वित करने की दिशा में और क्या प्रगति हुई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : संबंधित मज़दूरों की डाक्टरी हो चुकी है और बोर्ड द्वारा निश्चित की गई संख्या १५७८ में १५३६ मज़दूरों को पंजीयन करने के लिये अस्थायी तौर चुन लिया गया है।

†**श्री कोडियान** : योजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री आबिद अली** : हम ने योजना पूरी कर ली है। हम ने गोदी मजदूर बोर्ड तथा प्रशासनिक संस्था बना दी है। वह अपना काम कर रहे हैं। वहीं प्रारंभिक काम पूरा करेंगे और योजना को आगे बढ़ायेंगे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री कोडियान : योजना के अधीन छांटे गये मजदूरों में क्या कोयला लादने और उतारने वाले मजदूर भी शामिल हैं ।

†श्री आबिद अली : यह मज़दूर सभी प्रकार के काम करते हैं । इस समय काम करने वालों मजदूरों की संख्या, योजना के अधीन अपेक्षित मजदूरों से इस समय लगभग दुगनी है । इसलिये एक सामान्य भावना यह है कि दूसरे बेकार नहीं हो जाने चाहियें और कुछ और समय तक वर्तमान व्यवस्था ही बनी रहनी चाहिये ।

†श्री कोडियान : क्या योजना के अधीन बम्बई और मद्रास के गोदी मजदूरों के पारिश्रमिकों से इन मज़दूरों के पारिश्रमिकों में कोई अन्तर है ?

†श्री आबिद अली : जी हां । अन्तर है ।

†श्री तंगामणि : माननीय मंत्री ने बताया कि १५३६ मजदूरों का पंजीयन होने जा रहा है । यह पंजीयन कब तक पूरा हो जायेगा ? शेष ४००० आकस्मिक मजदूरों का क्या होगा ?

†श्री आबिद अली : इतने मजदूर नहीं हैं । लगभग ३,३२७ से कुछ ही अधिक हैं । मैं ने बताया है कि ऐसी भावना है कि वर्तमान प्रणाली ही चालू रहेगी जिस से योजना के लागू होने के बाद अधिक घोषित किये गये मज़दूर कठिनाई में न पड़ें । मजदूरों के प्रतिनिधियों तथा मालिकों का ऐसा ही विचार है । हम योजना को शीघ्रता से लागू करना चाहते हैं ।

'इन्सटेन्ट' चाय

†*९९३. श्री नंजप्प : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'इन्सेन्टेन्ट' (तत्काल तैयार हो जाने वाली) चाय के उत्पादन के लिये एक परियोजना चालू करने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) क्या 'इन्सटेन्ट' चाय के उत्पादन के लिये भारतीय चाय का उपयोग किया जाता है;

(ग) 'इन्सटेन्ट' चाय का उत्पादन और इस्तेमाल किन देशों में किया जाता है ; और

(घ) इस देश में 'इन्सटेन्ट' चाय के उत्पादन से क्या फायदा और वित्तीय लाभ हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) भारत में 'इन्सटेन्ट' चाय के उत्पादन के लिये कोई ठोस प्रस्ताव नहीं बनाया गया है ।

(ख) कोई निश्चित जानकारी नहीं है ।

(ग) 'इन्सटेन्ट' चाय अमरीका में अधिक बनती है तथा उस की खपत भी वहीं अधिक होती है । कनाडा और ब्रिटेन में भी स्थानीय रूप से खपत के लिये इस का उत्पादन हो रहा है ।

(घ) 'इन्सटन्ट' चाय का कुछ देशों में प्रचलन बढ़ रहा है । ऐसी योजना के वित्तीय पहलू का इतनी जल्दी अन्दाज़ा नहीं लगाया जा सकता है ।

†श्री रघुनाथ सिंह : हम जानना चाहते हैं कि यह 'इन्सटेन्ट' चाय क्या होती है ?

†श्री सतीश चन्द्र : 'इन्सटेन्ट' चाय, चाय का सत निकाल कर बनाई जाती है । यह पानी में एक दम घुल जाती है । गर्म पानी में घोलने पर इसमें से कुछ नहीं बच पाता है ।

†श्री त्यागी : क्या इस पर उत्पादन शुल्क नहीं लगता है ?

†श्री सतीश चन्द्र : यह हमारे देश में नहीं बनाई जाती है । कुछ अन्य देशों में इसको बनाया जाता है और माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या इसको भारत में बनाने का कोई प्रस्ताव है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नंजप्प** : अमरीका की चाय परिषद में हमारे प्रतिनिधि की क्या सलाह है ? क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मामले पर विचार किया जा चुका है। हमने भी भारत में कुछ अनुसंधान किए हैं। 'इन्सटेन्ट' चाय बनाना संभव है और तथ्य यह है कि तीन अथवा चार वर्षों में यह बनाई जा रही है परन्तु यह अभी प्रचलित नहीं हुई है। अमरीका में जो लोग ठंडी चाय पीते हैं वह 'इन्सटेन्ट' चाय को पानी में डालकर पीते हैं। अमरीका में यह बनाई जाती है। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि भारत में इसको बनाया जा सकता है अथवा नहीं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : अमरीका में 'इन्सटेन्ट' चाय की खपत बढ़ जाने के कारण क्या हमारा वहां के लिए चाय का निर्यात कम हो गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : 'इन्सटेन्ट' चाय के बनने के कारण निर्यात कम होने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि 'इन्सटेन्ट' चाय की पत्तियों से बनाई जाती है। 'इन्सटेन्ट' चाय बनाने के लिए चाय की पत्तियां कच्चा माल है। इसलिए निर्यात पर इसका कोई असर नहीं प ता है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : 'इन्सटेन्ट' चाय बनाने के लिए कितने प्रतिशत भारतीय चाय का उपयोग किया जा रहा है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। भारत में अमरीका को २५० लाख पौंड चाय का निर्यात होता है तथा अन्य देशों से भी चाय का निर्यात वहां किया जाता है। जब चाय अमरीका में पहुंचती है तो सब मिलकर एक हो जाती है। हम नहीं जानते कि 'इन्सटेन्ट' चाय बनाने के लिए कौन सी चाय का इस्तेमाल किया जाता है ?

†**श्री नंजप्प** : लंका में 'इन्सटेन्ट' चाय नहीं बनती है। क्या इसका हमारे निर्यात व्यापार पर कोई असर नहीं होगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी नहीं।

सिन्दरी उर्वरक

+

†*९९४. **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री मुरारका :
श्री नथवानी :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री रामी रेड्डी :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री तंगामणि :
श्री बाल्मीकी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १९६० तक सिन्दरी उर्वरक कारखाने के उत्पादन में जो कमी हो रही थी, वह उसके पश्चात् दूर हो गयी है ;

(ख) अक्तूबर १९६० के पश्चात् उत्पादन में कितनी प्रगति हुई है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सिन्दरी में उर्वरकों के उत्पादन की मौजूदा लागत क्या है ;

(घ) उर्वरकों की बिक्री किस मूल्य पर की जाती है ; और

(ङ) अन्य कारखानों की तुलना में इस कारखाने में उत्पादन-लागत कितनी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). संभवतया माननीय सदस्य सिंदरी के पुराने संयंत्र का जिक्र कर रहे हैं जिसका उत्पादन १९५९ से कम हो गया है । अक्तूबर १९६० से फरवरी १९६१ तक अमोनियम सल्फेट का मासिक उत्पादन २७,६४६ मीट्रिक टन है जब कि पहले पांच वर्षों का २२,७२७ मीट्रिक टन था ।

(ग) और (घ). प्रशुल्क आयोग ने लागत की उचित जांच करने के बाद कारखाने के मूल्य प्रति लांग टन ३०० रुपये (प्रति मीट्रिक टन २९५.२७ रुपये) निश्चित की है । इसमें कुल पूंजी का १० प्रतिशत लाभ शामिल है

(ङ) व्यापार के लिए अमोनियम सल्फेट का निर्माण करने वाले दूसरे कारखाने एफ० ए० सी० टी० अल्वाई के कारखाने के मूल्य प्रति मीट्रिक टन ३५० रुपये हैं ।

†**श्री अजीत सिंह सरहदी** : विवरण में केवल अल्वाई के कारखाने के मूल्य बताये गये हैं । हाल में ही नंगल में उर्वरकों का उत्पादन आरंभ हो गया है परन्तु वहां के मूल्य नहीं बताये गये हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : नंगल में अमोनियम सल्फेट नहीं बनाई जाती है । इसमें एक भिन्न वस्तु कैलसियम अमोनियम नाइट्रेट बनाया जाता है ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह सच है कि एक टैक्निकल दल पुराने संयंत्र की जांच करने गया था और उसने बताया है कि इसका अधिकांश भाग अप्रचलित हो गया है और उसको पूरी तरह बदला जाना चाहिए ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह अप्रचलित नहीं है । यह केवल इसीलिए अप्रचलित है कि इसमें प्राकृतिक गैस से उर्वरक नहीं बनाये जा सकते हैं । कोयले की भट्टी से गैस बनाने के संयंत्र के रूप में यह पूरी तरह काम करता है । यह सच है कि अतिरिक्त क्षमता आरंभ में नहीं उपलब्ध की गई थी । इसी कारण इसको भारी मरम्मत करने की आवश्यकता है ।

†**श्री मुरारका** : सभा को प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से मालूम होता है कि इस संस्था के कुल लाभ १९५८-५९ में १५९ लाख रुपये थे परन्तु १९५९-६० में २५ लाख रुपये गिर गए हैं । विक्रय मूल्य कम न होने पर भी इन लाभों के कम होने का क्या कारण है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : कम उत्पादन ।

†**श्री मुरारका** : अमोनियम सल्फेट का उत्पादन ९०,००० टन गिर गया है । यह उत्पादन क्यों कम कर दिया गया तथा इस उत्पादन की कमी से कितनी हानि हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सतीश चन्द्र : सिंदरी में कारखाने के मूल्य ३०० रुपये है। प्रशुल्क आयोग ने हाल में ही इसको निश्चित किया है। उत्पादन की कमी में ३०० रुपये की गुणा करने से उत्पादन के मूल्य की कमी का पता लग जायेगा।

†अध्यक्ष महोदय : वह उत्पादन में कमी के कारण जानना चाहते हैं।

†श्री त्यागी : उत्पादन क्यों कम हुआ है ?

†श्री सतीश चन्द्र : इस संबंध में कितने ही प्रश्नों के उत्तर दिये जा चुके हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कारखाने की भारी मरम्मत होनी चाहिए और यह काम प्रारंभ कर दिया गया है। ८ जेनेरेटर तथा ८ कम्प्रेशर हैं। इनकी एक के बाद एक मरम्मत की जा रही है। उतना ही उत्पादन कम हुआ है। दूसरा कारण यह था कि कुछ समय तक सिंदरी को घटिया किस्म का कोयला दिया गया था। जब नये इस्पात संयंत्र चालू हो गये तभी इस्पात संयंत्रों के स्थान पर सिंदरी को अच्छा कोयला भेजा गया था। दूसरी बात यह है कि पहले हमको राजस्थान से बिहार तक के लिए बन्द वैगन जिप्सम ले जाने के लिए मिलते थे जबकि अब खुले वैगन मिलते हैं। इस कारण जिप्सम में नमी बढ़ गई और उसका रखा जाना कठिन हो गया। इन सभी कठिनाइयों को दूर किया गया और हमें आशा है कि जब पूरे संयंत्र की मरम्मत हो जायेगी तो पहले वाला उत्पादन होने लगेगा।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्राडक्शन के गिरने से कास्ट आफ प्राडक्शन कितना प्रतिशत बढ़ा ?

श्री सतीश चन्द्र : अभी टेरिफ कमिशन ने इसकी जांच की थी। पहले २९० रुपये में हम सिंदरी का फ़र्टिलाइज़र देते थे और अब उन्होंने हिसाब लगा कर हम से कहा है कि १० प्रतिशत रिटर्न कैपिटल पर लगा कर ३०० रुपये में हम उसको बेचें। १० रुपये के करीब-करीब उसमें पर टन कास्ट बढ़ी है। तीन साल के लिए टैरिफ कमिशन ने यह नया रेट सिंदरी फैक्ट्री को दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि कितने परसेंट कास्ट बढ़ी है ?

श्री सतीश चन्द्र : २९० से ३०० रुपया हुआ है। अब ३०० रुपये प्राइस है उसकी।

†श्री त्यागी : क्या इस संयंत्र की जांच करने वाले टैक्निकल दल ने बताया है कि भूतकाल में संयंत्र की बड़ी उपेक्षा हुई थी ? उस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या यह सब उपेक्षा के कारण हुआ ?

†श्री त्यागी : देखभाल करने की उपेक्षा।

†श्री सतीश चन्द्र : यह कहना बड़ा कठिन है। जैसा मैंने बताया कितने ही कारण हैं, कोयला की किस्म, जिप्सम की किस्म, परिवहन कठिनाइयां, समस्त संयंत्र की उचित देखभाल न होना और उससे उसकी पूरी क्षमता से काम लेना क्योंकि देश में उर्वरक की कमी बहुत थी। इसके लिए किसी पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता है। कठिनाइयां दूर की जा रही हैं और हमें आशा है कि शीघ्र ही सामान्य उत्पादन होने लगेगा।

†श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि गत ४ अथवा ५ वर्ष से प्रबंध इन कमियों को दूर करने के बारे में कह रहा था और कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : सरकार इन कमियों को पूरा करने के लिए उत्सुक है और उसने प्रबन्ध को इन कमियों को पूरा करने के लिए लिखा हैं । सच यह है कि इस समय एक नया जेनेरेटर तथा एक नया कम्प्रैसर लगाया जा रहा है । दो से तीन महीनों में यह लग जायेंगे । तब यह संभव होगा कि एक के बाद एक सभी पुराने जेनेरेटरों की मरम्मत की जा सके और उत्पादन बढ़ाया जा सके ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या लाभ में कमी का कारण उत्पादन में कमी के साथ साथ यह भी है कि इस कारखाने की अवक्षयण निधि में बहुत अधिक धन विनियोजित कर दिया गया है ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : अवक्षयण उन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार लिया जाता है जो सभी औद्योगिक संस्थाओं पर समान रूप से लागू हैं ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : प्रशुल्क आयोग ने जांच करने के बाद सिंदरी उर्वरक के कारखाने के मूल्य २६५.६७ प्रति मीट्रिक टन निर्धारित किये हैं और एफ० ए० सी० टी० उर्वरक के कारखाने के मूल्य ३५० रुपये हैं । मूल्यों में इतना अन्तर क्यों है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : अल्वाई का संयंत्र छोटा है और इसका उत्पादन व्यय अधिक है । इसमें गैस बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है इसलिये यह भी एक अप्रचलित संयंत्र है । इसको अब आधुनिक बनाया जा रहा है । ज्यूं ज्यूं इसका आकार बढ़ेगा तथा कच्चे माल में परिवर्तन होगा लागत कम हो जायेगी ।

†**श्री तंगामणि** : ५ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७०८ के उत्तर के सम्बन्ध में बताया गया था कि सिंदरी में 'डबल साल्ट' का २,५२५ मीट्रिक टन महावार उत्पादन हुआ जबकि इसकी क्षमता ३००० टन थी । इस प्रकार वार्षिक ५,५०० टन कम उत्पादन किया गया । क्या इसमें कोई सुधार हुआ है ? विवरण में केवल अमोनियम सल्फेट के आंकड़े दिये गये हैं ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : १९५९–६० का पूरा प्रतिवेदन प्राप्त है, उससे पता लगता है कि हमने लगभग २२००० टन डबल साल्ट का उत्पादन किया था । नये संयंत्र में 'डबल साल्ट' तथा 'उरिया' का उत्पादन किया गया । नये रासायनिक संयंत्र में उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता है । इसलिये यह आरम्भ कुछ बुरा आरम्भ नहीं हैं ।

†**श्री मुरारका** : यह संयंत्र लगभग ७ वर्ष पुराना है और प्रत्येक वर्ष इसकी मरम्मत पर ८० लाख रुपया व्यय किया जाता है । उस समय जो उत्तर दिया गया था उसमें यह बताया गया था कि इस संयंत्र को ठीक रखने के लिये इतनी धनराशि पर्याप्त है । अब मंत्री महोदय यह किस प्रकार कहते हैं कि यह उत्पादन में कमी संयंत्र की खराबी के कारण हुई है और संयंत्र सही स्थिति में नहीं रखा गया था । यदि हां तो अब यह गड़बड़ी क्यों है क्योंकि प्रतिवेदन में बताया गया है कि संयंत्र की मरम्मत के बाद भी उत्पादन सामान्य करने में १८ महीने लग जायेंगे ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : आप एकदम सत्य कह रहे हैं । ८ जेनेरेटर हैं और सभी की मरम्मत होनी है । वह लगातार चलते रहे हैं और उनकी देखभाल नहीं की गई है । अब मरम्मत के लिये एक जेनेरेटर को बन्द किया जाता है । मरम्मत में २ से २।। महीना लग जाता है और ८ जेनेरेटरों की मरम्मत करनी है । इसलिये १८ महीने का समय बताया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका :** प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया। ८० लाख रुपया प्रतिवर्ष व्यय किया गया।

†**श्री सतीश चन्द्र :** एक ३० करोड़ रुपये के कारखाने की मरम्मत के लिये ८० लाख रुपया अधिक नहीं होता है।

†**श्री मुरारका :** नये संयंत्र के लिये ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** यह संयंत्र दस वर्ष पुराना है।

†**श्री मुरारका :** ८० लाख रुपया आरम्भ से ही व्यय किया जा रहा है। उत्तर में यह बताया गया था कि यह धनराशि संयंत्र को सही स्थिति में रखने के लिये की गई थी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इन ८० लाख रुपये में देखभाल की रकम शामिल है ?

†**श्री मुरारका :** जी नहीं। प्रतिदिन का व्यय शामिल नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या प्राक्कलन समिति ने मामले पर विचार कर लिया है ?

†**श्री मुरारका :** मैं नहीं जानता।

†**अध्यक्ष महोदय** यदि इस प्रश्न पर इतना विवाद है तो मैं मामला प्राक्कलन समिति को सौंप दूंगा।

†**श्री रंगा :** अब से लेकर आगामी १८ महीनों में मरम्मत के लिये कितनी धनराशि का प्राक्कलन किया गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** यह सभी व्यय राजस्व लेखे में जाते हैं और लाभ और हानि के लेखे तथा सन्तुलन पत्र में दिखाये जाते हैं।

†**श्री रंगा :** इसलिये आपके पास इसकी जानकारी नहीं है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** १९५९–६० का प्रतिवेदन दो अथवा तीन दिन पहले ही मैंने सभा पटल पर रखा है।

†**श्री रंगा :** यद्यपि आगामी १८ महीनों में समस्त संयंत्र को पुन: चालू करने के लिये, मरम्मत करने तो वह जा रहे हैं परन्तु उन्होंने लागत के प्राक्कलन नहीं बताये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मन्त्री ने बताया की सभा पटल पर रखे गये प्रतिवेदन में प्राक्कलन दिये गये हैं।

†**श्री रामी रेड्डी :** प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में बताया गया है कि प्रशुल्क आयोग ने हाल में ही मूल्य ३०० रुपया प्रति लांग टन निश्चित किये हैं। यह भी बताया गया कि खराब मशीनों तथा गन्दे कच्चे माल के कारण बहुत हानि हुई है। मूल्य निर्धारित करते समय क्या इस हानि का भी ध्यान रखा गया था और लागत में जोड़ा गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन पुस्तकालय में उपलब्ध है। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि प्रतिवेदन को देखें। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य माननीय मन्त्री की परीक्षा ले रहे हैं। यदि कोई सूचना पुस्तकों तथा प्रतिवेदनों से हासिल हो सकती है तो माननीय सदस्यों को उन पुस्तकों तथा प्रतिवेदनों को पढ़ना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामी रेड्डी** : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या मूल्य निश्चित करते समय हानि का ध्यान रखा गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया कि ऐसा प्रशुल्क आयोग के परामर्श से किया गया था। जब प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन उपलब्ध है तो मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य उसको पढ़ेंगे। मैं मामले को प्राक्कलन समिति को सौंप रहा हूं ।

तिब्बत में काश्मीरी मुसलमान

†६६५. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनियों द्वारा तिब्बत में काशमीरी मुसलमानों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, हालांकि वे राजनैतिक कैदी थे;

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस बारे में विरोध प्रकट किया है, और चीन सरकार को एक कड़ा नोट भेजा है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) : (क) से (ग). सरकार को इस विषय पर कोई अधिकृत जानकारी नहीं है और इसलिये चीनी सरकार को कोई नोट नहीं भेजा गया है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : अध्यक्ष महोदय मेरा अनुरोध है कि प्रश्न संख्या ६६५ के साथ मेरा प्रश्न १००६ भी ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या १००६ भी ले लिया जाये ।

तिब्बत में भारतीय

\+

*१००६. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मन्त्री** १४ नवम्बर १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जो भारतीय नागरिक अथवा भारतीय रक्षित व्यक्ति तिब्बत में चीनी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये थे, उन्हें रिहा कराने में कहां तक सफलता मिली है ?

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : हमारी सूचना के अनुसार, तब से ५ भारतीय राष्ट्रिकों को मुक्त किया गया है और वे भारत में पुनर्देशावर्तित (रिपैट्रिएट) होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : इस समय तिब्बत में कितने काश्मीरी मुसलमान रह रहे हैं और कितने भारत में आ गए हैं, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था और उनको क्या क्या कठिनाइयां उठानी पड़ी थीं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : हमारी सूचना के अनुसार तिब्बत में लगभग १,००० काश्मीरी रह रहे थे तथा लगभग ७०० भारत और लौट आये । ३५ सदस्यों के ६ परिवार स्वदेश लौटने की प्रतीक्षा में हैं । इस समय तिब्बत में रहने वालों की संख्या अधिक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय कितने भारतीय तिब्बत में चीनी कैद में हैं, और चीन सरकार ने क्या कुछ बतलाया है कि कब तक उनको रिहा कर दिया जायेगा ?

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : उनकी कठिनाइयों के बारे में कुछ नहीं बताया गया ।

†**श्री जो० ना० हजारिका** : पहले एक प्रश्न के उत्तर में मैं कठिनाइयां बता चुका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले एक प्रश्न के उत्तर में वह कठिनाइयां बता चुके हैं। ६–७ कठिनाइयां थीं ।

†**श्री भक्त दर्शन** : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों को छुड़ाने के लिये चीन सरकार से कोई पत्र व्यवहार किया गया है और क्या उन्होंने कुछ बतलाया है कि कब तक उन को रिहा किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या करें ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : पिछले अगस्त में मैंने बताया था कि तिब्बत में ३० भारतीय गिरफ्तार थे । उनमें से २५ इस समय भी गिरफ्तार हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच है कि तिब्बत में मुसलमानों को धार्मिक कार्य नहीं करने दिये जाते हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : हमें मालूम नहीं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : तिब्बत में चीनियों द्वारा गिरफ्तार किये गये भारतीयों के खिलाफ क्या अभियोग लगाये गये हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : कितने ही आरोप हैं और हर एक व्यक्ति पर अलग अलग हैं ।

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: हर व्यक्ति पर अलग अलग आरोप हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कुछ अभियोग एकसे भी हैं ? माननीय सदस्य यह समझते हैं कि यह सब राजनीतिक अभियोग हैं ।

†**श्री सादत अली खां** : कुछ पर यह अभियोग है कि वह काश्मीरी मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीयता अपनाने के लिये उकसा रहे हैं । उन के लिये यह विदेशी राष्ट्रीयता है । कुछ सम्पत्ति के स्वामित्व के कागजात नहीं दिखा पाये । कितने ही अभियोग हैं ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : तिब्बत से आये शरणार्थियों को बसाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : तिब्बत में हमारे दूतावास तथा व्यापार अभिकरणों के द्वारा सभी प्रकार के कदम उठाये गये हैं ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या वहां पर गिरफ्तार भारतीय राष्ट्रजनों से मिलने का प्रयत्न किया गया है तथा उन के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया है इसकी कोई की जानकारी है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खां** : ल्हासा में भारतीय वाणिज्यिक दूत वहां के विदेशी ब्यूरो से बार बार प्रार्थना कर रहा है कि गिरफ्तार काश्मीरियों को छोड़ दिया जाये और उन को भारत भेज दिया जाये। परन्तु विदेशी ब्यूरो सुनता ही नहीं। ऐसा बहुत दिनों से होता आ रहा है और मैं इस सम्बध में कई प्रश्नों के उत्तर दे चुका हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि वाणिज्यिक दूत अथवा अन्य किसी अधिकारी ने उन से मिलने की कोशिश की है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : हम इस का ध्यान रखेंगे।

†**श्री साधन गुप्त** : मैं समझ ता हूं कि उनसे मिलने में हमारे वाणिज्यिक दूत को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना होगा मैं यह जानने का प्रयत्न करूंगा कि क्या उनको, उनसे मिलने दिया गया है।

†**श्री वाजपेयी** : ऐसा समाचार है कि इन भारतीय राष्ट्रजनों के साथ कारावास में अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है ?

†**श्री सादत अली खां** : जी हां। उन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है।

शुद्ध मापक उपकरण तैयार करने वाला कारखाना

+

†*९९६. {**श्री रामी रेड्डी** :
श्री उस्मान अली खां :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शुद्ध मापक उपकरण तैयार करने वाला एक कारखाना स्थापित करने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस बारे में अभ्यावेदन भेजे हैं कि प्रादेशिक असन्तुलन को दूर करने के लिये इस कारखाने की स्थापना आन्ध्र प्रदेश में की जाये ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई निश्चय किया गया है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). शुद्ध मापक उपकरण तैयार करने की परियोजना उन परियोजनाओं में से एक है जोकि रूसी सहायता से कार्यान्वित की जा रही है।

अन्य राज्य सरकारों के समान आन्ध्र प्रदेश ने भी इस के स्थान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन किया है। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

†**श्री रामी रेड्डी** : इस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी और उस की कितनी क्षमता होगी और इस बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : क्षमता के बारे में भी अभी विचार किया जा रहा है। हाल ही में जब श्री स्काल्सोव यहां थे, तो उन से इस बारे में चर्चा की गई थी और इस परियोजना के बारे में ब्यौरे तैयार करने के लिये और भी कुछ रूसी विशेषज्ञ यहां आ रहे हैं। इस परियोजना में प्रतिवर्ष १५ करोड़ रुपयों के उपकरणों का निर्माण किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामसिंह भाई वर्मा : क्या श्रीमन् यह बतायेंगे कि इस कारखाने में कितने श्रमिकों को काम मिल सकेगा ?

श्री मनुभाई शाह : अभी तो कई बातें तै करनी हैं जैसेकि कारखाना कहां बनेगा, कितने यूनिट होंगे, क्या क्या चीजें उस में बनेंगी, तब कहा जा सकेगा कि कितने श्रमिकों को उस में काम मिलेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : ये परियोजनायें तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्रारूप रूपरेखा में सम्मिलित हैं । १ अप्रैल से तृतीय योजना प्रारम्भ हो रही है । प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री यही जवाब देते हैं कि अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । तो इस गति से योजना को कार्यान्वित कैसे किया जा सकेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : तृतीय योजना पूरे पांच वर्षों में पूरी की जायेगी । अपनी ओर से हम इस सम्बन्ध में यत्न कर रहे हैं कि तृतीय योजना काल प्रारम्भ होने से पहले ही परियोजनाओं की मोटी रूपरेखा तैयार हो जाये ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय

+
९९९. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुल्तान : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की नागरिकता के बारे में कोई नया कानून बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इस नये कानून का प्रभाव कितने भारतीयों पर पड़ेगा ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) सरकार को ऐसे किन्हीं नये कानूनों का पता नहीं है जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की नागरिकता के बारे में बनाये गये हों ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पीछे समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में ऐसी जानकारी मिली है कि दिक्षण अफ्रीका की सरकार अपनी पार्लियामेंट में ऐसा कानून लाने जा रही है कि जो भारतीय भारतीय स्त्रियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध करेंगे, वे स्त्रियां दक्षिण अफ्रीका में नहीं जा सकेंगी और वहां की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकेंगी । यदि हां तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

†**श्री सादत अली खां** : जी हां, हिन्दुस्तान टाइम्स ने २४ फरवरी, १९६१ के अपने अंक में एक समाचार प्रकाशित किया था जिस के अनुसार दक्षिण अफ्रीका की सरकार भारतीय उद्भव के व्यक्तियों और भारत में उन की वधुओं के बीच विवाहों पर एक विधेयक द्वारा निर्बन्धन लगाने जा रही है । लेकिन डरबन में भारतीय नेताओं का यह कहना है कि इस से दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर कोई असर नहीं पड़ेगा । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, जैसाकि माननीय सदस्य जानते

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं, दक्षिण अफ्रीका में कोई भारतीय दूतावास नहीं है और भारत सरकार के पास ऐसे कोई साधन नहीं हैं जिन से वह दक्षिण अफ्रीका की सरकार का ठीक ठीक आशय जान सके ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस प्रकार का विधेयक पास होने से भारतीय परिवारों के बहुत से उन लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा जिन के वैवाहिक सम्बन्ध निश्चिय हो चुके हैं लेकिन अभी तक जिन के विवाह नहीं हुए हैं । तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार इस प्रकार की कार्रवाई करेगी कि जिस से इन असुविधाओं का सामना उन परिवारों को न करना पड़े ?

श्री सादत अली खां : साउथ अफ्रीका की सरकार इन बातों पर सोच रही है । सन् १९५३ में भी उस ने ऐसा कदम उठाया था । हम इस मामले में क्या कर सकते हैं यह बतलाना जरा मुश्किल है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : अब जबकि दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रमंडल से अलग हो गया है, दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों तथा अन्य देशों के उद्भव नागरिकों पर इस का क्या असर पड़ेगा ?

†**श्री सादत अली खां** : यह प्रश्न भारतीय वधुओं के बारे में है । क्या माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उन वधुओं पर क्या असर पड़ेगा ? मैं वह बताने में असमर्थ हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत बड़ा प्रश्न है । मुझे वास्तव में यह देख कर आश्चर्य होता है कि माननीय प्रोफेसर यह चाहते हैं कि माननीय सभासचिव उन्हें यह बतायें कि राष्ट्रमंडल से दक्षिण अफ्रीका के अलग हो जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा । माननीय प्रधान मंत्री एक दिन में यहां आयेंगे । तब हमें वह समझने का काफी मौका मिलेगा ।

†**श्री तंगामणि** : क्या दक्षिण अफ्रीका के लोगों का एक शिष्टमंडल, जिस में अधिकतर भारतीय थे, नई दिल्ली आया था और सरकार से उस ने अभ्यावेदन किया था और यदि हां, तो क्या उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पास किये गये नये कानूनों से किसी भेदभावपूर्ण व्यवहार का उल्लेख किया था ?

†**श्री सादत अली खां** : मुझे इस के लिये सूचना चाहिये ।

सरकारी क्षेत्र में इस्पात 'रोलिंग मिल'

*१०००. **श्री विभूति मिश्र** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल में सरकारी क्षेत्र में एक इस्पात "रोलिंग मिल" खोलने की योजना स्वीकार की है ;

(ख) यदि हां, तो वह मिल किस राज्य में खोली जायेगी और उस की कितनी क्षमता होगी ; और

(ग) उस मिल को खोलने में कितना व्यय होने की संभावना है ?

योजना उपमन्त्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्तावित रोलिंग मिल मद्रास राज्य में खोली जायेगी और इस की क्षमता २० हजार टन प्रति वर्ष पैदा करने की होगी ।

(ग) यद्यपि मद्रास राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम के लिये एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । अभी यह बताना कठिन है कि इस के बनाने में कितना खर्च होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसी रोलिंग मिल किसी और राज्य में भी खोलने की स्कीम बनायी है ?

श्री श्या० नं० मिश्र : अभी मैं ने अपने माननीय मित्र उद्योग मंत्री से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा आन्ध्र राज्य सरकार की योजना में भी थी, लेकिन निश्चित रूप से इसके बारे में नहीं कहा जा सकता । प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की बहुत सी मिलें स्थापित होने की बात है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में अगर चर्चा है तो कहां कहां के लिए चर्चा है और कहां कहां ये मिलें खोली जाएंगी ।

श्री श्या० नं० मिश्र : पूरा विवरण बताने में तो बहुत वक्त लगेगा और सारे विवरणों को संकलित करके सदन के सामने रखने के लिए मुझे सूचना चाहिए ।

एशियाई देशों को लौह अयस्क का निर्यात

†*१००१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई देशों को लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने की संभावनाओं की जांच की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रयास किये जा रहे हैं ; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) से (ग). एशियाई देशों में जापान भारतीय लौह-अयस्क का मुख्य खरीददार है । अभी हाल कुछ दूसरे देशों से कुछ पूछताछ आयी थी और उसकी संभावनाओं की जांच की जा रही है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : किन किन देशों से यह पूछताछ आयी है और वह अभी किस दौर में है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इजराइल और मिस्र से पूछताछ प्राप्त हुई थी ।

निर्यात प्रोत्साहन

†*१००२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय निर्यातक मंडल के प्रधान द्वारा मंडल के अर्ध-वार्षिक सम्मेलन में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें यह शिकायत की गयी है कि निर्माताओं और निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन समान रूप से नहीं दिये जाते ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गयी है ; और

(ग) इसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). इस मामले की जांच की जा रही है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : निर्माताओं और निर्यातकों को अलग अलग क्या प्रोत्साहन दिये जाते हैं और निर्यातकों को कितना प्रतिशत मुनाफा या लाभ दिया जाता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : सभी मामलों में निर्यातकों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। निर्माताओं को अधिकतर प्रोत्साहन शुल्क लौटा दिये जाने, रेल के मालभाड़े में कमी, माल ले जाने में प्राथमिकता आदि के रूप में दिया जा रहा है । लेकिन माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जो निर्यातक निर्माता नहीं हैं उन्हें क्या प्रोत्साहन दिया जाता है । ऐसे मामलों में, सूती वस्त्र और एक या दो दूसरी चीजों के सम्बन्ध में कुछ योजनाएं हैं जिनमें उन निर्यातकों को भी जो निर्माता नहीं हैं, प्रोत्साहन दिया जा रहा है । जहां तक दूसरी चीजों का सम्बन्ध है, इस विषय पर विचार हो रहा है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार व्यक्तिगत व्यापारियों को वस्तुविनिमय व्यापार के लिए अनुमति देना उचित समझती है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : हम अपने अनुभव के आधार पर वस्तुविनिमय व्यापार को हतोत्साह करने की कोशिश कर रहे हैं । पिछले दो वर्षों में वस्तुविनिमय व्यापार के कई सौदे हुए और उनके परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे । यद्यपि हम कुछ खास मामलों में कुछ व्यक्तियों से वस्तुविनिमय व्यापार के प्रस्तावों पर विचार करें फिर भी उनसे अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं कि एक संयुक्त स्टीमर कम्पनी ने, जो ब्रह्मपुत्र नदी में अपनी नौकायें चलाती है, असम चाय के लिए १० प्रतिशत माल भाड़ा बढ़ा दिया है, यदि हां, तो क्या उससे माननीय वित्त मंत्री द्वारा सामान्यत: चाय के लिए दी गयी रियायतें निष्प्रभावी नहीं हो जायेंगी ? यदि हां, तो क्या उससे हमारे असम चाय के निर्यात पर असर नहीं पड़ेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मुझे मालूम नहीं और न ही चाय व्यापारियों ने अभी तक हमसे इस बारे में कोई शिकायत की है ।

बेरोजगारी सहायता निधि

†*१००३. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यादव नारायण जाधव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकार, नियोजकों और कर्मकारों के योगदान से एक बेरोजगारी सहायता निधि स्थापित करने का विचार छोड़ दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). अभी इस विषय पर विचार हो रहा

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या सम्बन्धित दलों की राय अभी तक मालूम की गयी है ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां । समय समय पर त्रिदलीय सम्मेलनों में इस विषय पर भी चर्चा की गयी थी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : कुछ समय पहले माननीय उपमंत्री ने यह बताया था कि कपड़ा मिलें बन्द होने के कारण जो मजदूर बेरोजगार हो गये हैं उनके लिए इसी तरह की एक निधि कायम की जायगी । क्या वह निधि चालू करने की कोई योजना तैयार की गयी है और यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्री आबिद अली** : विचाराधीन योजना का ठीक यही उद्देश्य है कि कुप्रबन्ध अथवा किसी वित्तीय कठिनाई के कारण कोई विशिष्ठ प्रतिष्ठान बन्द हो जाये और वह अन्यथा लाभदायक न हो तो इस निधि से उसको मदद दी जानी चाहिये ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री आबिद अली** : काफी समय लग सकता है ।

†**श्री अब्दुल सलाम** : देश में बेरोजगारी की समस्या हल करने में सरकार कहां तक सफल हुई है और क्या सरकार ने कम से कम तीसरी पंचवर्षीय योजना के आखिर तक इस समस्या को समाप्त कर देने के लिए किसी उपाय पर विचार किया है ?

†**श्री आबिद अली** : वह एक अलग सवाल है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सरकार तीसरी योजना में बेरोजगार लोगों के लिए किसी प्रकार की बेरोजगारी सहायता चालू करेगी ?

†**श्री आबिद अली** : जी नहीं, उस पर विचार नहीं हो रहा है ।

स्थायी श्रम समिति

†*१००५. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी श्रम समिति की १९वीं बैठक के लिए एक निश्चित तिथि निर्धारित कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो यह बैठक किस तिथि को और किस स्थान पर होगी ;

(ग) इस बैठक की प्रस्तावित कार्य-सूची क्या है ;

(घ) क्या केन्द्रीय कार्मिक संघों को सुझाव देने के लिए कहा गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितने कार्मिक संघों से प्रत्युत्तर मिला है ?

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). २८ और २९ अप्रैल, १९६१ को नई दिल्ली में ।

(ग) कुछ मद ये हैं :—

१. औद्योगिक दुर्घटनायें

२. अनुशासन संहिता के अधीन दंड

---

†मल अंग्रेजी में

३. संयुक्त प्रबन्ध परिषदों पर यह योजना लागू करना

४. सम्बन्धित दलों पर त्रिदलीय निर्णय किस हद तक बाध्य होंगे

५. कर्मचारी समितियों का कार्य

६. उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण के अतिरिक्त उपाय

७. रिक्शा चलाने की प्रथा को समाप्त करना

८. कर्मचारी शिक्षा योजना

९. श्रमिक सम्बन्ध अनुसंधान संस्था स्थापित करने की योजना

(घ) जी हां ।

(ङ) कोई नहीं ।

†**श्री तंगामणि** : इस बात को देखते हुए कि बोनस कमीशन स्थापित किया जा चुका है, क्या स्थायी श्रम समिति बोनस आयोग के विचारणीय विषय अन्तिम रूप से निर्धारित करने के मामले पर विचार करेगी ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मन्त्री (श्री नन्दा)** : जी हां । वह करने का विचार है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : उसे कार्य-सूची में क्यों नहीं शामिल किया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री तंगामणि** : क्या स्थायी श्रम समिति मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कानून के तौर पर या और किसी तरह लागू करने के सवाल पर विचार करेगी ?

†**श्री नन्दा** : जी हां, जहां तक वह मामला महत्वपूर्ण हो ।

तारांकित प्रश्न संख्या ९९० के उत्तर में शुद्धि

†**योजना उपमन्त्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : प्रश्न संख्या ९९० के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने जो संख्या बतायी क्या उसे मैं ठीक कर सकता हूं ? मैंने कहा था कि १९६१–६२ के लिए बजट अनुमान ५२,४४,००० रुपये का था । वास्तव में योजना आयोग ने इतनी रकम का प्रस्ताव रखा था लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे घटा कर ५०,१८,४०० रुपये कर दिया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : लगभग २.१ लाख रुपया कम कर दिया गया ।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : एक अल्पसूचना प्रश्न है । श्री रामनाथन् चेट्टियार ।

†**श्री वाजपेयी** : श्रीमन्, औचित्य प्रश्न के हेतु । इस अल्पसूचना प्रश्न का विषय कुछ दिन पहले एक साधारण प्रश्न के रूप में रखा गया था और तब माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने यह कहा था कि जो जानकारी मांगी जा रही है वह देना सार्वजनिक हित में उचित नहीं होगा । अब उसी विषय

---

†मूल अंग्रेजी में

पर अल्पसूचना प्रश्न गृहीत हुआ है । क्या हम यह समझें कि अब उसमें सार्वजनिक हित का प्रश्न नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदल दिया होगा ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या मंत्रीगण अपने दृष्टिकोण इतने शीघ्र बदल सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पुनर्विचार के बाद वह बदल दिया गया होगा । प्रश्न के उत्तर का स्वागत करना तो दूर रहा, माननीय सदस्य औचित्य प्रश्न उठा रहे हैं । यदि माननीय सदस्य किसी प्रश्न की सूचना देते हैं तो उन्हें किसी भी तरह उत्तर मिलने में दिलचस्प होना चाहिए चाहे वह उनके प्रश्न पर या और किसी दूसरे प्रश्न पर मिले ।

†**श्री वाजपेयी**: बात यह है कि यदि इस ओर से किसी विरोधी सदस्य ने अल्प सूचना प्रश्न रखा होता तो माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने उसे स्वीकार न किया होता । अब कांग्रेसी सदस्य ने वह प्रश्न उठाया है और इसलिये वह स्वीकार कर लिया गया है । (**अन्तर्बाधा**)

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** : यह आरोप है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरी ओर मेरा अनुभव तो यह है कि कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की है कि माननीय मंत्री उनके अल्पसूचना प्रश्न का उत्तर देने की परवाह नहीं करते ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : वह ठीक है । हमारे प्रश्न ध्यान दिलाने की सूचनाओं में बदल दिये जाते हैं । (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता । कुछ माननीय सदस्यों का यह ख्याल था कि यदि विरोधी दल आग्रह करता है तो कुछ माननीय मंत्री अक्सर मान लेते हैं । इसलिए दोनों ओर संतुलन हो जाता है । कांग्रेसी सदस्य भी अक्सर अल्पसूचना प्रश्न रखते हैं और कभी कभी एक दो प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया जाता है । इसलिए इतनी गड़बड़ क्यों हो ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : अल्प सूचना प्रश्न और ध्यान दिलाने की सूचनाएं सदा ही अस्वीकृत कर दी जाती हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : हमारे अल्प सूचना प्रश्न विरोधी सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं के कारण रद्द कर दिये जाते हैं । स्थगन प्रस्ताव और अल्पसूचना प्रश्न सदा ही अस्वीकृत कर दिये जाते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । श्री रामनाथन् चेट्टियार ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

आवाज की गति से तेज चलने वाले विमानों का निर्माण

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८. श्री राम नाथन् चेट्टियार** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री १५ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या उन्होंने हाल ही में हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड बंगलौर का दौरा किया था; और

(ख) वहां पर तैयार किये जा रहे आवाज की गति से भी तेज चलने वाले विमानों के निर्माण के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां । मैं वहां १७ मार्च को गया था ।

(ख) सभा को यह सूचना देते हुए मुझे हर्ष है कि 'एच० एफ० २४ मार्क आई' के सम्बन्ध में प्रारम्भिक परीक्षण किये जा रहे हैं । उस विमान के विकास के वर्तमान प्रक्रम में प्रगति भी अत्यन्त सन्तोषजनक है ।

मैं इसके अतिरिक्त यह भी बता देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को यह नहीं समझना चाहिये कि सरकार उनसे कोई जानकारी लोकहित के आधार पर छिपा कर रखना चाहती है । समय को भी ध्यान में रखना पड़ता है । विमान के सम्बन्ध में प्रारम्भिक प्रयोग किये जा रहे हैं । अतः जब तक कोई वस्तु प्रयोगात्मक स्थिति में हो, उसका निश्चित रूप नहीं बताया जा सकता । जिस समय पहला प्रश्न पूछा गया था, उस समय विमान एक विशेष अवस्था में था और कोई भी दुर्घटना हो सकती थी और उनको उत्पादन के सम्पूर्ण प्रश्न पर असर पड़ सकता था । अतः वह समय प्रश्न का उत्तर देने के लिये उपयुक्त अवसर नहीं था ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : यह विमान कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह विमान लगभग पूरा हो गया है और इसके प्रारम्भिक प्रयोग किये जा रहे हैं । परन्तु यदि पूर्णता से यह तात्पर्य है कि इसमें कब तक सभी उपकरण लगा दिये जायेंगे, तो मुझे खेद है कि मैं निश्चित समय नहीं बता सकूंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सिक्किम के महाराजा की भारत यात्रा

†*९९७. **श्री दामानी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम के महाराजा ने अभी हाल में इस देश की यात्रा की और सरकार के साथ विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त बातचीत में जो करार किये गये हैं उनकी विशेष बातें क्या हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). सिक्किम के महाराजा को इस वर्ष के गणतन्त्र दिवस के समारोह के अवसर पर एक सरकारी अतिथि के रूप में आमन्त्रित किया गया था । दिल्ली आने के बाद उन्होंने देश के कुछ अन्य भागों का भी दौरा किया था । दौरे में उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ थे । उनके साथ कोई चर्चा नहीं की गयी थी ।

†मूल अंग्रेजी में

लोयाबाद कोयला खान

†*९९८. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोयाबाद कोयला खान में जब कुछ कर्मचारी भूमि के नीचे कोयला काट रहे थे, तो खान की छत गिर पड़ी ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति घायल हुए और कितने व्यक्ति मारे गये ;

(ग) क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों के लोगों को कोई मुआवज़ा दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख). २८–१–६१ को जब एक खान में काम करने वाला एक मजदूर काम कर रहा था तो कोयला के छत के गिर जाने से यह दुर्घटना हुई थी । परिणास्वरूप उस मजदूर को गम्भीर चोट लगी थी और वह १२ घण्टों के बाद मर गया ।

(ग) और (घ). प्रबन्धकर्ताओं ने कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त के पास प्रतिकर की राशि जमा कराने के लिये कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है ।

नाहन फाउण्ड्री (ढलाई कारखाना)

†*१००४. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में स्थित नाहन फाउण्डरी (ढलाई कारखाना) को रेलवे और डाक तथा तार विभाग से आर्डर करने के लिये खुले बाजार में प्रतियोगिता करनी पड़ती है ;

(ख) क्या इस प्रतियोगिता के कारण इस कारखाने को, जिसकी मालिक सरकार है और जिसका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, हानि उठानी पड़ती है ;

(ग) क्या इस कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा सरकार से, प्रतियोगिता के बिना, आर्डर प्राप्त करने के लिये कोई कोशिश की गयी थी ;

(घ) क्या इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(च) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और अन्य सरकारी कारखानों को भी सरकार को अपना माल बेचने के लिये प्रतियोगिता करनी पड़ती है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (च). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) अन्य उद्योगों के समान नाहन फाउण्डरी लिमिटेड को भी कभी कभी फैक्टरी की व्यर्थ जाने वाली क्षमता का उपयोग करने के लिये कुछ आर्डर स्वीकार भी करने पड़ते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी, नहीं। सामान्य सरकारी विभागों को यथा सम्भव टेण्डर अथवा दर ठेके के द्वारा इन वस्तुओं को खरीदना पड़ता है।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(च) सामान्य तथा सरकारी स्वामित्व के औद्योगिक उपक्रमों में जिनमें हिन्दुस्तान मशीनी पुर्जेलिमिटेड भी सम्मिलित हैं, अपनी वस्तुएं बेचते समय अन्य कारखानों से मुकाबला करना पड़ता है, भारत लेक्ट्रानिक्स और उडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बंगलौर द्वारा विशिष्ट सरकारी आर्डरों पर ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।

प्रोफेसर हाल्डेन का त्याग पत्र

†*१००९. श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
डा० सामन्त सिंहार :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि विख्यात अंग्रेज जीव-विज्ञानवेता प्रोफेसर जे० बी० एस० हाल्डेन ने भारतीय सांख्यकीय संस्था से त्यागपत्र दे दिया है ;

(ख) क्या त्यागपत्र का कारण प्रोफेसर हाल्डेन और भारतीय सांख्यकीय संस्था के निदेशक के बीच मतभेद होना है ; और

(ग) क्या इस बात की कोई जांच कराई गयी है कि यह मतभेद किन कारणों से उत्पन्न हुआ है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रोफेसर हाल्डेन के त्याग पत्र का कारण सम्भवतः यह प्रतीत होता है कि वे संस्था में सामान्य विज्ञान तथा सांख्यिकी ने समन्वित अध्ययन के कार्यक्रम की कार्यान्विति के तरीके से सन्तुष्ट न थे। संस्था के निदेशक ने प्रोफेसर हाल्डेन को कठिनाई समझा दी है। सरकार इस सम्बन्ध में कोई भी जांच करना आवश्यक नहीं समझती।

लाओस

†१००७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि लाओस के गतिरोध को सुलझाने की दिशा में यदि कोई प्रगति हुई है, तो वह क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : इस सम्बन्ध में अभी तक जनेवा सम्मेलन के सह-सभापति से बातचीत चल रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय महिला प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्था

†१००८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
　　　　श्री पांगरकर :

क्या श्रम और रोजगार मन्त्री १७ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय महिला प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्था के पुनर्गठन और विस्तार की योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

†**१०१०. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां न तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में और ना ही दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी सरकारी उपक्रम की स्थापना की गयी है ; और

(ख) क्या इस बात की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में कितना विनियोजन किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री श्री (मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). जी, नहीं । तृतीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्योग पर किये जाने वाले धन विनियोग के सम्बन्ध में अभी व्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। फिर भी यदि किसी विशेष परियोजना के सम्बन्ध में जानकारी मांगी जाये तो वह जानकारी दी जा सकती है ।

सरकार की यही इच्छा है कि यदि उपर्युक्त स्थान उपलब्ध हो सकें, तो उन सभी राज्यों में कम से कम एक तो सरकारी कारखाना अवश्य स्थापित किया जाये जहां अभी तक ऐसा कोई भी कारखाना स्थापित करना संभव नहीं हो सका है । उसका मुख्य कारण यह है कि प्रारम्भ में अधिकांश सरकारी परियोजनाएं उस प्रकार की थीं कि उनके लिये पर्याप्त मात्रा में स्थानीय कच्ची सामग्री और परिवहन सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध थीं । अब सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योगों के अत्यधिक विस्तृत कार्यक्रमों के कारण नयी परियोजनायें बहुत अधिक फैल रही है, सभी राज्यों में विभिन्न प्रकार के कारखानों की स्थापना करना कठिन न हो सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास शहर के लिये जल सम्भरण योजनाएं

†*१०११. **श्री उस्मान अली खाँ** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के मेयर की इस प्रार्थना पर इस बीच विचार किया गया है कि मद्रास शहर के लिए जल सम्भरण योजनाओं के वास्ते पहले से अधिक केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाये ताकि दूसरे शहरों में प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से सुरक्षित जल का जितना सम्भरण किया जाता है, उतना सम्भरण इस शहर में भी किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

†**योजना उपमन्त्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) योजना आयोग के पास ऐसी कोई प्रार्थना अनिर्णित अवस्था में नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सन्तरागाची का सरकारी मुद्रणालय

†*१०१२. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सन्तरागाची (पश्चिम बंगाल) के सरकारी मुद्रणालय में २० लाख रु० की रोटरी तथा अन्य मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) गौर (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

भारत सरकार की फार्म्स प्रेस, कलकत्ता के लिये आवश्यक १२ 'रोटरी मशीन' और तीन 'फ्लैट बैड प्रिंटिंग मशीन' १९५८–५९ में प्राप्त हुई थीं और उनका परीक्षण करने के बाद उसी वर्ष ही उन्हें सन्तरागाची के डिपो में लगा दिया गया था । बाद में १९५९–६० में पांच 'फ्लैट बैड प्रिंटिंग मशीन' और कुछ जिल्दों आदि का सामान प्राप्त हुआ था और उन्हें भी वहीं पर लगा दिया गया था । भारत सरकार की फार्म्स प्रैस, कलकत्ता की विस्तार योजना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ये मशीनें प्राप्त हुई थीं । परन्तु क्योंकि वित्तीय कठिनाइयों के कारण फार्मस प्रैस के लिये अतिरिक्त स्थान के निर्माण कार्य को स्थगित कर देना पड़ा इसलिये इन मशीनों को अस्थायी रूप से सन्तरागाची डिपो में लगा देना पड़ा । वास्तविक मंशा यह थी कि जब तक फार्म्स प्रैस की नयी इमारत तैयार नहीं हो जाती तब तक सन्तरागाची डिपो को ही चलाया जाय । फिर भी ये मशीनें अभी तक नहीं चलायी जा सकी हैं क्योंकि उसके आवश्यक न्यूनतम विद्युत् शक्ति के सम्बन्ध में अभी तक प्रबन्ध नहीं हो सका है । अब आवश्यक विद्युत् शक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध हो रहा है और आशा है कि शीघ्र ही मशीनें चालू हो जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इटली को लोह और मैंगनीज अयस्क का निर्यात

†*१०१३. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
{ **श्री रामकृष्ण गुप्त :**

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्ची धातुओं, विशेषतः लौह और मैंगनीज अयस्क का निर्यात इटली को करने की अब अधिक सम्भावनायें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). इटली ने हाल ही में अपने इस्पात उत्पादन का विस्तार किया है और भारत से अयस्क संभरण की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

हज यात्री

†*१०१४. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे समवाय अथवा संस्थाएं हैं, जो 'हज' जाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए हज यात्रा के प्रबन्ध करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह सच है कि वे कदाचार करते हैं और हज यात्रियों के लिए भारत से बाहर बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन समवायों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खाँ)** : (क) सरकार हज यात्रियों के लिये मुगल लाइन लिमिटेड, जो कि राज परिवहन के लिये केवल मात्र एक ही नौवहन कम्पनी है, एयर इंडिया इन्टरनेशनल, इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा पोर्ट हज समिति के द्वारा प्रबन्ध करती है ।

(ख) ऐसे कोई मामले सरकार के ध्यान में नहीं आये हैं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कोयला खान कर्मचारियों को स्थायी बनाने की योजना

†*१०१५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कोयला खानों में काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी बनाने की एक योजना बनायी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूप रेखा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख) सुझाव अभी विचाराधीन है ।

चाय, काफी और रबड़ बागान के लिये मजूरी बोर्ड

†*१०१६. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पांगरकर : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चाय, काफी और रबड़ बागानों के लिए तीन अलग अलग मजूरी बोर्डों की नियुक्ति के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : चाय बागान के लिये एक मजूरी बोर्ड स्थापित किया जा चुका है । काफी और रबड़ बागानों के लिये मजूरी बोर्डों के गठन के बारे में निर्णय किया जा रहा है ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ऊनी खादी की वर्दियां

†१९९२. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री पांगरकर : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ३० नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ऊनी खादी की वर्दियां देने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अभी तक निर्धारित किस्म का ऊनी कपड़ा तैयार नहीं कर सका है ।

कल्याणी सहकारी खिलौना समिति

†१९९३. **श्री पांगरकर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कल्याणी सहकारी खिलौना समिति ने जापानी विशेषज्ञों की सहायता से यांत्रिक खिलौनों के निर्माण के लिये एक कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

कल्याणी सहकारी खिलौना समिति लिमिटेड के कल्याणी औद्योगिक बस्ती में यांत्रिक खिलौनों के निर्माण के लिये मशीनें लगायी हैं । उस समिति ने मार्च, १९६० से जापान में प्रशिक्षित

---

†मूल अंग्रेजी में

एक भारतीय निर्माण इंजीनियर और डिजाइनिंग के कार्य में अनुभव प्राप्त एक जापानी महिला की सहायता से वहां पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया था। वहां पर निम्नलिखित किस्म के खिलौनों का निर्माण किया गया है :—

(१) वर्ग १ . . . चक्र में घुमने वाले[1]
(२) वर्ग २ . . . . पार्श्व गति वाले[2]
(३) वर्ग ४ . . . . समतल गति वाले[3]

रबड़ बोर्ड द्वारा उपकर की वसूली

†१९९४. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में रबड़ बोर्ड द्वारा उपकर के रूप में अनुमानतः कितनी राशि इकट्ठी की गयी है ; और

(ख) यदि कोई राशि बकाया रह गयी है, तो वह कितनी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ३६,९६,००० रुपये।

(ख) रबड़ पर उपकर का निर्धारण अर्ध वार्षिक किया जाता है। अप्रैल से सितम्बर, १९६० तक के सम्बन्ध में उपकर का अब निर्धारण और वसूली की जा रही है। अक्तूबर, १९६० से मार्च, १९६१ तक के सम्बन्ध में उपकर का निर्धारण १५ अप्रैल, १९६१ के बाद किया जा सकता है। बकाया राशियों के सम्बन्ध में १९६१ के अन्त में ज्ञात हो सकेगा।

चीन द्वारा सन की बोरियों तथा टाट की खरीद

†१९९५. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीन द्वारा अगस्त से दिसम्बर, १९६० तक भारत से कितनी मात्रा में सन की बोरियां तथा टाट की खरीद की गयी थी और उसकी कितनी कीमत थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(क) सन की बोरियां १११६ टन, कीमत २० लाख रुपये।

(ख) टाट १७८ टन, कीमत २ लाख रुपये।

महाराष्ट्र में विद्युत करघे

†१९९६. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० और १९६०–६१ में महाराष्ट्र के कितने बुनकरों को विद्युत करघे दिये गये हैं ; और

(ख) १९६१-६२ में कितने बुनकरों को विद्युत करघे दिये जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) १९५९-६० तथा १९६०-६१ में महाराष्ट्र के क्रमशः ३७० और ४२० बुनकरों को विद्युत करघे दिये गये थे।

(ख) १९६१-६२ में लगभग ६०० विद्युत करघे देने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Circular Notion.
[2]Axillary Notion.
[3]Horizontal Notion.

सफेद कागज

†१९९७. श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में भारत को कितनी मात्रा में सफ़ेद काग़ज़ का निर्माण किया गया था और उनकी प्रमुख किस्में क्या क्या हैं ;

(ख) १९६० में कितनी मात्रा में सफेद काग़ज़ का आयात किया गया था ;

(ग) दोनों की तुलनात्मक कीमतें कितनी हैं, और दोनों का तुलनात्मक विक्रय मूल्य कितना है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) अनुमान है कि सफेद कागज़ से माननीय सदस्य का तात्पर्य साधारण लिखने तथा छापने के काग़ज़ से है। १९६० में इस प्रकार के २,१५,०७६ टन काग़ज़ का उत्पादन किया गया था।

(ख) जनवरी से नवम्बर १९६० तक लगभग ४९५० टन काग़ज़ का आयात किया गया था।

(ग) स्वदेशी उत्पादन की फैक्टरी में लागत कीमत	आयात किये गये काग़ज़ का बीमा भाड़ा सहित मूल्य
१२७६.८० रुपये प्रति टन	लगभग १३००.०० रुपये प्रति टन

(घ) थोक मार्केट में स्वदेशी उत्पादन का उचित विक्रय मूल्य (उत्पादन शुल्क सहित)	आयात किये गये काग़ज़ का विक्रय मूल्य (सीमा शुल्क तथा अन्य प्रकार के शुल्कों सहित)
१७४७.२० प्रति टन	लगभग २०००.०० रुपये प्रति टन

जूतों का निर्यात

†१९९८. श्री पांगरकर क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटिड द्वारा कितनी कीमत के जूतों का निर्यात किया गया था ; और

(ख) ये आंकड़े गत वर्ष की तुलना में कैसे हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ६९.६६ लाख रुपये।

(ख) गत वर्ष ५०.८६ लाख रुपयों के जूतों का निर्यात किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

राल के कारखाने

†१९९९. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में **राज्य-वार** कितने और किस किस स्थान पर राल के कारखाने चल रहे हैं; और

(ख) १९६० में उनमें से प्रत्येक कारखाने में राल तथा अन्य सम्बन्ध वस्तुओं का कितना उत्पादन किया गया था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) संभवत : तेल-राल तैयार करने वाले कारखानों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी जा रही है। उस सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७१]**

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र में राल और तारपीन के निर्माण के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं है। फिर भी १९६० में निम्नलिखित तीन कारखानों में किये गये अनुमानित उत्पादन आंकड़े इस प्रकार से हैं :—

	राल	तारपीन
	टन	लिटर
(१) गवर्नमेंट रोज़िन एण्ड टर्पेन्टाइन फ़ैक्टरी, भीरन साहित (जम्मू तवी)	१९८१	४०१,७८६
(२) इंडियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड, डाकखाना क्लटरबगंज बरेली	८२९०	१९८३,६०७
(घ) हिमाचल गवर्नमेंट रोज़िन एण्ड टर्पेन्टाइन फैक्टरी, नाहन	१९३०	४४५,५३२

जनता द्वारा व्यवसाय परिवर्तन

†२०००. **श्री हेम राज** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ से पहले कितनी प्रशिक्षत जनता कृषि और उद्योगों का काम करती थी।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितने प्रतिशत लोगों ने कृषि के व्यवसाय को छोड़कर उद्योगों का कार्य प्रारम्भ कर दिया है ; और

(ग) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में कितने प्रतिशत लोगों ने कृषि के व्यवसाय को छोड़ कर उद्योगों का कार्य प्रारम्भ कर दिया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) १९५१ की जनगणना के अनुसार कृषि (उत्पादन) और कृषि उत्पादन के अतिरिक्त के कार्यों के सम्बन्ध में आंकड़े क्रमश : ६९.८ और १०.६ प्रतिशत थे।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). के आंकड़े १९६१ की जनगणना के आंकड़े प्राप्त हो जाने के बाद ही उपलब्ध हो सकेंगे ।

होटल जनपथ, नई दिल्ली

†२००१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटल जनपथ नई दिल्ली में विभिन्न वर्गों के कितने पद हैं ?

(ख) प्रत्येक वर्ग में कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) प्रत्येक पद के वेतन क्रम क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७२]**

जम्मू और काश्मीर में मध्यम आय वर्ग आवास योजना

†२००२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या निर्माण, आवास **और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य आय वर्ग आवास योजना को कार्यान्वित करने के लिए १९६०-६१ में जम्मू और काश्मीर राज्य को लघु धन मिल गया है, और

(ख) १९६०-६१ में योजना के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, नहीं । जम्मू और काश्मीर सरकार ने इसी योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के लिए किसी राशि की मांग नहीं की ।

(ख) पिछले वर्षों में जो राशि उन्हें मिली थी, उसमें राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में ३१ दिसम्बर १९६० तक, २६ मकानों के निर्माण के लिए ३.५३ लाख रुपये का ऋण मंजूर किया था। उस तारीख तक वास्तव में २.९७ लाख रुपये दिये गये थे और उस अवधि के अन्दर १७ मकानों का निर्माण पूर्ण हुआ था ।

जम्मू और काश्मीर में अनबिका हथकरघे का कपड़ा

†२००३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर में सहकारी **क्षेत्र में** अनबिका हथकरघे के कपड़े का इस समय कितना स्टाक है , और

(ख) उसे बेचने के लिए क्या कार्रवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में मत्स्य पालन उद्योग का सम्मेलन

†२००४. { **श्री वारियर**
श्री कोडियान
श्री पुन्नूस }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य पालन उद्योग का एक सम्मेलन दिसम्बर १९६० के बीच दिल्ली में हुआ था : और

(ख) यदि हां तो उसका व्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). दिल्ली में दिसम्बर १९६० के मध्य में मत्स्य पालन उद्योग का कोई ऐसा सम्मेलन नहीं हुआ। तथापि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा १४ दिसम्बर १९६० को एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिस में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, संबद्ध उद्योगों एवं संबद्ध राज्य सरकारों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, और उस में इस बात पर विचार किया गया था कि समुद्रतटीय मतस्यक्षेत्रों के लिये बेहतर किस्म के उपकरण का देश में ही निर्माण किया जाए। सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय सरकार के संबद्ध मंत्रालयों, उद्योगों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई गई है जो इन समस्याओं पर विस्तार पूर्वक विचार करेगी।

कर्मचारियों द्वारा कारों का आयात

†२००५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ पहली श्रेणी के अफसर जो डेपूटेशन पर विदेशों में गये थे, अपने भारत लौटने पर विदेशी बनी हुई नई या नवी.. प्राय कार ले आए हैं, और यदि हां तो अफसरों द्वारा ऐसी कितनी कारों का आयात किये जाने की अनुमति दी गई थी; और

(ख) यदि उन पर कोई शुल्क लिया गया तो कितना ?

†**[वा]णिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) सरकारी कर्मचारी और अन्य भारतीय राष्ट्रजन जो काफी लंबी अवधि के लिए विदेश रहे हैं, उन्हें शुल्क देकर भारत में कारें लाने दिया जाता है यदि वे कारें उनके प्रयोग में आती रही हैं और वे उनके कब्जे मे हैं।

इन कारों के उपयोग और स्वामित्व की निर्धारित राशि अब एक वर्ष है। ये सब आयात लाइसेंस के द्वारा किये गये हैं जिसमें विदेशी मुद्रा देने की अनुमति नहीं है। जारी किये गये लाइसेंसों संबंधी सूचना, आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण के साप्ताहिक बुलेटिन में प्रकाशित है, जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय को दे दी गई हैं। तथापि उनमें आयातकों व्यवसाय तथा दर्जे आदि नहीं दिये जाते।

(ख) भारतीय सीमा प्रशुल्क में निर्धारित दरों के अनुसार इन आयातों पर शुल्क लिया जाता है। तथापि विदेश स्थित भारतीय मिशनों को शुल्क से छूट मिली हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटर और जीप के विदेशी पुर्जे

†२००६. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास के बाजारों में बेचे गए मोटर और जीप के विदेशी पुर्जों की मात्रा और मूल्य के बारे में अनुमान लगाया गया है ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के बाजारों में बेचे गये मोटरों और जीपों के विदेशी पुर्जों की मात्रा और मूल्य के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है । तथापि इन बाजारों में इन पुर्जों की उपलब्धिता की मात्र का अनुमान संलग्न विवरण के दिये गये पिछले तीन लाइसेंस की अवधियों में किये गये पुर्जों के आयात के आंकड़ों से लगाया जा सकता है । **[देखिये परिशिष्ट ३ अनुबन्ध संख्या ७३]** मोटर गाड़ियों के पुर्जो का गुण प्रकार, जो देश में ट्रकों, जीपों और कारों के लिये बनाये जा रहे हैं, विदेशों से मंगवाये जाने वाले पुर्जों के गुण प्रकार के बराबर है ।

कपड़े का मूल्य

†२००७. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २१ दिसम्बर, १९६० से उत्तर प्रदेश में कपड़े के दाम कम कर दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो १ जनवरी १९६१ से अहमदाबाद में मूल्य क्यों कम किये गये थे ;

(ग) क्या इसका उत्तर प्रदेश के व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या कार्रवाई की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). २१ दिसम्बर, १९६० को वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री ने, कपड़ों के मूल्यों में और कमी करने के लिये भारतीय सूती कपड़ा मिल फेडरेशन द्वारा स्वेच्छापूर्वक बनाई गई एक शोधित योजना का सारांश लोकसभा में दिया । इन कटौतियों को देश के प्रत्येक कपड़ा मिल में सामान रूप से लागू करना था। चाहे वे किसी भी राज्य में स्थित हों । अत: उत्तर प्रदेश और अहमदाबाद के मिलों के बीच कोई अन्तर नहीं था । सरकार को इस आशय का कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश में व्यापार पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा ।

उद्योगों के लिये विदेशी सहयोग

†२००८. { **श्री मुरारका** :
श्री नथवानी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री उद्योगों की स्थापना के लिये भारतीय फर्मों के साथ विदेशी वित्तीय एवं प्रविधिक सहयोग के बारे में १७ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) विदेशी सहयोग के लिये कितना धन दिया जाएगा;

(ख) इन में से कितना धन आवर्त्तक होगा और कितना अनावर्त्तक; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रत्येक उपक्रम में साधारण अंशों के रूप में कितनी पूंजी आवंटित की जाएगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). १७ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८८ के उत्तर में कहा गया था कि अप्रैल और अक्तूबर, १९६० के बीच भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोग करारों की कुल संख्या २२८ थी इन करारों के सम्बन्ध में एकस्व आदि की अदायगी का प्रश्न केवल औद्योगिक इकाइयों के स्थापना के बाद ही पैदा होगा और इस समय उन वास्तविक अनुमानों का हिसाब लगाने का कोई साधन नहीं है, जो विदेशी सहयोगियों को देनी पड़ेंगी, क्योंकि इन भुगतानों का उत्पादित माल के वार्षिक आंकड़ों से सम्बन्ध है।

(ग) अंश जारी करने के बारे में यह बात है कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोग मामलों में जरूरी नहीं है कि साधारण अंश जारी ही किये जायें। इसके अतिरिक्त, बहुत से मामलों में अंश जारी करने का प्रश्न बाद में पैदा होगा जब वास्तव में कम्पनियां स्थापित की जायेंगी।

यदि माननीय सदस्य किन्हीं विशिष्ट मामलों के बारे में सूचना चाहते हैं तो मैं प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दूंगा।

कम्पनियों का पंजीयन

२००९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० की समाप्ति तक भारत में कितनी कम्पनियों का पंजीयन हुआ ; और

(ख) क्या साम्प्रदायिकता के आधार पर किसी कम्पनी का पंजीयन करने से इंकार कर दिया गया था ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) इस प्रश्न में शायद उन कम्पनियों की संख्या से अभिप्राय है, जिन का पंजीयन १९६० के कलण्डर वर्ष में किया गया है। ऐसी कम्पनियों की संख्या १६४१ थी।

(ख) जी नहीं।

नागा विद्रोहियों द्वारा आक्रमण

†२०१०. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री शि० ला० सक्सेना :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ जनवरी, १९६१ को सशस्त्र नागा विद्रोहियों ने तुएनसांग में एक सप्लाई दस्ते पर छिप कर आक्रमण कर दिया, जिसकी रक्षा आसाम राइफल्स का दस्ता कर रहा था और मुकाबले में कई लोग घायल हो गए; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). १३ जनवरी, १९६१ की प्रातः, एक ओवरसियर, एक कम्पाउण्डर, और दस कुली का एक दल सामान ले

---

†मूल अंग्रेजी में

जा रहे थे, और सुरक्षा बल का एक छोटा दस्ता उनकी रक्षा के लिये था, और यह दल तुएनसांग जिला के पूर्वी भाग में जा रहा था जिस पर कुछ लगभग ५० विद्रोहियों ने, जिनके पास दो लाइट मशीनगनें, एक स्टेनगन और राइफलें थीं, इन पर आक्रमण कर दिया। विद्रोहियों ने अनुमानतः ३०० गोलियां चलाईं। मुकाबले में रक्षा दल के ५ व्यक्ति तथा तीन कुली मारे गये और रक्षा दल के दो लोग, दो कुली तथा एक ओवरसियर घायल हो गए। सूचना मिलने पर, विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिये घटनास्थल पर और सैनिक पहुंच गये, किन्तु इस बीच विद्रोही भाग चुके थे।

पंजाब में आवास योजनायें

†२०११. { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) अल्प आय वर्ग आवास योजना तथा (२) मध्यम आय वर्ग आवास योजना को कार्यान्वित करने के लिये १९५९-६० और १९६०-६१ में अब तक कितनी राशि आवंटित की [illegible] और

(ख) १[illegible]-६० और १९६०-६१ में उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई है ?

[illegible], **आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७४]**

पंजाब में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

†२०१२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ वर्ष के लिये पंजाब में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ख) [illegible]६०-६१ में योजना के अन्तर्गत कितने मकान बनाये जा रहे हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना की कार्यान्विति करने के लिये १९६०-६१ में पंजाब सरकार को २० लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

(ख) पंजाब में ३१ मार्च, १९६० तक राज्य सरकार और सहकारी संस्थाओं द्वारा योजना के अन्तर्गत [illegible] मकानों के अतिरिक्त, १९६०—६१ में ४५२ और मकान पूरे किये गये हैं तथा ३१ जनवरी, १९६१ को ५५३ मकान और बन रहे थे।

पंजाब में रेशम के कीड़े पालने का उद्योग

†२०१३. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० में रेशम कृमि पालन के विकास के लिये पंजाब सरकार को कितना ऋण और कितनी सहायता दी गई थी तथा १९६१ में कितनी राशि दिये जाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): १९६०-६१ में रेशम कृमि पालन उद्योग के विकास के लिये ९१,००० रुपये ऋण तथा ३३००० रुपये अनुदान के रूप में दिये गये थे।

वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये ४ लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

स्टोर क्लर्क और अन्य तृतीय श्रेणी अनुसचिवीय कर्मचारी

†२०१४. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यभारित लोगों में से कितने स्टोर क्लर्कों और अन्य तृतीय श्रेणी अनुसचिवीय कर्मचारियों को १ अप्रैल, १९५८ से, नियमित पदों पर लाया गया था ;

(ख) क्या इन सब कर्मचारियों की वरिष्ठता को पदोन्नति और छंटनी के लिये, अनुसचिवीय कर्मचारियों की वर्तमान मण्डलीय वरिष्ठता के [illegible] मिला दिया गया है ;

(ग) क्या इन सब कर्मचारियों का वरिष्ठता को स्थायीकरण के लिये अनुसचिवीय कर्मचारियों की वर्तमान अखिल भारतीय वरिष्ठता क साथ मिला दिया गया है ; और

(घ) जी नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) (१) स्टोर क्लर्क ४३

(२) अन्य तृतीय श्रेणी अनुसचिवीय कर्मचारी १०५

(ख) ग्रेड १ के स्टोर क्लर्कों के बारे में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मण्डलीय वरिष्ठता सूचियां तैयार की जा रही हैं। अन्य तीसरी श्रेणी के अनुसचिवीय कर्मचारियों के बारे में मण्डलीय वरिष्ठता सूचियां अभी तैयार नहीं की गई हैं।

(ग) ग्रेड १ के स्टोर क्लर्कों की वरिष्ठता स्थायीकरण के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अपर डिवीजन क्लर्कों की वर्तमान अखिल भारतीय वरिष्ठता के साथ मिलाई जा रही है। अन्य तृतीय [illegible] के अनुसचिवीय कर्मचारियों के बारे में अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची अभी तक तैयार नहीं की गई है।

(घ) मामलों पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और वित्त मन्त्रालय के परामर्श से विचार [illegible] रहा है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरण

†२०१[illegible]. श्री तंगामणि : क्या निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री १३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७६९ के भाग (ङ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस तिथि को दिल्ली नगर निगम को औद्योगिक कार्यों को हस्तान्तरण करने के बारे में फैसला किया गया था और किस तिथि को यह प्रस्थापना पहली बार आरम्भ की गई थी ;

(ख) जो काम दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित किये जा रहे हैं उनके कितने अस्थायी एवं अर्ध स्थायी कर्मचारी सी० पी० डब्ल्यू० डी० के अन्य कामों को स्थानान्तरित किये जा रहे हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि सब अस्थायी और अर्ध स्थायी कर्मचारियों को, जो उस तिथि को काम पर लगाये गये थे जब दिल्ली नगर निगम को काम हस्तान्तरित किये जाने का फैसला किया गया था, नवम्बर, १९६० में छंटनी के नोटिस दिये गये थे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से दिल्ली नगर निगम को औद्यानिकी कामों के हस्तान्तरण का फैसला १६ नवम्बर, १९६० को किया गया था। यह प्रस्ताव पहले पहल १६ जुलाई, १९६० को निगम द्वारा आरम्भ किया गया था।

(ख) १६ नवम्बर, १९६० से कोई व्यक्ति स्थानान्तरित नहीं किया गया था।

(ग) जी, हां। तथापि तब से नोटिस वापिस ले लिये जा चुके हैं क्योंकि समूचे औद्यानिकी निदेशालय में सब से कनिष्ठ लोगों की छंटनी करने का फैसला किया गया है।

विदेशी फिल्मों का आयात

२०१६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९---६१ में भारत में कितनी विदेशी फिल्मों का आयात किया गया और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ख) क्या इस बारे में कोई शिकायतें मिली हैं कि कुछ फिल्में अश्लील और भारतीय वातावरण के प्रतिकूल हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) फिल्मों के आयात सम्बन्धी आंकड़े फुटों के हिसाब से रखे जाते हैं, संख्या के हिसाब से नहीं। इसलिये किसी विशेष वर्ष में आयात की गई फिल्मों की संख्या के बारे में सही जानकारी देना सम्भव नहीं है। फिर भी, आयात की गई उन सभी श्रेणियों की फिल्मों की संख्या, जो फ़िल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा सिनेमेटोग्राफ, अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये प्रमाणित की गईं, नीचे दी गई हैं :—

१९५९-६० . . .	१,६४०
१९६० ६१ (फरवरी, ६१ तक) . .	१,४२०

विदेशी फिल्में आम तौर पर किराये पर आयात की जाती हैं। अप्रैल, १९५९ से दिसम्बर, १९६० तक ऐसी फिल्मों के किराये की मद में भेजी गई वास्तविक धन-राशि ५१.७ लाख रुपये थी। लेकिन यह बताना सम्भव नहीं है कि इस धन राशि में १९५९–६० और १९६०–६१ में प्रमाणित की गई फ़िल्मों से हुई आमदनी कितनी है। किराये की रक़म का अधिक भाग भारत में ही रह जाता है।

(ख) और (ग). कोई खास शिकायत नहीं मिली है, यद्यपि समय-समय पर इस सम्बन्ध में कुछ मत प्रकट किये गये हैं जो हमारे ध्यान में आये हैं। सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये प्रमाणित किये जाने से पहले फिल्मों को फ़िल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, १९५२, के अन्तर्गत जांचा जाता है। सरकार ने बोर्ड को निदेश दे रखे हैं कि सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये फिल्मों को स्वीकृति देते समय उसे किन सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिये। ये निदेश उन दृश्यों, अनुक्रमों, गानों इत्यादि के समावेश को रोकने के लिये काफ़ी व्यापक हैं जो अश्लील हों या शिष्टाचार के स्वीकृत नियमों

---

†मूल अंग्रेजी में

को क्षति पहुंचाने वाले हों, या देखने वालों के नैतिक स्तर को गिराने वाले हों। इन निदेशों की एक प्रति तारांकित प्रश्न संख्या १०३६ के उत्तर में, २२ मार्च, १९६० को लोक-सभा की मेज पर रखी गई थी। सरकार को सन्तोष है कि बोर्ड इन निदेशित सिद्धान्तों पर पर्याप्त ध्यान दे रहा है।

बीड़ी और बीड़ी के तम्बाकू का निर्यात

†२०१७. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से बीड़ी का निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो कितना वार्षिक निर्यात किया जाता है और कहां;

(ग) क्या बीड़ी के तम्बाकू और पत्तों का भी निर्यात किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो कितना वर्ष भर में और कहां ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** :(क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७५]

उत्तर प्रदेश में खादी और ग्राम उद्योग

†२०१८. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग की प्रमापन समिति के आरम्भ से समिति ने कितनी संस्थाओं को प्रमाणपत्र दिये हैं ;

(ख) १९६० में उत्तर प्रदेश में कितनी संस्थाओं को प्रमाणपत्र दिये गये हैं ;

(ग) १९६० में उत्तर प्रदेश में कितनी प्रमाणित संस्थाओं के प्रमाणपत्र रद्द किये गये थे ;

(घ) और संस्थाओं के क्या नाम हैं और वे कहां पर हैं तथा प्रमाणपत्र रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या भारी प्रतिष्ठान लागत होने के कारण, पर्याप्त सहायता के बावजूद खादी का मूल्य बढ़ रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १३५

(ख) ६२

(ग) ३

(घ) अपेक्षित जानकारी वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) जी नहीं।

विवरण

नाम और स्थान	रद्द किये जाने के कारण
१. पर्वतीय नवजीवन मंडल सिलमारा जिला टिहरी गढ़वाल	संस्था ने स्वेच्छा से काम करना बन्द कर दिया है।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

२. हरिजन गुरुकुल गांधी ग्राम दोहरीघाट, जिला आजमगढ़	संस्था खादी ग्रामोद्योग समिति, हरिजन गुरुकुल, जिला आजमगढ़ के साथ मिल गई है।
३. खादी उद्योग सहकारी समित, जिला प्रयाग	संस्था काम नहीं कर रही थी।

फैक्टरियां

†२०१९. { **श्री कालिका सिंह :** **श्री नवल प्रभाकार :** **श्री भक्त दर्शन :** }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैक्टरियों की १९५९ में राज्यवार संख्या कितनी थी ; और

(ख) १९५९ में १९५१ के आंकड़ों की तुलना में फैक्टरियों की संख्या में राज्यवार कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी और विभिन्न राज्यों में वृद्धि की दर में अन्तर होने का क्या कारण है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) (फैक्टरी अधिनियम १९४८ के अन्तर्गत पंजीबद्ध फैक्टरियां) :

आंध्र प्रदेश	४८०२
आसाम	११८१
बिहार	५५४७
बम्बई	११३९८
जम्मू और काश्मीर	उपलब्ध नहीं
केरल	,,
मध्य प्रदेश	१९१५
मद्रास	५६८०
मैसूर	२२४३
उड़ीसा	३६३
पंजाब	२९००
राजस्थान	७३६
उत्तर प्रदेश	२३६०
पश्चिम बंगाल	३९००
अंदामान निकोबार द्वीप समूह	६
दिल्ली	९६५
हिमाचल प्रदेश	२०
मनीपुर	उपलब्ध नहीं
त्रिपुरा	५७

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५९ में १९५१ की अपेक्षा फैक्टरियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इस बात के कारण राज्यवार नहीं आंकी जा सकती क्योंकि १९५१ की उपलब्ध सूचना उन राज्यों से सम्बन्धित है जो १९५७ के पुनर्गठन के पहले विद्यमान थे अतः यदि वृद्धि में कोई अन्तर है, उसके कारण नहीं बताये जा सकते ।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों से निकाले गये लोगों के लिये मकान

†२०२०. { **श्री प्र० गं० देव :**
श्री सम्पत :
डा० विजय आनन्द : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गन्दी बस्तियों से निकाले गये लोगों के लिये बनाये गये मकानों का उपयोग उन लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है जिन्हें वे अलाट किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो आवंटन रद्द करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उप-मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) दिल्ली में अब तक बनाये गये ४९२६ आवास स्थानों में गन्दी बस्तियों से निकाले गये लोगों को बसाने के लिये आवंटन की वर्तमान स्थिति नीचे दर्शायी जाती है :

श्रेणी	मकानों की संख्या
(१) पहले गन्दी बस्तियों में रहने वाले परिवारों के कब्जे में .	२९७०
(२) दिल्ली नगरपालिका निगम को भण्डार रखने के लिये आवंटित .	२
(३) बस्ती के निवासियों के लाभार्थ इंडियन रेड क्रास सोसाइटी को आवंटित	२
(४) उन लोगों के कब्जे में जिन्हें वे आवंटित नहीं हो सकते . .	५०२
(५) निर्माण पूरा हो चुका है और आवंटन के लिये शीघ्र ही नगरपालिका निगम को सौंपे जाने वाले हैं	६४०
(६) आवंटन होने वाला है	८१०
जोड़	४९२६

(ख) दिल्ली नगरपालिका निगम, जो गन्दी बस्तियों की सफाई योजना के अन्तर्गत बनाये गये मकानों के आवंटन के लिये जिम्मेवार है, गन्दी बस्तियों के अर्ह निवासियों को आवंटित करने के लिये कार्रवाई कर रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

डाक बंगले और सर्किट हाउस

†२०२१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक बंगलों और सर्किट हाउसों के प्रबन्धकों द्वारा उनका दुरुपयोग किये जाने आदि के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो सरकारी काम पर यात्रा करने वाले सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर छोटी श्रेणियों के कर्मचारियों को स्थान न देकर पर्यटकों को उनमें रखते हैं और इस प्रकार यात्रियों के टिप के द्वारा धन जमा करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में जांच की गई है ; और

(ग) उसका क्या निर्णय निकला है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) जी नहीं, । यह सूचना केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के डाक बंगलों के बारे में है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मध्य प्रदेश में नयी कागज मिल

†२०२२. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोई नयी कागज मिल चालू की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). मध्य प्रदेश में कागज तैयार करने के तीन बड़े और चार छोटे कारखानों को अब तक लाइसेंस दिये जा चुके हैं । उनके नाम, स्थान, क्षमता और प्रारंभ होने का संभावित समय बताने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७६]**

जिला कोरापुट में विस्थापित व्यक्ति

†२०२३. **श्री संगण्णा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि जिला कोरापुट में बसाये गये व्यक्तियों को खेती के लिए आवश्यक बैल अभी तक नहीं दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास उप-मंत्री (श्री पू० श० नास्कर)** : (क) और (ख). जिला कोरापुट में अभी तक ४५१ परिवारों को खेती की जमीन दी गयी है और उनमें से ३४६ परिवारों को बैल दिये जा चुके हैं । बाकी लोगों को बैल देने की व्यवस्था जारी है । देर इस कारण है कि उस क्षेत्र में अच्छी नस्ल के बैल नहीं मिलते और प्रत्येक व्यक्ति को स्थानीय पशु बाजारों में से कहीं से स्वतः बैल चुनने में समय लगता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में खादी और अम्बर खादी का उत्पादन

†२०२४. { **श्री कालिका सिंह :**
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में उत्तर प्रदेश में परम्परागत और अम्बर खादी का क्रमशः महावार कितना कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) १९६०-६१ में उत्तर प्रदेश में अम्बर चर्खे से अधिकतम प्रति व्यक्ति दैनिक कमाई कितनी हुई ;

(ग) अम्बर चर्खे की प्रतियोगिता से परंपरागत चर्खे का संरक्षण करने के लिए क्या किया जा रहा है ; और

(घ) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में अम्बर चर्खे से उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो चुका है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

खाल और चमड़े का निर्यात

†२०२५. { **श्री कालिका सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्ची खाल और चमड़ा भारत से काफी मात्रा में निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां तो १९५९, १९६० और १९६१ में अब तक निर्यात के क्या आंकड़े हैं;

(ग) किन किन देशों को निर्यात किया जाता है ;

(घ) उनका निर्यात बढ़ाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ङ) भारतीय निर्माताओं द्वारा कच्ची खाल और चमड़े की खपत की कितनी क्षमता है और वह क्षमता बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ; और

(च) क्या कच्ची खाल और चमड़े के उपयोग से संबंधित छोटे उद्योगों को अपने काम काज बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सहायता मिल रही है और यदि हां तो कितनी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (घ). देश के चमड़ा उद्योग के हित में कच्ची खालों के निर्यात के लिए अनुमति नहीं दी जाती। केवल भेड़ का कच्चा चमड़ा जिसे पैप्राज़ कहते हैं और बकरे का कच्चा चमड़ा थोड़ी मात्रा में निर्यात किया जा सकता है ।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है ? **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७७]**

(ङ) देश में कमाई हुई खालों का वास्तविक उत्पादन स्थापित क्षमता से बहुत ही कम है । अनुमान है कि अभी फिलहाल कच्ची खाल कमाने की क्षमता के लगभग ६० प्रतिशत का ही उपयोग

†मूल अंग्रेजी में

किया जा रहा है । यद्यपि खाल और चमड़ा कमाने की स्थापित क्षमता बढ़ाने की अभी कोई योजना नहीं है, फिर भी देशी उद्योग को अपना उत्पादन बढ़ाने में मदद देने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :

(१) जिन कच्ची खालों की सप्लाई बहुत कम है ; उनके निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है ।

(२) कच्ची खालों और चमड़ों के आयात की नीति सरल बना दी गयी है ।

(३) चमड़ा कमाने की मुख्य वस्तुओं—वैटल बार्क और एक्स्ट्रेक्ट्स के आयात की नीति सरल बना दी गयी है ।

(४) चमड़ा और चमड़े की चीजों के आयात पर कठोर निर्बन्धन लगा दिये गये हैं ।

(५) चमड़ा और चमड़े की चीजों के निर्यात पर से पूरी तरह नियंत्रण हटा लिया गया है ।

(६) द्विपक्षीय व्यापार करारों में निर्यात की वस्तुओं मे चमड़ा और चमड़े की चीजें शामिल की गयी हैं ।

(७) बकरे के कच्चे चमड़े के निर्यात पर निर्बन्धन लगा दिया गया है ।

(च) कच्ची खालों और चमड़े के उपयोग से संबंधित छोटे उद्योगों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता दी जा रही है । चमड़ा तैयार करने और चमड़े की चीजें बनाने में छोटे औद्योगिक कारखानों में विशिष्ट सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने रेवाड़ी (पंजाब), त्रिचूर (केरल) और एरोडे (मद्रास) में तीन विस्तार केन्द्र खोले हैं । पंजाब और आन्ध्र प्रदेश के वित्त निगमों ने चमड़ा उद्योग के छोटे कारखानों को ऋण दिया है । यह उद्योग संगठन, उत्पादन और तकनीकी जानकारी की विशेष समस्याओं के संबंध में लघु उद्योग सेवा शालाओं तथा विभिन्न राज्यों में स्थित उनकी शाखाओं के तकनीकी कर्मचारियों की राय से भी लाभ उठा सकता है ।

राज्यों द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय पत्रिकायें

†२०२६, **श्री कालिका सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सभी राज्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित अर्थ शास्त्र तथा सांख्यिकी संबंधी मासिक पत्रिका की तरह सांख्यिकी संबंधी पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं ;

(ख) यदि हां तो उन पत्रिकाओं के नाम क्या हैं (राज्यवार) ;

(ग) क्या ये पत्रिकाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित स्तर के अनुरूप हैं ;

(घ) इन पत्रिकाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित अन्तराष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार सांख्यिकी संबंधी कौन सी पत्रिका प्रकाशित करती है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). राज्यों के अधिकतर सांख्यिकी कार्यालय अपने अपने बुलेटिन प्रकाशित करते हैं लेकिन उनकी अवधि भिन्न भिन्न होती हैं । आवश्यक जानकारी वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी हां। सांख्यिकीय पत्रिकाओं के लिए न्यूनतम स्तर केन्द्रीय और राज्यीय संख्या शास्त्रज्ञों के दूसरे सम्मेलन (१९५३) ने निर्धारित किये थे। राज्य सांख्यिकीय कार्यालयों ने उनमें कुछ परिवर्तन करके उन्हें स्वीकार कर लिया है ताकि वे स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप हों।

(घ) भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित स्तरों में निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों का भी समावेश है।

(ङ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित "मन्थली एब्स्ट्रेक्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स" केन्द्रीय सरकार की सांख्यिकीय-पत्रिका है। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय और भी दूसरी सांख्यिकीय पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं।

काजू का निर्यात

†२०२७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन देशों को भारतीय काजू निर्यात की जाती है ;

(ख) पिछले तीन साल में उसके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(ग) उसका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) से (ग) दो विवरण संलग्न हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७९]**

तम्बाकू का निर्यात

†२०२८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन देशों को भारतीय तम्बाकू का निर्यात किया जाता है ;

(ख) पिछले तीन साल में उसके निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(ग) उसका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) से (ग). दो विवरण संलग्न हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८०]**

औद्योगिक मशीनों का आयात

†२०२९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन साल में विदेशों से किस तरह की औद्योगिक मशीनें मंगायी गयीं और उनका क्या ब्यौरा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन पर कुल कितनी रकम खर्च की गयी ; और

(ग) इस संबंध में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). औद्योगिक मशीनों के आयात के आंकड़े इस प्रकार हैं :——

(लाख रुपयों में कीमत)

	१९५८	१९५९	१९६० (जनवरी—नम्बबर)
१. बिजली पैदा करने की मशीन	२५०८	२५३७	२१५१
२. खेती की मशीनें और औजार	४५०	३१७	५६५
३. धातु पर काम करने की मशीनें	२६४७	२७७१	२८५२
४. खनन और दूसरी औद्योगिक मशीनें .	२९७५	२७९८	३४२६
५. वस्त्र मशीनरी और सहायक मशीनें	१३८८	१४२७	१९२९
६. सिलाई की मशीनें . .	३५	२०	४२
७. एयर कंडिशनिंग और रेफ्रिजरेशन साजसामान . . .	२४०	१९९	२१३
८. दूसरी औद्योगिक मशीनें . .	३६५४	४४६८	४४४६
९. इलेक्ट्रिक मशीनरी अपैरेटस एण्ड अप्लायेन्सेज़ . . .	४९०४	५००१	४७१५
कुल .	१८८०१	१९५३८	२०३३९

(ग) देश में औद्योगिक विकास आत्मनिर्भर हो सके इस के लि` सरकार ने मशीनी औजार, बिजली का भारी साजसामान, भारी मशीनें और भारी ढलाईकर जैसी औद्योगिक मशीनें तैयार करने के लिये सरकारी क्षेत्र में कई परियोजनायें पहले ही चालू कर ी हैं। सरका ी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक मशीनों की क्षमता के विस्तार के लिये और योजनायें भी बनाई गई हैं। चीनी, कागज, सीमेंट और रासायनिक पदार्थ जैसे बड़े उद्योगों के लिये मशीनें तैयार करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में कई कारखानों को लाइसेंस भी दिये जा चुके हैं और सरकार की यह नीति है कि औद्योगिक मशीनें तैयार करने के क्षेत्र में नये कारखानों की स्थापना और विद्यमान कारखानों के विस्तार को प्रोत्साहन दिया जा` । अनुमान है कि देश में १९६० में १६०.२ क ोड़ रुपये की औद्योगिक मशीनें और बिजली की मशीनें और साजसामान ैयार किया गया ।

सामरिक महत्व की वस्तुओं का तिब्बत को निर्यात

†२०३०. { **श्री ले० अचौ सिंह :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालिम्पोंग की कुछ मारवाड़ी फर्मों ने सिकिम के पोलिटिकल अफसर के कर्मचारियों के साथ मिलजुल कर सामरिक महत्व की कुछ वस्तुयें तिब्बत भेजी थीं; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों को ड देने और लेन देन बन्द करने के लिये क्या कार्य-वाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). इस संबंध में कुछ बातें सरकार को मालूम हुई हैं और अभी तक उनकी पुष्टि नहीं हुई है । लेकिन जांच पड़ताल जारी है ।

नयी दिल्ली में गगन चुम्बी इमारतें

†२०३१. **श्री राम कृष्ण गप्त :**
ग्यानी गु० सिं० मुसाफिर :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरानी और नई दिल्ली में मकानों की कमी पूरी करने के लिये नई दिल्ली में गगनचुम्बी इमारतें बनाने की योजनाओं पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को रहने के लिये गगनचुम्बी इमारतें बनाना मौसमी हालतों तथा ऐसी इमारतों के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा के कारण उचित नहीं समझा जाता । फिर भी उपलब्ध जमीन के गहन उपयोग की ृष्टि से, सरकारी कर्मचारियों के लिये चार मंजिलों वाले मकान बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

कम लागत वाले मकानों की विभिन्न ोजनाओं के अन्तर्गत गरीब लोगों के लि मकानों में दो, तीन या अधिक से अधिक चार मंजिलें होंगी जिनमें लिफ्ट नहीं होगी व ोंकि लिफ्ट सहित कई मंजिलों वाली इमारतें लाभदायक नहीं समझी जातीं ।

मनीपुर में छोटे पैमाने के उद्योग

†२०३२. **श्री लें० अचौ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ में मनीपुर में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये दिये गये ऋण पूरी तरह काम में लाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो फर्मों, सहकारी समितियों और अलग-अलग व्यक्तियों को क्रमशः कितनी रकमें दी गईं ; और

(ग) खास कर किन-किन उद्योगों के लिये वे दी गई हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). उद्योगों को राज्यीय सहायता अधिनियम/विनियमन के अधीन छोटे पमाने के औद्योगिक कारखानों को देने के लिये १९६०-६१ में मनीपुर प्रशासन को १ लाख रुपये का कर्ज मंजूर किया गया था। इस का पूरा पूरा उपयोग किया

†मूल अंग्रेज़ी मे

गया है । प्रशासन ने यह रकम ६६ औद्योगिक संस्थाओं को अर्था् साझेदारी की ो फर्मों, १३ सहकारी समितियों और ५१ व्यक्तियों को मंजूर की है । सभी फर्मों के नाम बताना संभव नहीं है ।

होटल, जनपथ नयी दिल्ली

†२०३३. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में होटल जनपथ का एक हिस्सा शाकाहारियों के लिये रखने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) और (ख). ऐसा एक अनुभाग चालू करने की प्रार्थना पर अभी विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के मामले

†२०३४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में भ्रष्टाचार के लिय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कितने कर्मचारियों को पकड़ा गया ;

(ख) उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने गैर-सरका ी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(घ) उन के विरुद्ध क्या का वाही की गई ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) और (ख). पुलिस ने एक लोअर डिविज़न क्लर्क को सरका ी पया लेकर फरार होने पर गिरफ्तार कर लिया था । उसकी नौकरी खत्म कर दी गई है और पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है । वर्ष १९६० में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के और किसी कर्मचारी को भ्रष्टाचार के लिये गिरफ्तार नहीं किया गया था ।

(ग) इस सम्बन्ध में किसी भी गैर-सरकारी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया था ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

निष्क्राम्य सम्पत्ति

†२०३५. **श्री शिवदत्त उपाध्याय** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में कितने मामलों में निष्क्राम्य सम्पत्ति के लिये बोली इस आधार पर नामंजूर कर ी गई कि बोली के समय उन्हें दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की रकम बोली की रकम के १० प्रतिशत से कम थी ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) कितने मामलों में बोली उस हालत में भी मंजूर की गई जबकि वास्तविक क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति की रकम से १० प्रतिशत कम थी ; और

(ग) इस सम्बन में अलग-अलग मामलों में विरोधी नियम लागू करने के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) कोई नहीं ।

( ) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मिलों का आर्थिक वैज्ञानिकन

†२०३६. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य की सारी कताई मिलें लाभदायक हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उनका वैज्ञानिकन करने या उन्हें लाभदायक ढंग से चलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) ऐसी कितनी मिलें हैं जिनके वैज्ञानिकन की आवश्यकता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). कपड़ा मिल के लिये आर्थिक दृष्टि से लाभदायक आकार क्या हो इस प्रश्न पर राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा नियुक्त कारी दल ने इस प्रकार रिपोर्ट दी है :--

> "हमारी यह राय है कि सभी बातों को तौलने पर, वर्तमान परिस्थितियों में न्यूनतम लाभदायक और संभव कपड़ा मिल में १२,००० तकुए और ३०० करघे होने चाहियें । जब कि यह पूर्णतः न्यूनतम क्षमता है हम यह भी सुझाव देंगे कि जहां तक संभव हो, उद्योग १८,००० तकुए और ४०० करघों तक पहुंच सकता है और उस से आगे लगभग २५,००० तकुए और लगभग ५०० करघों तक भी बढ़ सकता है ।"

मद्रास राज्य तथा अन्य राज्यों की मिलें जो उपर्युक्त १२,००० तकुए और ३०० करघों के न्यूनतम स्तर तक नहीं पहुंचतीं, अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की अनुमति के लिये आवेदन कर सकती हैं और उन आवेदन पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा ।

(ग) कितने मिलों के वैज्ञानिकन की आवश्यकता है इस बारे में सरकार के पास जानकारी नहीं है ।

दंडकारण्य परियोजना के लिए ट्रैक्टर

†२०३७. **श्री वै० च० मलिक** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा दंडकारण्य परियोजना के लिये दिये गये सभी ट्रैक्टर अब चालू कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन ट्रैक्टरों के उपयोग के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख) गत वर्ष दिये गये ५८ ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में ३१ जनवरी, १९६१ को स्थिति इस प्रकार थी :—

(क) डी–८० ट्रैक्टर

ट्रैक्टरों की कुल संख्या १६

सभी दंडकारण्य में हैं। ८ ट्रैक्टर चल रहे हैं और ८ तैयार हो रहे हैं। वे १६ फरवरी तक चालू हो जायेंगे।

(ख) डी–१२० ट्रैक्टर

ट्रैक्टरों की कुल संख्या १९

दो ओवरहाल्ड इंजन और १७ नये इंजन दंडकारण्य लौट आये हैं।

११ तैयार हो चुके हैं और ८ तैयार हो रहे हैं। फरवरी के आरम्भ में कलकत्ते से ५४२ क्लीनर्स भेजे जा रहे हैं। सभी १५ दिन में तैयार हो जायेंगे।

शेष २३ ट्रैक्टरों में से

१४ चालू हैं;

८ तैयार हो रहे हैं;

१ तैयार नहीं है क्योंकि पूर्जे नहीं मिल रहे हैं।

सारांश

२२ ट्रैक्टर (८ डी–८० के और १४ डी–१२० के) आज चालू हैं।

३५ ट्रैक्टर (८ डी–८० के और २७ डी–१२० के) तैयार हो रहे हैं और अनुमान है कि फरवरी, १९६१ के अन्त तक खेतों में पहुंच जायेंगे।

१ ट्रैक्टर पुर्जों की प्रतीक्षा में है।

जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानियों के सीमावर्ती आक्रमण

†२०३८. **शेख मुहम्मद अकबर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर राज्य में पाकिस्तानियों के सीमावर्ती आक्रमणों में १९५९-६० में कितने व्यक्ति मारे गये ; और

(ख) इस प्रकार की हत्यायें रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १९५९ और १९६० में पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में आक्रमणों के फलस्वरूप ८ भारतीय राष्ट्रजन मारे गये और १६ घायल हुए। आक्रमणकारियों में से १२ व्यक्ति मारे गये और ८ घायल हुए।

(ख) ये दुर्घटनायें रोकने के लिये प्रत्येक संभव कार्यवाही की जा रही है लेकिन चूंकि पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आने वाले सशस्त्र आक्रमणकारियों के हाथ में सारी बात है इस लिये अकेले केवल हमारे प्रयत्नों से ये दुर्घटनायें रोकी नहीं जा सकतीं।

†मूल अंग्रेज़ी में

नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

†२०३९. **शेख मुहम्मद अकबर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृगीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ५०० रु० से कम वेतन वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल में कुल कितने क्वार्टर बनाये जाने की प्रस्थापना है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : स्वीकृत कार्यक्रम के अधीन ५०० रुपये प्रति मास से कम वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये ६४२८ क्वार्टर बन रहे हैं अथवा बनाये जायेंगे । इसमें चतुर्थ श्रेणी के और कर्मभारित कर्मचारी भी शामिल हैं। इनमें से अधिकांश मकान तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में आवंटित किये जा सकेंगे । तृतीय पंचवर्षीय ोजना-काल में इस आय-वर्ग के कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त मकान बनाने के कार्य क्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

मनीपुर लोक-निर्माण विभाग

†२०४०. **श्री लें० अचौ सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर लोक-निर्माण विभाग की कर्मशाला शाखा में श्रमिकों की कोई संनाभावलि (मस्टर-रोल) है; और

(ख) यदि हां, तो उन श्रमिकों की क्या संख्या है और वे अधिकतम कितने समय से नौकरी पर हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, हां ।

(ख) श्रमिकों की संख्या ५३ है । श्रमिकों की संख्या आवश्यकतानुसार घटती, बढ़ती रहती है और इस लिये उनकी नौकरी लगातार नहीं रह सकती । मस्टर-रोल वाले किसी श्रमिक द्वारा की गई सेवा की सबसे लम्बी अवधि चार वर्ष है। इस में बीच-बीच में हुआ सेवा-भंग (ब्रेक) भी शामिल है ।

मनीपुर लोक निर्माण विभाग

†२०४१. **श्री लें० अचौ सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर लोक-निर्माण विभाग के (कारखाना शाखा के अतिरिक्त) विभिन्न विभागों में पिछले तीन वर्षों में अस्थायी श्रमिकों की संख्या बढ़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के आंकड़े क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अस्थायी श्रमिकों की संख्या निम्न प्रकार है :

१९५८-५९	११६१
१९५९-६०	९०३
१९६०-६१	९९४

†मूल अंग्रेज़ी में

सतीगुडा बांध परियोजना

†२०४४. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य प्राधिकार के मलकानगिरि जोन में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग कब से सतीगुड़ा बांध परियोजना की जांच कर रहा है ; और

(ख) क्या इस ग्रीष्म ऋतु में बांध पर निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने की कोई सम्भावना है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) दिसम्बर, १९५९ से।

(ख) बांध का निर्माण-कार्य इस बात पर निर्भर है कि उमरकोट और परालकोट के दो वर्तमान पुनर्वासित जोनों के अतिरिक्त एक और तृतीय जोन में पुनरवापण कार्य आरम्भ किया जाना आवश्यक है या नहीं। जैसा संभवतः माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि शिविर में रहने वाले परिवार पश्चिम बंगाल से दण्डकारण्य में इस समय बहुत कम संख्या में जा रहे हैं।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर के सहायक कारखाने

†२०४५. { **श्री रामी रेड्डी** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर ने दो सहायक कारखाने स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वे कहां पर स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह सुझाव दिया है कि उनमें से एक हैदराबाद में स्थापित किया जाये ; और

(घ) प्रस्तावित कारखानों की लागत और क्षमता क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने दो अतिरिक्त कारखाने लगाने का प्रस्ताव किया है और उन्हें इस बारे में परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने को कहा गया है। इन दो मध्य श्रेणी में मशीनी औजार कारखानों में से एक के बारे में जर्मन जनवादी गणतंत्र के सहयोग से पंजाब में स्थापित किये जाने पर विचार किया जा रहा है। पंजाब में लागत के अनुमान और स्थान के चुनाव के बारे में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स जांच कर रहा है। दूसरे कारखाने के बारे में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स इस के साइज, सहयोग और स्थान के बारे में जांच कर रहा है।

हैदराबाद में एक कारखाना स्थापित करने के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार से एक सुझाव मिला था। यह निर्णय किया गया है कि हैदराबाद में एक उपयुक्त स्थान पर एक नया कारखाना स्थापित कर के पौलैण्ड के सहयोग से प्राग टूल्स कारपोरेशन का विस्तार किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

†२०४६. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कडप्पा और वारंगल में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की ओर कितनी प्रगति की गयी है ;

(ख) इन दो बस्तियों के लिये कितने परिव्यय का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उनकी स्थापना की अनुमति दे दी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनबन्ध संख्या ८१]**

सीमेन्ट पर लाभ

†२०४७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को सीमेन्ट पर वार्षिक कितना लाभ होता है ;

(ख) क्या सरकार लाभ की प्रतिशतता पर कोई सीमा लागू करना चाहती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है, अथवा की जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). जब सभी रेल केन्द्रों पर रेल-पर्यन्त-निःशुल्क एकसम विक्रय मूल्य लागू किया गया था और आयातित और देशीय सीमेन्ट का मूल्य मिला कर बराबर किया गया था, तो तदर्थ रूप से मूल्य-ढांचे में विभिन्न तत्वों पर विचार करना पड़ा था और उस में लाभ का कोई तत्व नहीं रखा गया था । वास्तविक व्यवहार में कुछ तत्वों के बारे में प्राक्कलन सरल रूप से सिद्ध हुए और इसलिये कुछ फालतू रकम इकट्ठी हो गयी परन्तु इससे राज्य व्यापार निगम को उपभोक्ता को विक्रय मूल्य बढ़ाये बगैर ही रेलवे भाड़ा और प्रतिधारण मूल्य जैसी कुछ चीजों में वृद्धि खपा सका । वर्ष १९५९–६० में ९२ लाख रुपये की रकम फालतू थी । वर्ष १९६०–६१ में राज्य व्यापार निगम को पहले वर्ष की फालतू रकम में से रेलवे भाड़ा, प्रतिधारण मूल्य आदि पर और वृद्धि में काफी रकम खर्च करनी पड़ेगी । पिछले दो वर्षों से कोई अधिक फालतू रकम नहीं बची है। राज्य व्यापार निगम द्वारा सीमेन्ट का वितरण मामूली खर्च पर किया जाता है ।

उड़ीसा में नारियल-जटा उद्योग के लिये प्रशिक्षण-एवं-उत्पादन केन्द्र

†२०४८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में सखीगोपाल स्थान पर जो नारियल-जटा उद्योग के लिये प्रशिक्षण-एवं-उत्पादन केन्द्र चालू होना था, क्या वह अब तक चालू कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस केन्द्र को चालू करने में केन्द्रीय सरकार का क्या अंश है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाईशाह)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

नागालैण्ड–मनीपुर सीमा पर नागा विद्रोही

†२०४९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ मार्च, १९६१ को नागालैण्ड-मनीपुर सीमा पर सशस्त्र नागाओं के साथ हुई मुठभेड़ में कई नागा विद्रोही मारे गये और सुरक्षा दल ने बड़ी मात्रा में शस्त्रास्त्र पकड़े ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का क्या व्यौरा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) यह कार्यवाही २८ फरवरी, १९६१ को हुई। बहुत तड़के हमारे सुरक्षा दल की एक गश्ती टकड़ी ने मनीपुर तमेंगलांग सब-डिवीजन में नागालैंड सीमा के निकट एक विद्रोही शिविर पर आक्रमण कर दिया । दो घंटों तक दोनों ओर से गोली चलती रही जिसके बाद शिविर पर काबू पा लिया गया । विद्रोही घने जंगल में भाग गये और २६ लाशें छोड़ गये । शिविर को तबाह कर दिया गया । वहां से एक हल्की मशीनगन, ८ राइफलें और एक भरी हुई बन्दूक मिली । सुरक्षा दल का कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ ।

राज्य व्यापार निगम के लिये आयात लाइसेंस

†२०५०. **श्री मुरारका**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्री वर्ष १९५८, १९५९ और १९६० में भारत का राज्य व्यापार निगम लिमिटेड को कुल कितने आयात लाइसेंस दिये गये ;

(ख) उस प्रत्येक वस्तु का क्या नाम और मूल्य है जिसके लिये उनको लाइसेंस दिये गये ;

(ग) उन लाइसेंसों पर भारत का राज्य व्यापार निगम लिमिटेड ने वास्तव में किस सामान का आयात किया और किस आधार पर वह अन्तरिम मंडियों में वितरित किया गया ;

(घ) अभी भारत का राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के पास बिना इस्तेमाल किये कौन से लाइसेंस बाकी हैं ;

(ङ) क्या भारत का राज्य व्यापार निगम लिमिटेड में इन लाइसेंसों में से कोई लाइसेंस व्यापारियों अथवा अन्य वाणिज्यिक फर्मों को भी दिया ; और

(च) यदि हां, तो यह किसलिये दिया गया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (च). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कृषि सम्बन्धी फिल्में

†२०५१. **श्री बे० ना० कुरील** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विषयक उपदेशात्मक फिल्में तैयार करने के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). फिल्म्स डिवीजन ऐसी २८ फिल्में बना चुका है और १५ फिल्में और तैयार की जा रही हैं। इन फिल्मों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८२]**

अखिल भारत हस्तशिल्प बोर्ड

†२०५२. **श्री सूर्य प्रसाद** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारत हस्तशिल्प बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों में, जैसे जूनियर फील्ड आफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट और इन्वेस्टीगेटर, अनुसूचित जातियों के कितने सदस्य हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन श्रेणियों में कई रक्षित पद कई वर्षों तक खाली पड़े रहे हैं;

(ग) क्या इन रिक्तताओं के बारे में समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अखिल भारत हस्तशिल्प बोर्ड में जूनियर फील्ड आफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट अथवा इन्वेस्टीगेटर के तौर पर अनुसूचित जाति का कोई सदस्य नियोजित नहीं है ।

(ख) जी, नहीं । काम दिलाऊ दफ्तरों से अनुसूचित जाति के उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर इन पदों पर अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थी नियुक्त किये गये ।

(ग) और (घ). इन रिक्तताओं के बारे में समाचार-पत्रों में विज्ञापन नहीं दिया गया परन्तु काम दिलाऊ दफ्तरों को लिखा गया था । इन रिक्त स्थानों को भरने के लिये यहां से अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला । तथापि, बोर्ड में उपरोक्त पदों की अपेक्षित संख्या को अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों द्वारा भरने के बारे में कार्यवाही की जावेगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ड्राफ्ट्समैन

†२०५३. **श्री सूर्य प्रसाद** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की भवन निर्माण शाखा में ड्राफ्ट्स-मैन के कई रक्षित पद एक वर्ष से भी अधिक से खाली हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि इन पदों के लिये न्यूनतम अर्हताओं में बहुत वृद्धि कर दी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (ग). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के लिये रक्षित जूनियर ड्राफ्ट्समैन के दो पद और सीनियर ड्राफ्ट्समैन के दो पद एक वर्ष से भी अधिक से खाली रहे हैं क्यों कि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे ।

यह सच है कि इन पदों के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं में हाल ही में वृद्धि की गयी है । ऐसा करना आवश्यक समझा गया क्योंकि पूर्व अर्हताओं वाले ड्राफ्ट्समैन अपने काम को सन्तोषजनक रूप से नहीं कर पाये ।

सिक्किम में मुद्रणालय

†२०५४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में आधुनिक ढंग का एक मुद्रणालय स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयी है ;

(ग) इस मुद्रणालय को स्थापित करने में सरकार ने क्या सहायता की ;

(घ) इसकी क्षमता क्या है ; और

(ङ) इसमें क्या विशेष कार्य किया जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, हां । सिक्किम में गंग-टोक स्थान पर एक मुद्रणालय स्थापित किया गया है ।

(ख) यह लगभग १९ लाख रुपये की लागत से स्थापित किया गया है ।

(ग) यह मुद्रणालय भारत सरकार का उपक्रम है ।

(घ) इस मुद्रणालय की क्षमता इस समय एक पारी में लगभग ६००० पृष्ठ प्रति वर्ष है ।

(ङ) यह मुद्रणालय नेफा से लद्दाख तक उप-हिमालयन भूभाग के व्यक्तियों के लिये तिब्बती, नेपाली, हिन्दी, बंगाली और अंग्रेजी, भाषाओं में पुस्तकों, पोस्टरों और विभिन्न रंगों में चार्ट, सूचना बुलेटिन, पत्रिकायें और पुस्तिकायें छापने के लिये स्थापित किया गया है ।

निर्यात संवर्द्धन

†२०५५ **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात संवर्द्धन के लिये नयी प्रेरक योजनाओं पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है और उनका ब्योरा क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इन योजनाओं पर निर्यात संवर्द्धन मंत्रणा परिषद की हाल की बैठक में विचार किया गया था ; और

(घ) उन पर परिषद के क्या विचार रहे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). सरकार ने हाल ही में (१) डिब्बों में बन्द समुद्र खाद्य और मेंढक की टांगें, (२) नारियल जटा का रेशा और नारियल जटा उत्पाद और (३) निर्यात के लिये पैक करने के लिये गांठ बांधने की पट्टियां और बोक्स स्ट्रेपिंग्स के संभरण के लिये प्रेरक योजनायें जारी की हैं। इन सब योजनाओं में निर्धारित प्रतिशतता पर उद्योग द्वारा आवश्यक कुछ कच्चे माल, पैक करने के सामान आदि के आयात की व्यवस्था है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बिहार और उड़ीसा में सीमेंट की कमी

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** (पुरी) : नियम १९७ के अधीन मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान बिहार और उड़ीसा में सीमेंट की कमी की ओर आकर्षित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : चूंकि यह वक्तव्य बहुत बड़ा है अतः मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८३]**

सभापटल पर रखे गये पत्र

प्रशासनिक सतर्कता विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: मैं १ जनवरी से ३१ दिसम्बर, १९६० तक की अवधि के लिये प्रशासनिक सतर्कता विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्ताकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० २७५७/६१]

समवाय अधिनियम तथा अत्यावश्यक अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत समवाय अधिनियम, १९५६ की अनुसूची ५ में कुछ और परिवर्तन करने वाली दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या २२१ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ४ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २५८ में प्रकाशित समवाय (केन्द्रीय सरकार को अपीलें) दूसरा संशोधन) नियम, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिय संख्या क्रमशः एल० टी० २७५५/६१ और २७५६/६१]

(तीन) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४२५ में प्रकाशित अलौह धातु नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० २७५८/६१]

कोयला खदान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं शिमलाबहल कोयला-खान में २७ फरवरी, १९६१ को और बद्रूचक कोयला-खान में ५ मार्च, १९६१ को हुई दुर्घटनाओं के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८४]

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : : श्रीमान्, मुझे निम्नलिखित संदेश राज्य सभा से प्राप्त हुए हैं :—

(एक) कि राज्य सभा को निम्नलिखित विधेयकों के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

(१) रेलवे यात्री भाड़ा (निरसन) विधेयक, १९६१ जो १५ मार्च, १९६१ को लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था।

(२) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१ जो १७ मार्च, १९६१ को लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था।

(दो) कि राज्य सभा ने १८ मार्च, १९६१ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा १४ दिसम्बर, १९६० को पास किये गये औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, १९६१ को संशोधनों सहित पास कर दिया है और विधेयक को इस प्रार्थना के साथ लौटा दिया है कि संशोधनों पर लोक-सभा की सहमति की सूचना राज्य सभा को भेज दी जाये।

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक

राज्य सभा से संशोधन सहित लौटाये गये रूप में

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) संशोधन विधेयक, १९६१ जो राज्य सभा ने संशोधन सहित लौटाया है, सभा पटल पर रखता हूं।

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की माँगें—जारी

वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
४३	स्वास्थ्य मंत्रालय .	१५,२६,०००
४४	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	९,९०,१५,०००
४५	स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	९७,८३,०००
१२४	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय . . .	११,५६,१५,०००

†**श्री कोडियान** (क्विलोन—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : तीसरी योजना में स्वास्थ्य के लिये अपर्याप्त धन रखा गया है। यह बात बड़ी निराशाजनक है कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में स्वास्थ्य के लिये कुल राशि का क्रमशः ६ प्रतिशत और ५.७ प्रतिशत धन रखा गया था लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य पर कुल राशि का केवल ४.३ प्रतिशत व्यय किया जायेगा। स्वास्थ्य के व्यय की राशि को कम करके उसे अन्यकार्यों पर व्यय करने की नीति दूरदर्शितापूर्ण नहीं होगी। योजना में स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिये।

हमारे यहां डाक्टरों तथा चिकित्सकों की बहुत कमी है। बीमारियों भी काफी संख्या में बढ़ रही है। अतः ऐसी परिस्थिति में चिकित्सा की देशी प्रणालियों को सभी संभव प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इसके लिये अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिये। और स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिये।

योजना आयोग ने ठीक ही कहा है कि स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये उपचार सम्बन्धी पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। हमारे देश में लोगों को ऐसा खाना नहीं मिलता कि वे अपना स्वास्थ्य ठीक भी रख सकें। पौष्टिक भोजन देने के मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय असफल रहा है। स्वतन्त्रता के बाद से प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई है। भारत में जो भोजन मिलता है वह न केवल अपौष्टिक है बल्कि असंतुलित भी है। अपौष्टिक एवं असंतुलित खाद्य का परिणाम यह होता है कि नाना प्रकार की बीमारियां ममुष्य को घेर लेती हैं। विशेष रूप से देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में लोगों को भर पेट भोजन नहीं मिलता। इसके कारण वे लोग रोगों से अधिक पीड़ित रहते हैं। मेरा निवेदन है कि पोषण के मामले में एक मिली जुली नीति अपनानी चाहिये। और स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी नीति बना कर उसको क्रियान्वित भी करे। खाद्य तथा कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालयों को इस विषय की जांच करनी चाहिये।

देश में जो रोग हैं उनमें से अधिकांशतः जैसे हैजा, पेचिश आदि रोग पीने के लिये अच्छे पानी के न मिलने के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। दूसरी योजना में पानी की अच्छी व्यवस्था

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कोडियान]

करने के लिये ७३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जब कि तीसरी योजना में इसके लिये केवल ८० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो बहुत कम है। अतः इसके लिये अधिक धन मंजूर किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय वह राज्य सरकारों से कहे कि उनके जल संभरण बोर्ड इस बात का प्रयत्न करें कि पानी संभरण करने का काम शीघ्र ही किया जाये।

आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि देहाती क्षेत्रों में डाक्टरों की बड़ी कमी है। मध्य प्रदेश में सहायक शल्य-चिकित्सकों (गजेटेड) के २०० पद १९५८ से खाली पड़े थे। उनमें से केवल ३६ पदों के लिये १९५६ में लोग आये थे। १९५८ में सहायक चिकित्सा अधिकारियों के ११३ पदों के लिये केवल ४ उम्मीदवार मिले थे।

मैसूर में भी यही हाल है। सभी राज्यों में देहाती क्षेत्रों के लिये डाक्टरो का बड़ा अभाव है। डाक्टर लोग गांवों में जाना पसंद नहीं करते। उनको कुछ और सुविधायें दी जानी चाहिये।

एक कोशिश यह की जा रही है कि देहाती क्षेत्रों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये चिकित्सा का पाठ्यक्रम और संक्षिप्त किया जाये। यह प्रश्न विवाद-ग्रस्त है। सरकार को इसके लिये कोइ व्यावहारिक कदम उठाना चाहिये।

प्राक्कलन समिति ने इस सम्बन्ध में सुझाव दिया है कि विभिन्न चिकित्सक सेवाओं का एकीकरण किया जाये। लेकिन उसके लिये कुछ भी नहीं किया गया है।

माननीय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि प्रथम और द्वितीय योजना में तपेदिक के नियंत्रण के लिये १९.७० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अभी तक कुल ६ करोड़ रुपये व्यय हुये हैं। १८० क्लिनिकों की जगह केवल ६० क्लिनिक अभी तक खोले गये हैं। १० प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने थे, लेकिन केवल ३ ही अभी तक खोले गये हैं। द्वितीय योजना काल में आठ तपेदिक सेनेटोरियम खुलने थे, पर केवल एक खुला है।

केन्द्र के अधीन क्षेत्र में चिकित्सा के लिये तृतीय योजना काल में ९९.१९ करोड़ की व्यवस्था है, जब कि कुल अनुमित व्यय ८०.२४ करोड़ रुपये है। इतना अन्तर नहीं होना चाहिये।

प्रथम योजना में परिवार नियोजन के लिये ६५ लाख रुपये रखे गये थे, पर वास्तविक व्यय केवल १५.८२ लाख रुपये ही हुआ है। द्वितीय योजना काल के लिये ४९७ लाख रुपये रखे गये थे, जब कि नवम्बर, १९६० तक वास्तविक व्यय केवल १९२.४७ लाख रुपये का हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : यदि माननीय सदस्य मुझे लिखित रूप में दे दें, तो मैं उन पर विचार करूंगा।

†**श्री कोडियान** : अन्त में, मुझे यही कहना है कि देशीय चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिये पर्याप्त राशि की व्यवस्था नहीं की गई है। उसके लिये द्वितीय योजना में केवल ८ करोड़

†मूल अंग्रेजी में

रुपये रखे जा रहे हैं। अब पता लगा है कि दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पद्धति की एक पूर्व संस्था ने तुग़लकाबाद में औषधि इतिहास प्रतिष्ठान बनाने की योजना सरकार के सामने रखी है। यदि योजना अच्छी हो, तो सरकार को उस गवेषणा प्रतिष्ठान की सहायता करनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री अब्दुल लतीफ।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : एजुकेशन और हैल्थ यह विषय ऐसे हैं जो कि बगैर स्त्रियों के सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं हो सकते और स्त्रियों को इनके सम्बन्ध में बोलने का अधिक अवसर मिलना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्या का ध्यान रक्खूंगा और उनको बोलने का अवसर दिया जायगा।

श्री अब्दुल लतीफ (बिजनौर) : जनाब सदर, मैं मुसलसल दो साल से तिब्ब-यूनानी और आयुर्वेदिक के सिलसिले में तकरीर कर रहा हूं और मैं यह भी अर्ज कर रहा हूं कि तिब्ब-यूनानी और आयुर्वेदिक के मुताल्लिक तकरीर करने के मानी यह नहीं हैं कि मैं एलोपैथिक की मुखालफत कर रहा हूं। लेकिन इसके मानी यह भी नहीं हैं कि इन मुसलसल दो मर्त्तबा की तकरीरो के बाद नतीजा वही रहा जो कि पहले था।

मैंने पिछली मर्त्तबा तकरीर में किताब में "देहाती मुआलिज" की तारीफ की थी। देहाती मुआलिज, वक्फ हमदर्द दवाखाने ने यह एक किताब निकाली है जिसमें कि १६६ बूटियां बयान की गई हैं। हर गांव के अन्दर वह बूटियां होती हैं और हर शख्स खुद अपना इलाज कर सकता है। वह "देहाती मुआलिज" बहुत कामयाब और बहुत मुफीद साबित हुई है और हिन्दुस्तान की सभी जबानों में उस के तर्जुमे हो चुके हैं, हत्ता कि फौरन कंट्रीज़ में भी उसकी कापियां गई हैं। जो अभी आपकी पिछली मर्तबा वर्ल्ड हैल्थ मीटिंग हुई थी और उसमें डेलीगेट्स आये थे और उन डेलीगेशंस् में बहुत बड़ी तादाद ऐसे मेम्बरों की थी जो कि देहाती महालिज को अपने साथ ले गये हैं।

आज मैं आपकी खिदमत में इंस्टीच्यूट् आफ हिस्ट्री आफ मैडिसिन को पेश कर रहा हूं। जिसकी कि कापी मैं जनाब मिनिस्टर साहब की खिदमत में पेश करूंगा। यह इंस्टीच्यूट् दिल्ली से १३ मील के फासले पर तुग़लकाबाद रोड कर कायम किया गया है। उसके वास्ते ३०० एकड़ जमीन ली गई है और उसमें तमाम दवाइयों की जिन पर कि रिसर्च की जायगी उनकी काश्त की जायगी। यह इंस्टीच्यूट् आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और चीनी तरीकये इलाज और तिब्ब यूनानी के सिलसिले में रिसर्च करेगा।

इस स्कीम के सिलसिले में अभी जो वर्ल्ड हैल्थ मीटिंग के सिलसिले में डेलीगेशंस् गये थे। उनमें से तकरीबन पचास मुल्कों के डेलीगेशंस् के मेम्बरान इस इंस्टीच्यूट में गये और उन्होंने बहुत इस चीज की तारीफ की और उसको बहुत पसन्द फरमाया। इस वक्त बोर्ड की ऐडवाइजरी कमेटी में हिन्दुस्तान के बड़े नुमायां लोग और बाहर के साइंटिस्ट्स लोग शामिल हैं। यह इदारा हिन्दुस्तान के अन्दर बहुत मुफीद काम कर रहा है और मैं जनाब मिनिस्टर साहब की खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि एक मर्त्तबा वह खुद जा कर इस इदारे को देख लेते तो अच्छा होता। साथ में मैं यह भी दरख्वास्त करूंगा कि एक माहरीन की कमेटी मुकर्रर की जाय और वह जा कर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अब्दुल लतीफ]

इस इदारे को अपनी निगाह से देखें। अगर यह हकीकत में जो कुछ मैं आप से अर्ज कर रहा हूं वह उसी तारीफ़ के काबिल है तो मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसकी इमदाद करेंगे।

इस वक्त मुझे तकलीफ के साथ यह अर्ज करना पड़ता है कि एलौपैथिक पर जो आपकी निगाह है वह आपकी निगाह देशी तरीके इलाज पर नहीं है। हालत यह बन रही है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। यह जरूर है कि आपने अलीगढ़ में तकरीरें की थीं मुख्तलिफ मुकामात में तकरीरें की और साथ में आपने यह भी भी फरमाया कि मुझे बड़ी हमदर्दी है लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि आपने अपनी इस हमदर्दी पर अमल क्यों नहीं किया ? मुझे तकलीफ के साथ अर्ज करना पड़ता है कि आज जितना रुपया आप एलौपैथिक पर खर्च कर रहे हैं उससे अगर आधा रुपया आयुर्वेदिक और तिब्ब यूनानी पर खर्च करें तो यह काफी मुफ़ीद साबित हो सकता है। अब करोड़ों इंसान जोकि देश के अन्दर बसते हैं उनकी आमदनी इतनी कम है कि वह एलौपैथिक इलाज नहीं करा सकते। मैंने पिछली मर्त्तबा भी आपके गोशे गुजार किया था कि इतना कीमती इलाज कि इंजैक्शन का ५ रुपया और डाक्टर साहब की १० रुपया फीस अलग से, इतना कीमती इलाज उनकी कुव्वत के बाहर है। इसके मानी यह नहीं हैं कि मैं एलौपैथिक की मुखालफत करता हूं। रईसों का आप अंग्रेजी तरीके से इलाज कराइये, रईसों के वास्ते यह चीजें चल सकती हैं। लेकिन अवाम के लिए इतना महंगा इलाज नही चल सकता है। ४, ५ पैसे के नुस्खे हमने इस्तेमाल किये हैं। लेकिन हकीमों ने भी एलोपैथिक डाक्टरों की देखादेखी अपने नुस्खों की कीमतें बढ़ा दी हैं। लेकिन आज के दिन भी हमारा देशी इलाज एलोपैथिक के मुकाबले कहीं अधिक सस्ता है। इसलिए मेरा तो कहना है कि अगर हक़ीकत में आप हिन्दुस्तान के अवाम की सेहत को दुरुस्त करना चाहते हैं और अगर आपकी खलूस के साथ राय यह है कि हिन्दुस्तान के तरीकये इलाज की तरफ देखें तो आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। एलोपैथी पर इतना खर्च नहीं करना चाहिये जितना आप कर रहे हैं। एलोपैथी पर भी कीजिये और इस पर भी कीजिये, सब पर कीजिये। जहां रिसर्च अच्छा हो सकता हो, मुनासिब तरीके से हो सकता हो, वहां आप कराइये।

मैं मुआफी चाहता हूं उस बात के लिए जो मैं कहने जा रहा हूं। मैं तीसरी मर्त्तबा तकरीर कर रहा हूं, इस मजमून पर। लेकिन अभी तक उसके कोई नताइज नही निकले हैं। अव्वाम आप तक पहुंच नही सकते हैं। हम अव्वाम के नुमाइंदे हैं और अव्वाम की बात को आप तक पहुंचाते हैं, अव्वाम की जो राय है, अव्वाम की जो ख्वाहिश है उसको आप तक पहुंचाते हैं। आप जाकर देखें हमदर्द दवाखाना वक्फ, आपको पता चलेगा कि वहां कितने ज्यादा लोग जाते हैं। यूनानी व आयुर्वैदिक दवाखानों में ही मरीजों की आमद इतनी ज्यादा होती है। आप एलोपेथी के अस्पतालों में जाकर देखिये कि कितने लोग वहां जाते हैं। हिन्दुस्तान के लोगों का मिजाज एलोपेथी तरीका इलाज और उनके जरिये जो दवाइयां दी जाती हैं, उनके मुताबिक नहीं है। यहां पर लोगों को जोशान्दा ही मुवाफिक बैठता है और वे अपने इलाज उन दवाओं से जो हर गांव में पैदा होती हैं। कर सकते हैं। काश्मीर में भी बड़ी अच्छी दवायें पैदा होती हैं, और उनका भी काफी इस्तेमाल होता है। ये लोगों के मुवाफिक बैठती हैं और उनकी तबीयत को साज करने वाली हैं।

जहां तक रिसर्च का ताल्लुक है आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं . . .

एक माननीय सदस्य : इसकी शहादत हम देते हैं।

श्री अब्दुल लतीफ : इसमें शहादत की कोई जरूरत नहीं है, यह चीज साफ़ है। मेरे सामने हकीम अजमल खां का किस्सा। वह देहरादून में ठहरे हुए थे। वहां एक सेठ के लड़के को पेट दर्द था और लगातार ४८ घंटे से हो रहा था। उस वक्त अंग्रेज डाक्टर थे, बड़े-बड़े एक्सपर्ट थे, सिविल सर्जन भी देहरादून में थे। किसी से भी वह पेट दर्द ठीक न हुआ। सेठ जी हकीम साहब के पास गए। वह रो रहे थे। एक ही वह उनका बेटा था जोकि पेट दर्द से तड़प रहा था। फीस का सवाल ही नहीं था। हकीम साहब गए और देख कर कह कि एक हांडी में उड़द की दाल आग पर चढ़ा दो। जब ऐसा कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि उड़द की दाल का पानी लड़के को देना शुरू कर दो। इसका नतीजा यह हुआ कि एक घंटे के अन्दर दर्द का नाम न रहा।

यही हाल मिर्गी का है। ऐलोपैथी में इसका कोई इलाज ही नहीं है। उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। यहां पर एक शख्स को ४८ दौरे रोज मिर्गी के पड़ते थे। उसका इलाज हकीम अजमल खां ने शुरू किया। उसके बाद जब वह इंग्लैंड गए तो उस शख्स का एक दौरा बाकी रह गया था। वह मुहमद अहमद के पास गया और ठीक हो गया। वह बूढ़ा आदमी सत्तर साल का है और आज उसकी इस बीमारी का नामोनिशान नहीं है। मैं किसी सिस्टम की मुखालि त नहीं कर रहा हूं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से। आपका ध्यान उधर भी होना चाहिये और इधर भी होना चाहिये।

मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और यह जो किताब है, इसको मैं मिनिस्टर साहब की खिदमत में अभी पेश कर दूंगा।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देती हूं कि उन्होंने चिकित्सा सेवाओं के सुधार के लिये भरसक प्रयत्न किया है। लेकिन हमारी योजनाओं में स्वास्थ्य सेवाओं के लिये पर्याप्त राशि नहीं रखी जाती। उसका अनुपात दिन-दिन घटता जा रहा है।

हमारे योजनाकार स्वास्थ्य को समुचित महत्व नहीं देते।

एक माननीय सदस्य ने यूनानी चिकित्सा पद्धति की तारीफ करते हुए कहा था कि हकीम अजमल खां ने एक ऐसे असाध्य रोग की चिकित्सा की थी जिसे अन्य सभी ने निराश होकर छोड़ दिया था। हमारे देश में करामात पर बड़ा विश्वास किया जाता है। वैसे देखा जाये तो उड़द की दाल के पानी से निरोग होने वाले रोगियों की संख्या बहुत कम होती है।

मैं आयुर्वेद को अच्छा समझती हूं। कुछ घरेलू दवायें उसमें बड़ी अच्छी हैं। लेकिन उसमें गवेषणा की बड़ी जरूरत है।

देशी दवाओं के सिलसिले में काफी गवेषणा हो भी रही है। गवेषणा-कार्य स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य और कृषि मंत्रालय और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

तत्वावधान में हो रही है। जरूरत इस बात की है कि उसमें सहकार्य पैदा किया जाये। अच्छा हो यदि आयुर्वेदिक वैद्य और डाक्टर दोनों ही अपने गवेषणा कार्य का तुलनात्मक अध्ययन करते चलें।

रोगियों की चिकित्सा को ही स्वास्थ्य सेवाओं का चरम उद्देश्य मानना गलत होगा। अधिक जोर इस बात पर दिया जाना चाहिये कि जनता में रोग फैलने ही न पायें।

इसके लिये सबसे आवश्यक है कि वातावरण में स्वच्छता रहे। पीने का पानी अच्छा मिले और मैला, वगैरह लेजाने का समुचित प्रबन्ध हो। लेकिन योजनाओं में इसके लिये पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जाती। यदि इन दोनों का उचित प्रबन्ध हो जाये, तो बीमारियां फैलेंगी ही नहीं। लेकिन हमारे सोचने का ढंग तो कुछ ऐसा है कि हम नये-नये अस्पताल खोलना ज्यादा जरूरी समझते हैं।

और यदि स्वास्थ्य की समस्याओं का उचित हल करना है, तो राज्य और केन्द्र के दायित्वों का ऐसा विभाजन नहीं होना चाहिये। इसके लिये एक बोर्ड बनाना चाहिये जिसमें राज्यों और केन्द्र के प्रतिनिधि रहें।

हमें यह कार्य राष्ट्रीय आधार पर करना चाहिये। राष्ट्रीय आधार पर इसकी योजना बनाई जानी चाहिये।

बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि एक केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य अधिनियम अधिनियमित किया जाये। एक अर्से से इसकी मांग उठ रही है। मंत्रालय को इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करना चाहिये।

हम देश में चिकित्सा कालेजों की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन चिकित्सीय शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। हमें उसका स्तर गिरने नहीं देना चाहिये।

इसके लिये जरूरी है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् की स्थिति अधिक सुदृढ़ बनायी जाये। उसमें जो दलबन्दी चल रही है, उसे मिटाया जाये।

भारत में एक केन्द्रीय चिकित्सा सेवा की बड़ी आवश्यकता है। तभी देश की स्वास्थ्य समस्याओं को कारगर तरीके से हल किया जा सकेगा।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगभग सभी राज्यों में बड़ा अच्छा काम किया है। इस मंत्रालय ने जितना व्यय किया है, इसे व्यय के लिये जितनी राशि मिली है, उसके अनुसार काम काफी रहा है। देहाती क्षेत्रों में पीने के पानी की बड़ी किल्लत है। मंत्रालय ने उसका भी प्रबन्ध किया है, पर उसे पर्याप्ति राशि न मिलने से अधिक काम नहीं हो पाया। भारत में स्वास्थ्यकर वातावरण बनाने के लिये पीने के अच्छे पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। योजना आयोग को इसके लिये अधिक राशि की व्यवस्था करनी चाहिये।

राज्यों में चिकित्सा कालेजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन लाइसेंस प्राप्त डाक्टर भी शहरों में ही रहना पसन्द करते हैं। इसलिये लाइसेंस प्राप्त डाक्टरों की संख्या बढ़ानी नहीं चाहिये यह सोचना ग़लत है कि उनकी योग्यतायें कम हैं, इसलिये वह गांवों में चले जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

कई चिकित्सा-कालेजों में शिक्षा का स्तर काफी गिर गया है। हमें सारे चिकित्सा प्रतिष्ठानों को दिल्ली में ही केन्द्रित नहीं करना चाहिये। वे सारे देश में बिखरे हुय होने चाहिये।

प्रसन्नता की बात है कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और हैदराबाद में चिकित्सीय शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आय-व्ययक में ऐसी शिक्षा के लिय पर्याप्त व्यवस्था की जाये।

संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये काफी काम किया गया है। उसी का नतीजा है कि देश की जनसंख्या २० प्रतिशत बढ़ गई है। और इसीलिये परिवार नियोजन पर काफी ध्यान दिया जाना चाहिये।

हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि रोग फैलें ही नहीं। इसके लिये जरूरी है कि पीने के पानी की स्वास्थ्यकर व्यवस्था हो और जल निस्सारण योजनायें भी तेजी से आगे बढ़ाई जायें, जिससे कि गन्दगी न फैल पाये। स्वास्थ्य मंत्रालय निधियों की कमी के कारण इस दिशा में अधिक कुछ नहीं कर पा रहा है।

सभी राज्यों में डाक्टरों के वेतनों में एकरूपता होनी चाहिये। तभी हम उनको देहाती क्षेत्रों में जाने के लिये प्रेरित कर सकेंगे।

चिकित्सा कालेजों से नये निकलने वाले छात्रों को पहले एक निश्चित अवधि के लिये देहाती क्षेत्रों में भेजा जाना चाहिये।

देहाती क्षेत्रों में जाने वाले डाक्टरों को मकान इत्यादि की सुविधायें दी जानी चाहियें।

आज चिकित्सा-कालेजों के विद्यार्थी आयुर्वेद की तरफ जाना ही नहीं चाहते। और देखा जाये तो आयुर्वेदिक कालेजों को कालेज कहा ही नहीं जा सकता।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं।]

आयुर्वेदिक कालेजों में विद्यार्थियों को ढंग से पढ़ाया तक नहीं जाता। अध्यापक स्वयं ही ठीक से प्रशिक्षित नहीं होते।

मंत्रालय को एक व्यापक आधार पर इस समस्या का पुनरीक्षण करना चाहिये। एलोपैथी वालों को भी अनिवार्य रूप से आयुर्वेद की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। इसलिये आयुर्वेदिक कालेजों का स्तर ऊंचा किया जाना चाहिये।

श्री द्वारिकानाथ ने देशीय चिकित्सा पद्धति के बारे में दो बड़ी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। एलोपैथिक चिकित्सा करने वालों को भी वे पढ़नी चाहियें।

स्वास्थ्य मंत्रालय को आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

अंशदायी चिकित्सा योजना सारे देश में फैलायी जानी चाहिये। कुछ प्राइवेट डाक्टरों ने ऐसी सहकारी संस्थायें बनाई हैं। उनको प्रोसाहन दिया जाना चाहिये।

सरकारी अस्पतालों में गरीबों और अमीरों के लिये अलग अलग किस्म के वार्ड नहीं होने चाहियें। अमीर लोग तो प्राइवेट नर्सिंग होम में भी जा सकते हैं।

[डा० मेलकोटे]

हमारे देश में इन्टरमीजियेट पास विद्यार्थी चिकित्सा-कालेजों में भर्ती हो सकते हैं। अन्य देशों में ऐसा नहीं होता। वहां कुछ अधिक योग्यता अपेक्षित होती है।

मैं मंत्रालय के सराहनीय कार्य के लिये उसे बधाई देता हूं।

श्री यादव नारायण जाधव (मालेगांव) : सभापति महोदय, मैंने डा० मेलकोटे और आपकी तकरीर को बड़े ध्यान से सुना। यह हैल्थ का विषय कितना अहम है इसके बारे में मैं बोरकर साहब की जो रिपोर्ट "हैल्थ इन इंडिपेंडेंट इंडिया" है उसके फोरवर्ड में पंडित जी ने खासतौर से उसका जिक्र किया है और वह मैं यहां हाउस के सामने पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि यह धारणा गलत है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और केन्द्रीय सरकार को उससे कोई सरोकार नहीं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ही सारी बड़ी बड़ी योजनाओं को चालू करता है।

इसको देखते हुये हमारी हैल्थ मिनिस्ट्री के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है यह हाउस जरूर महसूस करेगा। हमारे हिन्दुस्तान की आबादी को देखते हुये और जो आबादी चन्द एक शहरों में रहने वाली नहीं है बल्कि देश के साढ़े ५ लाख देहातों में रहने वाली है, हमारे देश के लोगों का जो स्टैंडर्ड है जो उनकी इनकम है उसको देखते हुये आपने जो अर्ज किया था कि हमारे देश में डाक्टर्स जिनका कि क्यूरेटिव एसपैक्ट्स के लिये उपयोग होता है, उन बीमारियों को जोकि हमारे देश में अलग अलग होती हैं उनको रोकने के लिये जो बन्दोबस्त करना चाहिये प्रीवैंटिव मेजर्स जिनको कहते हैं उनमें हम कहां तक कामयाब हो सकते हैं।

मैंने एक सवाल पूछा था हैल्थ मिनिस्टर साहब से कि जो मैंने पिछले साल हैल्थ मिनिस्ट्री की डिमांड्स पर तकरीर की थी कि हिन्दुस्तान में मलेरिया को रोकने के लिये हम कामयाब नहीं हुये हैं। इतना ही नहीं कि हम कामयाब नहीं हुये हैं लेकिन अभी जो मच्छर हैं उनकी इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ गयी है। मैंने उनको यह भी कहा था कि जैसे चीन ने मक्खियों को खत्म करने की कोशिश की वैसी ही कोशिश हमारे हिन्दुस्तान में भी होनी चाहिय। इसके बारे में हैल्थ मिनिस्टर साहब ने मुझे एक डी० ओ० लैटर लिख कर एक नोट भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की हालत ऐसी है कि मलेरिया और दूसरी जो बीमारियां हैं, कंटैजीयस डिसीजीज को रोकने के लिये हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप हिन्दुस्तान के देहातों को देखें, स्लम्ज़ को देखें। इन स्लम्ज़ को हम रोक नहीं पाये हैं। हमें देखना होगा कि हिन्दुस्तान का जो एव्रेज आदमी है, उसको क्या कुछ खाने के लिय मिलता है, किस वातावरण में वह रहता है, किस तरह के मकान में या झोंपड़ी में वह रहता है। इसको अगर हमने देखा तो जो प्रिवेंटिव मैजर्स की हम बात करते हैं, केवल उनको लागू करके हम कामयाब हो सकेंगे, इसमें मुझे शक है। प्रतिबन्धात्मक जो उपाय हैं, जो योजना है, उसके लिये हमको और अधिक खर्च करना होगा, उसकी ओर और अधिक ध्यान देना होगा।

हमें देखना चाहिये कि हिन्दुस्तान में डाक्टरों की कितनी तादाद है। एक सवाल मैंने पूछा था। इसके बारे में और साथ ही यह भी पूछा था कि हिन्दुस्तान में जो रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टीशनर्ज हैं, उनकी तादाद शहरों में कितनी हैं और देहातों में कितनी है, किस प्रोपोर्शन से वे शहरों और देहातों में हैं। जो इसके जवाब में इनफार्मेशन दी गई है, उसको देख कर हर माननीय सदस्य हैरान रह जायेगा। जो बड़े बड़े डाक्टर होते हैं, रजिस्टर्ड मैडीकल प्रेक्टीशनर्ज होते हैं, उनको डाक्टर बनने के लिये बहुत खर्च करना पड़ता है और जब वे पढाई खत्म कर चुकते

हैं, तो वे बड़े बड़े शहरों में ही रहना पसन्द करते हैं और ज्यादा से ज्यादा कमाई करना चाहते हैं। जहां तक रजिस्टर्ड मैडीकल प्रेक्टीशनर्ज़ का संबंध है हम चाहते थे कि दूसरे प्लान के अन्त तक हमारे पास ८२,००० हो। "इंडिया १९६०" को जब मैं देखता हूं और साथ ही साथ ड्राफ्ट थर्ड फाइव यीअर प्लान को देखता हूं तो उन दोनों की जो फिगर्ज हैं, इसके बारे में, उनमें फर्क बहुत ज्यादा पाता हूं। जो मैडीकल हैल्प लोगों को मिलनी चाहिये, उसके बारे में मैं चाहता हूं कि कोई स्टैंडर्ड तय कर दिया जाये। जो मर्दुम शुमारी हुई है जब उसका रिजल्ट निकलेगा तो आपको पता चल जायेगा कि हमारी आबादी करीब करीब ४३ करोड़ है। इस ४३ करोड़ आबादी के लिये क्या एक लाख रजिस्टर्ड मैडीकल प्रेक्टीशनर्ज़ काफ़ी हो सकते हैं ? अनरजिस्टर्ड मैडीकल प्रेक्टीशनर्ज़ हकीम, वैद्य इत्यादि जो हैं, उनको भी शामिल कर लिया जाये तब ये १ लाख होते हैं। लोगों को डाक्टरी सुविधायें प्राप्त हो सकें, इसके लिये हमें बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, अभी डा० मेलकोटे ने कहा कि हिन्दुस्तान में काफी मैडीकल कालेज हो गये हैं। लेकिन पब्लिक सर्विस कमिशन ने कहा है कि जो मैडीकल कालेज हैं, उनमें नाइट शिफ्ट चलनी चाहिये। यह कहा जाता है कि हमारे पास ट्रेंड मैडीकल स्टाफ नहीं हैं, जो डाक्टर पढ़ाने के लिये चाहियें, वे नहीं हैं, उनकी हिन्दुस्तान में कमी है। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इतने अर्से के बाद भी और कालेज खुल जाने के बाद भी अगर हमें माहिरीन नहीं मिलते हैं जोकि कालेजों में पढा सकें तो मैं डा० सुशीला नायर को कहूंगा कि वह पालिटिक्स को छोड़ दें और फिर से डाक्टरी पेशा शुरू कर दें —

श्री दी० चं० शर्मा : कभी नहीं छोड़ेंगी।

श्री यादव नारायण जाधव : इतना ही नहीं मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि यह जो मैडीकल प्रोफेशन है इसको ही नेशनलाइज कर दिया जाना चाहिये। ऐसा किये वगैर जहां तक लोगों की जरूरतें हैं वहां तक हम उनको फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं।

मैं अपनी कंस्टिट्युएंसी में दो महीने हुये गया था। एक सोलह साल का युवक जो अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ता है, अच्छा हट्टा कट्टा था, एक दिन स्कूल गया साइकल पर सवार हो कर और जब वह घर लौटा शाम को तो बीमार पड़ गया। दूसरे दिन तड़प तड़प कर उसने अपने प्राण त्याग दिए। देहात में रहने वाला वह लड़का था। आज हालत यह है कि जो अच्छे अच्छे डाक्टर हैं वे शहरों में ही रहते हैं, देहात में जाना वे पसन्द नहीं करते हैं। वहां माहिर डाक्टर नहीं मिलते हैं। इसलिये आपको डाक्टरों की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा, नाइट शिफ्ट चलानी पड़ेगी। इतना ही नहीं जितने भी इंडीजिनस सिस्टम हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना होगा, उन पर भी जोर देना होगा। मुझे दुःख है कि आज के हिन्दुस्तान में भी किसी को अपनी मांग पेश करने के लिये, उसको मनवाने के लिये हड़ताल करनी पड़ती है। बम्बई पोद्दार कालेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने डेढ़ महीने से हड़ताल कर रखी है। उनकी मांग यह है कि आयुर्वेदिक कालेज का जो कोर्स है, उसको पूरा करने के बाद उनको भी बम्बई रजिस्टर्ड मैडीकल प्रेक्टीशनर्स एक्ट के मुताबिक मान्यता मिलनी चाहिये। अभी डा० मेलकोटे साहब ने कहा कि जो आयुर्वेदिक कालेजों में लड़के जाते हैं, वे मैट्रिक का इम्तिहान देने के बाद दाखिल होते हैं। लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि इंटर साइंस के बाद वे वहां जा कर दाखिल होते हैं। साढ़े चार साल का उनका करिकुलम होता है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि उनके रिप्रिजेंटेशन मिनिस्टर साहब के पास भी आए होंगे. . . .

श्री करमरकर : बहुत आए हैं।

श्री यादव नारायण जाधव: और उन्होंने इस पर विचार किया होगा । मैं चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान के लिये इसके बारे में एक सी पालिसी होनी चाहिये । और ज्यादा से ज्यादा डाक्टर हमारे यहां तैयार होने चाहियें, ज्यादा से ज्यादा डाक्टरों को ट्रेन करने की व्यवस्था होनी चाहिये ।

यू० के० ने एक स्टैंडर्ड रखा है और वहां १ हजार की आबादी के पीछे एक डाक्टर है और ५ सौ की आबादी के पीछे एक नर्स है और ३ सौ आबादी के पीछे एक दाई है । हमारे यहां क्या स्टैंडर्ड है, इस पर आप ध्यान दें । हमारे लिये यह बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को डाक्टरी इमदाद पहुंचाने का जल्दी से जल्दी प्रयत्न करें ।

अब मैं फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । यह बहुत बड़ा सवाल है । जनसंख्या को रोकने के लिये लोगों को जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिये थी और जो कदम उठाये जाने चाहिये थे, वे नहीं उठाये गए हैं । मैं मानता हूं कि इस दिशा में कुछ थोड़ा बहुत किया गया है । लेकिन जितना किया जाना चाहिये था नहीं किया गया है । लोगों को इस पर अमल करने के लिये जिस हद तक प्रोत्साहित किया जाना चाहिये था नहीं किया गया है । मैं चाहता हूं कि कम्युनिटी डिवेलेपमेंट ब्लाक्स में इस कार्यक्रम को चलाया जाना चाहिये, उनके जरिये प्रचार कार्य किया जाना चाहिये और हर देहात के लोगों को बताया जाए कि छोटी फैमिली ही अच्छी फैमिली होती है, उसके ये ये फायदे हैं, कि बच्चों को तालीम अच्छी दी जा सकती है, खाना अच्छा दिया जा सकता है, पहनने को अच्छे कपड़े दिये जा सकते हैं ।

मैंने पहले भी एक बार अर्ज किया था कि एक बहन इसी खास दिल्ली में जिसके चार बच्चे थे, यमुना ब्रिज पर गई और उनमें से दो बच्चों को पानी में नीचे फेंक आई और दो बच्चे ही उसने अपने पास रखे । जब उससे पूछा गया कि दो बच्चे उसने क्यों फेंक दिये तो उसने कहा कि चार बच्चों के लिये खाने के लिये नहीं है, इस वास्ते दो को पानी में फेंक दिया है और बाकी दो को रख लिया है । अगर ऐसी हालत है तो जो सोशलिस्टिक पैटर्न है, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है....

एक माननीय सदस्य : यही सोशलिस्टिक पैटर्न है ।

श्री यादव नारायण जाधव : अगर इस तरह की चीजों को आप दुरुस्त नहीं कर सकते हैं तो और क्या कर सकते हैं । दुर्भाग्यवश हमारे जो मंत्री लोग हैं, उनकी भी इस मामले में एक राय नहीं नहीं है । उनकी एक राय इस मामले में होनी चाहिये....

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : विरोधी दलों के सदस्यों की भी एक राय नहीं है ।

श्री यादव नारायण जाधव : एक राय है, इस के बारे में ।

एक आखिरी बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा । देहातों में वाटर सप्लाई के बारे में म कुछ कहना चाहता हूं । यह एक बहुत बड़ा सवाल है । लेकिन इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये । आज हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हिन्दुस्तान के देहातों में से जो फारेस्ट हैं, वे खत्म होते जा रहे हैं । इसका एक असर यह होने वाला है कि पानी कम बरसेगा । जहां जंगल होते हैं, जहां पहाड़ होते हैं, वहां पानी बरसता है । अगर हम चाहते हैं कि पानी बरसे तो जो फारेस्ट्स खत्म होते जा रहे हैं, उसको हमें रोकना होगा फारेस्टेशन के लिये हमें कोशिश करनी होगी । हम वन महोत्सव मनाते हैं लेकिन वह केवल महोत्सव ही

रहता है, हमको कोई दरख्त उगते नहीं दिखाई देते । इसका असर यह हुआ है कि देहातों में पानी की बहुत तकलीफ हो गई है । मैं जिस कांस्टीट्टुएंसी से आता हूं वहां जिन हिस्सों में आबादी है वहां १५० और १०० इंच वर्षा होती है लेकिन वहां के देहातों में लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता । तो आपको इस तरफ कोशिश करनी पड़ेगी और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा । मैं आशा करता हूं कि इस तरफ मंत्रालय अवश्य ध्यान देगा ।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि एस्टीमेट कमेटी ने जो कुछ बातें इस मिनिस्ट्री के सामने रखी हैं उनमें से कुछ को तो इसने मान लिया है लेकिन कुछ सिफारिशात को नहीं माना है और उनके बारे में जवाब दिया है ।

दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके डिसपेंसरी हैं उनमें लोगों को दवा लेने में कठिनाई होती है । मेरा सुझाव है कि उनको २४ घंटे खुला रखा जाए । इस बारे में भी कोशिश होनी चाहिये ।

सी० एच० एस० स्कीम को भी आप्शनल कर देना चाहिये ऐसी बात कही गई है । मैं समझता हूं कि इस चीज को गवर्नमेंट को मान लेना चाहिये ।

सेंट्रल स्टोर्स में बड़ा नुक्सान उठाना पड़ता है । गवर्नमेंट इस बात को मानती है लेकिन इसके लिये जो कदम उठाना चाहिये वह नहीं उठाया जाता । इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिये । एस्टीमेट कमेटी ने जो बातें रखी हैं उन पर ध्यान देना चाहिये । मैं उन सब बातों को इस समय यहां नहीं रख सकता । आपको उन पर ध्यान देना चाहिये ।

अन्त में मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा मैडिकल एड देने का ध्यान देना चाहिये ।

श्रीमती लक्ष्मी बाई : मैडम चैयरमैन, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है ।

शरीरमाद्यः खलु धर्म साधनम्

देह के जितने काम हैं और भगवान के जितने काम हैं सब का साधन स्वस्थ शरीर ही है । हमारे देश की यही भावना रही है कि शरीर द्वारा काम करके ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है ।

मैं हैल्थ मिनिस्ट्री को बधाई देना चाहती हूं क्योंकि वह नए नए काम करने की सोचती हैं । उन्होंने गांवों के लिये कई स्कीमें बनाई हैं । लेकिन इस विभाग के लोग वहां रह कर काम नहीं करते । वहां जाकर वापस आ जाते हैं । लेकिन इतने के वास्ते भी मैं उनको धन्यवाद देती हूं । Something is better than nothing. हमारी चैयरमैन ने कई बातें बतायी थीं । इसमें कुछ सबजेक्ट स्टेट के हैं कुछ सेंटर के हैं । हर एक बात में सेंटर से पूछने से काम नहीं चल सकता ।

हम देखते हैं कि हैल्थ डिपार्टमेंट रोगों को अच्छा करने के लिये बहुत ज्यादा खर्च करता है । रोगो के रोकने के लिये उतना खर्चा नहीं करता । इस विभाग वालों को बहिनों की भी बात सुनना चाहिये और उनके तजरबे से अपने काम में सुधार करना चाहिये ।

श्री करमरकर : सुन र हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी बाई : इस विभाग का पहला काम प्रिवेंशन का होना चाहिये और उसके अन्दर सेंटर को मदद करनी चाहिये। अभी डाक्टर सुशीला नायर ने बताया था कि साफ पीने के पानी और मोरियों का इन्तिजाम होने से आधी बीमारी खत्म हो जायगी। बहुत जगह पीने के पानी का इन्तिजाम नहीं है, ऐसा बेढंगा काम है। मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी की आपको बात बताना चाहती हूं। कई गांवों में ७० पर सेंट रहने वालों को पीने का पानी नहीं मिलता। इस कारण वे बीमार हो जाते हैं। तो पानी का और मोरियों का इन्तिजाम होना चाहिये।

आपका लिटरेचर अंग्रेजी में तैयार किया जाता है। उसको एक दो पर सेंट लोग समझते हैं। एक डाक्टर या एक इंस्पेक्टर गांव के बाजार में जाते हैं तो लोग इकट्ठे होते हैं। वे वहां बोलते हैं तो कुछ लोगों की समझ में नहीं आता कि डाक्टर क्या बोल रहे हैं। उनको लोकल भाषा में बोलना नहीं आता। इसलिये लोग उनकी बात नहीं समझते। वे ११ बजे जाते हैं और एक बजे तक वापस लौट जाते हैं, तो इस तरह से काम नहीं हो सकता। वे किताबें बांट जाते हैं। लोग उनको नहीं समझते, हमारे पास लाते हैं और पूछते हैं कि ये किस कानून की किताबें हैं। लोग सिर्फ उनकी तस्वीरें देख लेते हैं। तो मेरा सुझाव है कि लिटरेचर लोकल भाषाओं में तयार कराया जाना चाहिये। और साधारण भाषा में लिखा जाना चाहिये ताकि आम लोग उसको समझ सकें। इसके अतिरिक्त ये किताबें छोटी छोटी होनी चाहियें।

दूसरी बात मैं फैमिली प्लानिंग के बारे में कहना चाहती हूं। इसका बहुत काम हो रहा है। मगर यह काम अधिकतर शहरों में होता है जहां कि अधिकतर धनी और मध्य वर्ग के लोग रहते हैं। अमीरों के ज्यादा बच्चे वैसे ही नहीं होते। तो इनके लिये फैमिली प्लानिंग के काम से क्या फायदा हो सकता है। बच्चे तो गरीबों के ज्यादा होते हैं जो कि ज्यादातर गांवों में रहते हैं। इसलिये इस काम को गांवों में जाकर करना ज्यादा ठीक होगा। और इस काम को लेडी डाक्टरों को करना चाहिये क्योंकि औरतें मर्द डाक्टरों से मशविरा लेना पसन्द नहीं करतीं।

अभी एक मेम्बर बोल रहे थे कि लेडी डाक्टरों की बहुत कमी है। यह ठीक है। कमी तो मेल डाक्टरों की भी है। लेडी डाक्टरों की तो बहुत ज्यादा कमी है। एक डाक्टर पांच साल में पढ़ कर तैयार होता है, उस पर यूनीवर्सिटी का या कालिज का ५० या ६० हजार रुपया खर्च होता है। लेकिन डाक्टर क्या करता है उनमें सेलफिशनैस का मोटिव बहुत ज्यादा हो गया है। पुराने जमाने में डाक्टर फिर भी अच्छे होते थे। डाक्टर का किसी भी गांव में होना बहुत आवश्यक है। हमारी भाषा में एक कवि हुए हैं जिनका नाम है वयमना कवि। उन्होंने कहा है कि जिस गांव में हमेशा चलने वाला पानी न हो, जहां पर गुरु ब्राह्मण न हो, जहां पर वैद्य न हो और जहां पर रुपया एडवांस करने वाला साहूकार न हो उस गांव में नहीं बसना चाहिये। लेकिन आजकल डाक्टर क्या करते हैं। उनके ऊपर ५० या ६० हजार रुपया खर्च होता है। उसके बाद वे मुलाजिमत में आते हैं और पापुलर होने पर नौकरी छोड़ कर प्राइवेट प्रेक्टिस करने लगते हैं। इस प्रकार का नियम बनाना चाहिये कि डाक्टर प्राइवेट प्रेक्टिस न करने पाये। होता यह है कि दो तीन साल वे नौकरी करते हैं और फिर चले जाते हैं। वह कहते हैं कि हमको स्टेट इतना रुपया नहीं देती जितना कि हम प्राइवेट प्रेक्टिस में कमा सकते हैं। डाक्टर लोग इतने खुदगरज हैं कि जो गांव के लोग आते हैं उनको नहीं देखते क्योंकि उनके पास देने के लिये फीस नहीं होती। उन की फीस १५, २० रुपये होती है, गांव वालों के पास इतना पैसा नहीं रहता। मैं आपको बताऊं कि पुराने डाक्टर अच्छे थे, आजकल के डाक्टर इतने खराब हो गये हैं कि अस्पताल में पेशेंट्स को एडमिट नहीं करते। उसके घर पर उसका इलाज करना चाहते हैं। वहां पर मैलप्रैक्टिस चलती है और कुछ रुपया देने के बाद में उनको वार्ड में दाखिल कर लिया जाता है। वे मरीज में

तब तक कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं जब तक कि मरीज के रिश्तेदार और परिवार वाले उन डाक्टर महाशय से बंगले पर मुलाकात नहीं कर लेते हैं और उनको खुश नहीं कर देते हैं। मैं दात्रे के साथ कहती हूं कि इस तरह की मरीजों को अस्पताल में ऐडमिट करने में गड़बड़ चलती है जोकि वांछनीय नहीं है और मैं समझती हूं कि इस सदन के अन्य माननीय सदस्य भी मुझ से सहमत होंगे कि एक इस तरह के लेजिस्लेशन की बड़ी आवश्यकता है ताकि वे व्यक्ति जोकि मैडिकल प्रैक्टिस में आते हैं, विभिन्न राज्यों से आते हैं वे रिटायर होने तक घर पर प्राइवेट प्रैक्टिस न कर सकें। आप अगर जरूरी समझें तो भले ही अपने इन डाक्टरों की तनख्वाह में बढ़ोत्री कर दीजिये और उनके गावों में रहने का माकूल इंतजाम कर दीजिये। अब यह तो देश का बड़ा भारी नुक्सान है कि इतना पैसा खर्च करके डाक्टर ट्रेन किये जायें और वे केवल चार या पांच वर्ष तक काम करने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस चालू कर दें। प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत नहीं होनी चाहिये।

जहां तक लेडी डाक्टर्स का सवाल है उनकी समस्या तो और भी जटिल है क्योंकि उनकी तादाद तो और भी थोड़ी होती है और शादी होने के बाद उनका पति उनको इस्तीफा देने के लिये कह देता है। ऐसा होने से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और मैं चाहती हूं कि कोई ऐसी बंदिश होनी चाहिये ताकि इतना रुपया जो उन पर खर्च होता है वह इस तरह जाया न जाये।

हमारे प्रशासन को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि हमारे डाक्टर्स लोग गांव में जाकर काम कर सकें और वहां के लोगों को डाक्टरी इलाज दे सकें। अब डाक्टरी पास करने पर जब यह निकलते हैं तो अनुभव बतलाता है कि कोई भी शख्स गांव में जाना नहीं चाहता सब शहर में रहना चाहते हैं और वहां रह कर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं १०, १० और २०, २० रुपया एक एक मिनट में कमा लेते हैं। मैं चाहती हूं कि इस ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाय और आज जो यह अस्पतालों में एडमिशन के सिलसिले में और प्राइवेट प्रैक्टिस चलती है यह बन्द हो सकें और हमें लगन के साथ ईमानदारी से काम करने वाले डाक्टर और लेडी डाक्टर्स मिल सकें जोकि गांव में जाकर काम कर सकें। मैं समझती हूं कि इसके लिये अगर कोई बिल लाया जायगा तो उसको सब ओर से समर्थन मिलेगा। हैल्थ और एजुकेशन यह दोनों सेंट्रल सब्जैक्ट हैं और इस नाते भारत सरकार का इस ओर विशेष उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह यह देखे कि हमारे डाक्टर्स लोग सही मायनों में अपने कर्त्तव्य का पालन करें और देश की जनता की जोकि मुख्य रूप से गांवों में बसती है सेवा करें और उनको आवश्यकतानुसार डाक्टरी चिकित्सा सुलभ करें।

अब हैल्थ के मामले में स्त्रियों की विशेष रूप से जिम्मेदारी होती है और आपको मालूम ही है कि हर बहन अपने घर की एक तरह से छोटी मोटी डाक्टर होती है। अब अगर घर में किसी को जुकाम हो जाता है तो उस के लिये डाक्टर के पास कोई नहीं जाता और हमारी बहनें अपना घरेलू इलाज करके उस को ठीक कर लेती हैं। उनको मालूम रहता है कि मामूली मामूली शिकायतों में क्या किया जाना चाहिये और हल्दी, कुमकुम, धनिया और अन्य आयुर्वेदिक चीजें जोकि उन के पास रहती हैं उनकी मदद से छोटी मोटी बीमारियां वे स्वयं ठीक करने में कामयाब हो जाती हैं।

गांवों के लिये एक्सपर्टस लेडी डाक्टर्स होनी चाहियें जोकि गांव वालों की चिकित्सा कर सकें। उनको घर घर विजिट करके गृहणियों को समझाना चाहिये कि वे कैसे अपने बच्चों की देखभाल करें, कैसे उनको आम रोगों से बचायें, उनको प्रीवेंटिव मेजर्स समझायें। हमारे अपने पास आयुर्वेदिक की हल्दी, कुमकुम तथा अन्य चीजें होती हैं और बगैर एलोपैथिक दवाइयों के ही गांवों में इन देशी दवाइयों से बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। हमारी इन लेडी डाक्टर्स को गांव वालों को समझाना चाहिये कि छूत के रोगों में क्या क्या सावधानी बर्तनी चाहिये।

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

मेरा कहना यह है कि जहां आपने यह फैमिली प्लानिंग सेंटर्स खोले हैं वहां आपको मैटरनिटी सेंटर्स भी रखने चाहियें। विशेष कर गांवों में खाली फैमिली प्लानिंग सैंटर्स से काम चलने वाला नहीं है। यह तो एक आपने प्रीवेंटिव मेजर रक्खा है। अब जैसा कि मेरे भाई श्री जाधव ने कहा कि एक बहन ने अपने चार बच्चों में से चूंकि वह उनका लालन पालन करने में असमर्थ थी इसलिये उसने अपने दो बच्चों को यमुना में डुबो दिया और शेष दो को लेकर रहने लगी, ऐसी बहन हमारे देश में मैं उनको बतलाना चाहूंगी मिलना सम्भव नहीं है। कोई भी हिन्दुस्तान की मां ऐसा कृत्य करने वाली नहीं है और मैं श्री जाधव के इस कथन को चुनौती देती हूं और उस पर अपना विरोध प्रकट करती हूं।

इसलिये मेरा कहना है कि फैम्ली प्लानिंग के साथ ही वहां पर मैटरनिटी सैंटर भी रखना चाहिये और वहां पर आयुर्वेदिक, यूनानी या किसी और पद्धति से दवादारू करने का इंतजाम होना चाहिये। गांवों में मैटरनिटी ऐड की व्यवस्था करने की अति आवश्यकता है। गांवों में आप अगर चाहते हैं कि यह फैमिली प्लानिंग आपकी कामयाब हो तो उसके पहले आपको मैटरनिटी सैंटर्स खोलने चाहियें वरना फैमिली प्लानिंग आपकी गांवों में कामयाब होने वाली नहीं है। हर एक मैटरनिटी सैंटर पर पर्याप्त दवादारू की व्यवस्था की जानी चाहिये।

आखिर में मैं मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देती हूं कि आप देश के निवासियों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिये जागरूक हैं और उसके हेतु नई नई स्कीमें लायें हैं। मुझे विश्वास है कि जब आपकी स्कीमें अमल में आयेंगी तो डाक्टर लोग ज्यादा दिलचस्पी से और लगन से अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे। आज जैसे काम होता है वैसा काम न होकर पूरी लगन और मेहनत के साथ वे अपना फर्ज निबाहेंगे। खाली रिपोर्ट लिख देने से तो काम नहीं चलेगा। मुझे आशा और विश्वास है कि जो मैंने चन्द एक सुझाव दिये हैं उन पर मंत्री महोदय और उनका मंत्रालय सानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
४३	२४१	श्री मो० ब० ठाकुर	कालेज से निकलने वाले चिकित्सकों को अनिवार्यतः दो वर्ष के लिये गांवों में काम करने की शर्त रखने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	२४२	श्री मो० ब० ठाकुर	गांवों में नियुक्त डाक्टरों के लिये सुविधायें	१०० रुपये
४३	२४३	श्री मो० ब० ठाकुर	पिछड़े हुए क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	२४४	श्री मो० ब० ठाकुर	अंशदायी चिकित्सा सेवा को अन्य बड़े शहरों तक पहुंचाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	२४५	श्री मो० ब० ठाकुर	अधिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
४३	२४६	श्री मो० ब० ठाकुर	चिकित्सा-विद्यार्थियों के लिये दो वर्ष के व्यावहारिक पाठ्यक्रम की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	२४७	श्री अरविन्द घोषाल	नर्सिंग होमों में ऊंची फीस पर प्रतिबन्ध	१०० रुपये
४३	३०२	श्री अरविन्द घोषाल	अनिवार्य बी० सी० जी० टीके की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३०३	श्री अरविन्द घोषाल	रेडक्रास संस्थाओं द्वारा दुग्धचूर्ण का वितरण बन्द करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३०४	श्री अरविन्द घोषाल	परिवार नियोजन योजना में दवाओं के वितरण में कदाचार	१०० रुपये
४३	३०५	श्री अरविन्द घोषाल	परिवार नियोजन योजनाओं की असफलता	१०० रुपये
४३	३०६	श्री अरविन्द घोषाल	देशीय ओषधियों में गर्भनिरोधकों की गवेषणा	१०० रुपये
४३	३०७	श्री अरविन्द घोषाल	कसौली तपेदिक सेनेटोरियम में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये अधिक पलंगों की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३०८	श्री अरविन्द घोषाल	तपेदिक अस्पतालों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये पलंग सुरक्षित रखने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३०९	श्री अरविन्द घोषाल	खाद्य प्रयोगशाला की गवेषणाओं को कार्यान्वित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३१०	श्री अरविन्द घोषाल	बृहतर कलकत्ता योजना के अन्तर्गत पीने के पानी के संभरण के विकास के लिये सहायता	१०० रुपये
४३	३११	श्री अरविन्द घोषाल	जल-संभरण और सफाई की राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
४३	३१२	श्री अरविन्द घोषाल	होम्योपैथिक पद्धति को राष्ट्रीय मान्यता	१०० रुपये
४३	३१३	श्री अरविन्द घोषाल	देहाती क्षेत्रों में स्त्री रोगों के क्लिनिकों की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३१४	श्री अरविन्द घोषाल	स्वास्थ्य-विज्ञान तथा लोक स्वास्थ्य अखिल भारतीय प्रतिष्ठान के विकास तथा विस्तार की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३१५	श्री अरविन्द घोषाल	मनीपुर और नागालैंड में गलगण्ड परियोजनाओं की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३१६	श्री अरविन्द घोषाल	कुष्ट-केन्द्रों की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३१७	श्री अरविन्द घोषाल	कुष्टरोगियों के लिये पृथक व्यवस्था	१०० रुपये
४३	३१८	श्री अरविन्द घोषाल	यौनरोगियों का बन्धयीकरण	१०० रुपये
४३	३१९	श्री अरविन्द घोषाल	चिकित्सकों के केन्द्रीय पूल की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३२०	श्री अरविन्द घोषाल	केन्द्रीय पुंज से ऐसे अस्पतालों के लिये डाक्टर भेजने की आवश्यकता जो कि बिना डाक्टरों के चल रहे हैं	१०० रुपये
४३	३२१	श्री अरविन्द घोषाल	मलेरियां का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३२२	श्री अरविन्द घोषाल	चेचक का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३५२	श्री अरविन्द घोषाल	एक भारतीय के लिये आवश्यक न्यूनतम केलौरी (उष्मा) निश्चित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३५३	श्री अरविन्द घोषाल	सामान्य भोजन के पौष्टिक मूल्य को केलोरियों में क्षेत्रीय आधार पर विहित करने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४३	३५४	श्री अरविन्द घोषाल	कामगरों के स्वास्थ्य को नियमित रूप से परीक्षा करने के लिये एक राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३५५	श्री अरविन्द घोषाल	विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की नियमित रूप से परीक्षा करने के लिये क राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३५६	श्री अरविन्द घोषाल	विद्यार्थियों के लिये निशुल्क नेत्र परीक्षा की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३५७	श्री अरविन्द घोषाल	दुर्बल दृष्टि वाले विद्यार्थियों को मुफ्त चश्में देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३७८	श्री अरविन्द घोषाल	निशुल्क बाल चिकित्सा केन्द्रों की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३७९	श्री अरविन्द घोषाल	प्रशिक्षण एवं चिकित्सा तथा बाद की देखभाल वस्तियों की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३८०	श्री अरविन्द घोषाल	सभी बड़ नगरों में केन्सर अस्पताल की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३८१	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता के कैन्सर अस्पताल को अधिक सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३८२	श्री अरविन्द घोषाल	रेडियोग्राफी में उच्चतर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३८३	श्री अरविन्द घोषाल	और अधिक उच्चतर डाक्टरी अनुसंधान संस्थाओं की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३८४	श्री अरविन्द घोषाल	एफ० आर० सी० एस० और एम० आर० सी० पी० लाइन पर औषध और शल्य चिकित्सा में उच्चतर पाठ्यक्रम के शुरू करने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४३	३८५	श्री अरविन्द घोषाल	योग पद्धति के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३८६	श्री अरविन्द घोषाल	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	३८७	श्री अरविन्द घोषाल	आयुर्वेद पद्धति में उच्चतर अनुसंधान की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	४०८	श्री अरविन्द घोषाल	और अधिक मानसिक रोग चिकित्सालय खोलने की आवश्य ता	१०० रुपये
४३	४०९	श्री अरविन्द घोषाल	मानसिक रूप से असंतुलित लोगों की चिकित्सा के लिये मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	४१०	श्री अरविन्द घोषाल	जाली दवाओं के निर्माण पर ोक लगाने के लि उचित विधान बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	४११	श्री अरविन्द घोषाल	जाली दवाओं के निर्माता और विक्रेताओं को उदाहरणीय दंड देने के लिये	१०० रुपये
४३	४१२	श्री अरविन्द घोषाल	खाद्य अपमिश्रण कर्त्ताओं को उदाहरणीय दंड देने के लि विधान बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	४१३	श्री अरविन्द घोषाल	अधिक क्षय रोग चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	४१४	श्री अरविन्द घोषाल	अधिक दांत चिकित्सालय खोलने की आवयश्कता	१०० पये
४३	४१५	श्री अरविन्द घोषाल	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	४१६	श्री अरविन्द घोषाल	गैर-सरकारी रक्त बैंकों के उन्मूलन की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती का प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४३	४१७	श्री अरविन्द घोषाल	संघ क्षेत्र के प्रत्येक नगर में नेत्र बैंक स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपए
४३	४१८	श्री अरविन्द घोषाल	अल्पकालीन परिचर्या योजना आरम्भ करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	४१९	श्री अरविन्द घोषाल	दाइयों के और अधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	४५९	श्री अरविन्द घोषाल	रैड क्रास सोसाइटी में भ्रष्टाचार रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	४६०	श्री अरविन्द घोषाल	डाक्टरी पुस्तकों को प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	५७३	श्री अरविन्द घोषाल	कानपुर में क्षय रोग का अस्पताल खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	५७४	श्री अरविन्द घोषाल	कानपुर मैडिकल कालेज को केन्द्र द्वारा अनुदान देने आवश्यकता की	१०० रुपये
४३	५७५	श्री अरविन्द घोषाल	उत्तर प्रदेश में और अधिक मैडिकल कालेजों की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	५७६	श्री अरविन्द घोषाल	भारत में आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	५७७	श्री अरविन्द घोषाल	देश में क्षय तथा केन्सर के बढ़ते हुए मामले	१०० रुपये
४३	६२७	श्री खुशवक्त राय	आयुर्वेदक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	६२८	श्री खुशवक्त राय	बनस्पति घी को रंगने के लिये उपयुक्त विधान बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४४	६०१	श्री कोडियान	भारतीय औषधियों के लिये एक प्रामाणिक औषधकोष बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४४	६०२	श्री कोडियान	चिकित्सोपयोगी जड़ी बूटियों के केन्द्रीय तथा प्रादेशिक बागीचे स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४४	६०३	श्री कोडियान	आयुर्वेदीय और यूनानी औषधियों के प्रामाणीकरण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४४	६०४	श्री कोडियान	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४४	६०५	श्री कोडियान	फाइलेरिया वाले क्षेत्रों में फाइलेरिया चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
४४	६०६	श्री कोडियान	देश से चेचक का उन्मूलन करने के लिये उचित कदम उठाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४४	६०७	श्री कोडियान	ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी	१०० रुपये
४४	६०८	श्री कोडियान	भारतीय केन्द्रीय औषध परिषद की स्थापना करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४४	६०९	श्री कोडियान	दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भीड़-भाड़ कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४४	६१०	श्री कोडियान	वेलिंगडन हास्पटल और नर्सिंग होम नई दिल्ली के विस्तार कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में असफल रहना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४४	६११	श्री कोडियान	केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद् की स्थापना में असफल रहना	१०० रुपये
४४	६१२	श्री कोड्डियान	देश के आयुर्वेदिक कालेजों का स्तर ऊंचा करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४४	६१३	श्री कोडियान	देश में महिला डाक्टारों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४४	६१४	श्री कोडियान	एक पूर्ण स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४४	६१५	श्री कोडियान	खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिये प्रभावशाली कार्यवाही करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४४	६१६	श्री कोडियान	क्षय विरोधी कार्यक्रम की धीमी प्रगति	१०० रुपये
४४	६१७	श्री कोडियान	तीसरी योजना की अवधि में राज्यों में परिवार नियोजन के लिय और अधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
४४	६१८	श्री कोडियान	नूरंद में कुष्ट चिकित्सालय के विस्तार और विकास के लिये केरल सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१२४	१७२	श्री अरविन्द घोषाल	इम्फाल नगर को और अधिक पीने के पानी संभरण करने आवश्यकता	१०० रुप
१२४	१७३	श्री अरविन्द घोषाल	मनीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों को पीने का पानी संभरण करने के लिये एक योजना	१०० रुपये

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : सभानेत्री जी, यह सही है कि पिछले वर्षों में हैल्थ मिनिस्ट्री ने कई सुधार के काम किये हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह भी सही है कि हमारे देश के स्वास्थ्य की जो समस्या है वह दिन-प्रति-दिन जटिल होती जा रही है। हमारा एक बहुत बड़ा देश है और जैसा कहा गया है कि इसकी आबादी ४३ करोड़ के करीब होने जा रही है। इतना अधिक रुपया खर्च करने के बाद और इतने अधिक औषधालय खोलने के बाद, इतने अधिक मैडीकल कालेज खोलने के बाद अगर लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है तो इसके लिये कुछ और उपाय किये जाने चाहियें। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जैसा अभी बताया गया है कि एक बोर्ड बिठाया था इस बात का पता लगाने के लिये कि बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे उनसे रोकथाम की जा सकती है। इसका एक मात्र तरीका प्राकृतिक चिकित्सा ही है। मैं आपसे इस बात में सहमत नहीं हूं कि उन्होंने बीमारी रोकने तक ही इस विषय को सीमित रखा था बल्कि उन्होंने अपने उदाहरण द्वारा यह सिद्ध कर दिया था कि प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा आदमी स्वस्थ हो सकता है। उरली कांचन में उन्होंने एक प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित किया था और उस केन्द्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्राकृतिक चिकित्सा भी एक पद्धति है और देश का हित इसमें है कि इसको अपनाया जाये और यह सर्वसाधारण को आसानी से सुलभ हो सकती है। उन्होंने पूना में इस केन्द्र को स्थापित नहीं होने दी क्योंकि उनका विचार था कि साधारण जनता वहां नहीं पहुंच पायेगी और वहां यह चीज महंगी पड़ेगी और उन्होंने स्वतः अपने लड़के भाई राम दास को वहां रखा और इसके परीक्षण करवाये। उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि इस चिकित्सा पद्धति द्वारा रोगों का उन्मूलन हो सकता है। औषधि वगैरह देने के वे सख्त खिलाफ थे और उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेकर यह सिद्ध किया कि इससे भी रोगी को आराम हो सकता है। आज हम देखते हैं कि गोरखपुर में, जैसीडी में तथा और दूसरी जगहों पर ऐसे केन्द्र स्थापित हैं जहां से कि सौ फीसदी रोगी ठीक होकर बाहर निकलते हैं। उनको कोई दवाई नहीं दी जाती है। केवल रहन सहन, खानपान, टब बाथ, उपवास इत्यादि पर ही निर्भर रह कर तथा इन उपायों का ही सहारा लेकर रोगी को रोग मुक्त कर दिया जाता है। टहलना, मालिश आदि पर ही अधिक जोर दिया जाता है। इस तरह की चीजों की आज बहुत जरूरत है। आपका तथा हमारा सभी का यह तजुर्बा है कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से लाभ होता है। इसमें सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं है। आपका विशेष ध्यान इधर जाना चाहिये।

जहां तक आयुर्वेदिक पद्धति का संबंध है, उसमें भी दवाइयों पर इतना जोर नहीं दिया जाता है जितना ही दूसरी चीजों पर। हमारे मेलकोटे साहब ने कहा है कि लोग आयुर्वेदिक कालेजों में तब भर्ती होने के लिये जाते हैं जब उनको एलोपेथिक कालेजों में एडमिशन नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि उनकी यह धारणा गलत है। लोग आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली को इसलिये नहीं अपनाते हैं कि इसमें तनख्वाह कम मिलती है, उतनी सहूलियतें नहीं मिलती हैं जितनी की एलोपेथी पढ़े हुये लोगों को मिलती हैं, लैबोरेटरीज़ नहीं है, अच्छे टीचर्ज और अच्छे प्रोफेसर्ज इसको पढ़ाने के लिये नहीं हैं। ऐसी बात नहीं कि आयुर्वेदी में या यूनानी में कोई एक दो मिरेकल्ज़ हो गये हों, चमत्कार हो गये हों। अगर आप सारे देश के आंकड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि अधिकतर लोग आयुर्वेदी और यूनानी चिकित्सा पद्धति से ही फायदा उठा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो एलोपेथिक औषधालयों से फायदा उठाते हैं। उनसे फायदा उठाना भी बड़ा मुश्किल होता है। जो इसके बड़े बड़े अस्पताल हैं, वे बड़े बड़े शहरों जैसे, ग्वालियर, भोपाल आदि तक ही सीमित हैं। वहां दाखिल होना भी बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बड़ी क्यू मरीजों की लगी रहती है। बड़ी मुश्किल से कोई इनडोर पेशेंट

के तौर पर भर्ती हो सकता है। दिन भर उसको दवाई लेने के लिये खराब करना पड़ता है। जब आपरेशन होना होता है तो उस वक्त टेबल पर मरीज से पैसे रखवाये जाते हैं। लोगों को पैसे देने के लिये मजबूर किया जाता है। लोग जब हर तरफ से निराश हो जाते हैं तभी इन अस्पतालों की शरण में जाते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे यहां जितनी भी पद्धतियां हैं उनका अधिक से अधिक प्रचार हो। खास तौर से मैं इसमें देशी चिकित्सा पद्धतियों को शामिल करता हूं। मैं तो कहूंगा कि हर विद्यार्थी, हर बालक बालिका, हर शिक्षक के कोर्स में यह चीज रख दी जानी चाहिये कि कैसे अच्छा रहा जा सकता है, कैसे बीमारी से बचा जा सकता है, कैसे अगर मामूली बीमारी आ जाये तो गांवों में ही मामूली औषधियों से उसका इलाज किया जा सकता है। इसका अनिवार्य रूप से एक कोर्स होना चाहिये। मनुष्य जीवन के लिये कमाता है और अगर जीवन के लिये कमाता है तो क्या यह जरूरी नहीं है कि उसका जीवन स्वस्थ हो, वह स्वस्थ रहे, इस कोर्स की मैं चाहता हूं अनिवार्य रूप से पढ़ाई की व्यवस्था कर दी जानी चाहिये।

जहां तक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का संबंध है, इसकी ट्रेनिंग हर एक अध्यापक को, हर एक ग्राम सेवक को, हर एक पटवारी इत्यादि को एक दो महीने में दी जा सकती है और बिना पैसे के सारे देश में इसका प्रचार किया जा सकता है। अगर इस चीज को अपनाया गया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो करोड़ों रुपया आप औषधियों पर तथा अस्पताल खोलने पर खर्च कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ बचत हो सकती है।

एक और भी चिकित्सा पद्धति है जिसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये और वह है होम्योपेथिक चिकित्सा पद्धति। यह बहुत सस्ती है। इस सिस्टम के अन्तर्गत बिना आपरेशन का सहारा लिये हुये मामूली सी दवाई देकर लोगों का इलाज कर दिया जाता है। एक पेटी में थोड़ी सी दवाइयां रख ली जाती हैं और बड़े से बड़े रोग का इलाज भी बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। हर रोज दवाई देने की भी इसमें जरूरत नहीं है। आठ, दस पन्द्रह दिन या एक महीने के लिये एक खुराक ही काफी रहती है और रोगी को अच्छा कर देती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश के विभिन्न भागों में होम्योपेथिक डिसपैंसरीज सरकार कायम करे, जिनमें अच्छे डाक्टर रखे, विद्वान डाक्टर रखे जोकि आयुर्वेद के भी विद्वान हों, होम्योपेथी के भी हों और ऐलोपेथी के भी हों, इन सबका उन्होंने अध्ययन किया हुआ हो और होम्योपेथी सिस्टम से लोगों का इलाज करें। थोड़े से ही खर्च में और बहुत बड़ी संख्या में इससे रोगी अच्छे हो सकते हैं। यह बहुत कम खर्चीली पद्धति है और हमारे देश के बहुत उपयुक्त है, ग्राम जनता के हित में है। इस पर भी कुछ परीक्षण करने की माननीय मंत्री जी व्यवस्था करायें तो बहुत अच्छा होगा।

कई ऐसी चीजें हैं जिन से बीमारियां फैलती हैं। उनमें से एक पौल्यूशन आफ रिवर वाटर्ज है। नदियों की गन्दगी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। अमरीका ने काफी इसके बारे में काम किया है और यूरोपियन कंट्रीज में यह चीज एक बहुत बड़े प्राब्लैम के रूप में सामने आ गई है। जहां बड़े बड़े कारखाने हैं वहां यह समस्या पैदा होती है। डेन्यूब, टेम्ज इत्यादि नदियों का पानी गन्दा हो गया है। हालैंड में और डेनमार्क में भी जो समुद्र हैं वे गन्दे हो रहे हैं और बीमारियां पड़ने का अन्देशा हो रहा है। क्या आप भी यही चाहते हैं कि यहां भी बीमारी खूब बढ़ जाये तब इसके बारे में आप कोई कदम उठायें? आज इसकी जरूरत है कि हम इस विषय में कोई कानून बनायें जिससे रिवर पौल्यूशन को रोका जा सके। जो हमारा तीसरा प्लान है वह एक इंडस्ट्रियल प्लान है। अगर उसमें रिवर्स को पौल्यूट होने से नहीं रोका गया तो बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो जायेगी। हैल्थ इंजीनियर्स की कांफ्रेंस में इस पर विचार हुआ था और एक प्रस्ताव पास किया गया था। मैं आशा करता हूं कि यह चीज केवल विचार विमर्श तथा प्रस्ताव पारित करने तक ही सीमित

[श्री राधे लाल व्यास]

नहीं रह जायेगी बल्कि कोई कानून भी बनाया जायेगा जिससे नदियों और तालाबों के पानी को गन्दा होने से बचाया जा सके ।

तीसरे प्लान में आयुर्वेदी के लिये तथा दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के लिये अधिक से अधिक पैसा रखा जाना चाहिये । आज इस समय बहुत कम ध्यान इस ओर दिया गया है और बहुत कम रकम रखी गई है । हम इन देशी चिकित्सा पद्धतियों से जो आशा रखते हैं, वह आशा हमारी इस तरह से पूरी होने वाली नहीं है । थोड़े से पैसे देकर अगर हम यह आशा करें कि बड़े नतीजे निकलें तो ऐसा नहीं हो सकता है । जरूरत इस बात की है कि और अधिक पैसा देशी चिकित्सा पद्धतियों के लिये अलग से रखा जाये ।

अब मैं ड्रिंकिंग वाटर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । पीने का स्वच्छ पानी कई देहातों में आज भी सुलभ नहीं है । पीने के पानी के कुएं भी कई गांवों में नहीं हैं । नदियों का गन्दा पानी लोग पीते हैं । देश को आजाद हुये १२-१३ साल हो गये हैं और आप लोगों के पीने के लिये साफ पानी भी मुहैया नहीं कर सके हैं, क्या यह हमारे लिये शर्म की बात नहीं है । मैं चाहता हूं कि तीसरी योजना में इतना रुपया तो इस काम के लिये रखा जाये जिससे कोई भी गांव वगैर कुंए के न रहे और हर गांव में शुद्ध पीने का पानी मिल सके । अधिक से अधिक रुपये की इस काम के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये ।

अब मैं कांट्रीब्यूटरी हैल्थ स्कीम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । जब आप तमाम जनता से टैक्स लेते हैं, उससे कोर्ट्स खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं तो क्या आपका यह भी फर्ज नहीं कि उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिये भी आप कुछ करें । आप टैक्स पर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं । आप टैक्स को थोड़ा और बढ़ा कर क्या इस कांट्रीब्यूटरी हैल्थ सर्विस स्कीम को सारे देश में समान रूप से नहीं लागू कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें । इंग्लैंड में बिना पैसे के लोगों के लिये चिकित्सालय खुले हुये हैं । यहां पर भी बिना पैसे खर्च किये लोगो को चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध होनी चाहियें ।

देहाती इलाकों में जिस चीज का आज बहुत ज्यादा अभाव है वह मातृगृहों का है । वहां पर इनकी स्थापना की जानी चाहिये । शहरों और बड़े बड़े कसबों में तो आपने मैटरनिटी होम्ज खोल रखे हैं लेकिन छोटे छोटे देहातों में इनको नहीं खोला है । वहां एक छोटी सी झोंपड़ी में जहां गाए और भैंस भी बंधी रहती है, बैल भी बन्धे रहते हैं, मेहमान भी आकर ठहरते हैं, पति और पत्नी भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, बच्चे को जमाया जाता है । यह हमारे लिये बहुत शर्म की बात है । इस अवस्था में कैसे बालक स्वस्थ रह सकता है और कैसे माता स्वस्थ रह सकती है । हमारे राज्य में डा० काटजू ने मातृगृहों की एक योजना बनायी है और कहा है कि अगर किसी गांव में लोग मातृगृह बनाएं तो उनके लिय सरकार कुछ पैसा देगी । तो जरूरत है कि हर गांव में मातृगृह बनाये जाएं और सरकार की तरफ से एसी व्यवस्था हो कि जो दाई वहां काम करती है उसको प्रति बच्चा कुछ दिया जाए । अगर इस तरह से हम हर गांव में मातृगृह स्थापित कर सकें तो इससे वहां के लोगों को बड़ी सहूलियत होगी ।

बड़े बड़े शहरों में बीमारियों को रोकने के लिये यह बहुत जरूरी है कि अंडरग्राउण्ड ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिये । आज तीन तीन लाख की आबादी के ऐसे शहर हैं जहां यह सुविधा नहीं है । हमारा डेढ़ लाख की आबादी का उज्जैन शहर है जो कि एक धार्मिक स्थान है और जहां अनेक मेले लगते हैं और हर बाहरवें वर्ष तो बहुत बड़ा मेला लगता है । वहां अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज नहीं है ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : इन्दौर से गन्दगी आती है ।

श्री राधेलाल व्यास : वह तो अगर आप रिवर वाटर पोल्यूशन को रोकें तो दूर हो जाएगी । लेकिन जब तक आप शहर के अन्दर अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक शहर की गन्दगी दूर नहीं होगी । यह भी बीमारी का कारण होता है । बड़े बड़े शहरों में जो कालेरा आदि पेट की बीमारियां होती हैं व इसी गन्दगी के कारण होती हैं । तो मेरा सुझाव है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो शहर कम से कम एक लाख आबादी के हैं उनमें तो अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज की व्यवस्था हो जानी चाहिये । इसके लिये अगर आप म्युनिसिपैलिटीज़ को ग्राण्ट न दे सके तो लोन ही दें लेकिन यह व्यवस्था हो जानी चाहिये जिससे कि बीमारियां रुक सकें । और जो लोगों को इस समय बीमारी पर पैसा खर्च करना पड़ता है उससे वह बचें ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : श्रीमती चेयरमैन साहिबा, हैल्थ मिनिस्ट्री की बड़ी भारी जिम्मेदारी है और इस मिनिस्ट्री का काम भी बड़ी जिम्मेदारी का है । सारे भारत का बोझा उसके सिर पर है और सारे भारत का स्वास्थ्य उसको ठीक रखना है । इतनी बड़ी जिम्मेदारी हैल्थ मिनिस्ट्री के ऊपर है । जब हम इस जिम्मेदारी को देखते हैं और अपने देश की गरीबी की तरफ देखते हैं, तो फिर हम देखना चाहते हैं कि इस जिम्मेदारी को हमारी कांग्रेस सरकार किस तरह से पूरा करने वाली है । इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लियं यह बहुत जरूरी है कि इस मिनिस्ट्री के काम पर बहुत सा धन खर्च किया जाए और जब तक धन नहीं खर्च किया जायेगा तब तक लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला नहीं है । लेकिन जब धन की बात आती है तो हमको देखना होता है कि एक ही कोने को हमें सुधारना नहीं है, हमको सारे भारत के कोने कोने को सुधारना है उसको चलाना है । लेकिन हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम इस मिनिस्ट्री को खूब रुपया दे सकें ।

फिर हमारी नजर आती है कि हम को स्वास्थ्य का तो ख्याल रखना है लेकिन भारत में ज्यादातर लोग गरीब हैं और ये लोग ज्यादातर देहातों में रहते हैं । तो देहातों की तरफ जब हम देखते हैं तो हम मिनिस्टर साहब से कहते हैं कि हमको आयुर्वेद की तरफ भी विचार करना चाहिये । आयुर्वेदिक इलाज की इसलिये चर्चा होती है कि पहले देश में यही इलाज ज्यादातर होता था । हम यह बात क्यों कहते हैं ? वह हम इसलिये कहते हैं कि हम देखते हैं कि मुल्क बहुत बड़ा है । उसके लिये एलोपैथी इलाज काफी नहीं मुहय्या किया जा सकता । तो यह चीज बार बार हमारे सामने आती है । मुझे इस सिलसिले में अपने परिवार की एक बात कहनी है । आप जानते हैं कि नेहरू परिवार बहुत बड़ा परिवार है और साथ ही बहुत एनलाईटेंड परिवार है, लेकिन जब से मैं उस घर में आयी तो मैंने देखा कि घर में यह हालात थी कि गो कि एलोपैथिक डाक्टर रोज हमारी नब्ज देखता था, लेकिन उसके होते हुए भी जो बुजुर्ग स्त्रियां थीं वे देशी दवाएं घर पर तैयार कराती थीं और नौकर खरल बट्टा लिये दवाएं तैयार करते रहते थे और हम बच्चों के लिये कोई दवा डाक्टर से नहीं लेते थे । उनके सारे इलाज घरेलू दवाओं से हो जाते थे । आपको यह जान कर ताज्जुब होगा कि मैं बहुत सी दवाएं जानती हूं और आज भी जरूरत होती है तो अपना इलाज अपने आप इन दवाओं से कर लेती हूं और एलोपैथिक दवा नहीं करती । वैसे मैं बीमार बहुत कम होती हूं । मैं पहले तो प्रिवेंशन की कोशिश करती हूं । खाने पीने का विचार रखती हूं और इसलिये बीमार बहुत कम होती हूं । महात्मा जी ने तो हम को बड़े सस्ते इलाज बतलाए थे, जैसे नीम की पत्ती खा लो तो मलेरिया नहीं होगा और तुलसी के पत्तों से क्या फायदा होता है यह हमको बतलाया गया था । तो अगर इन चीजों को हम इस्तैमाल करें तो इनमें कोई खर्चा नहीं है और इनसे बहुत फायदा होता है और वे काफी असर करती हैं । अगर इन्सान अपनी तन्दुरुस्ती का ख्याल रखे तो वह बीमार ही बहुत कम हो ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दवा खाना तो मजबूरी की हालत में होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि अपनी गिजा की तरफ ख्याल रखा जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमको कैसी गिजा खानी चाहिये।

हम से कहा जाता है कि तुम्हारे जिस्म में विटामिन की कमी है, विटामिन बी० या विटामिन सी० या विटामिन ए० का इस्तैमाल करो। ये तरह तरह के विटामिन हमको बता दिये जाते हैं। लेकिन कितने आदमी इन विटामिन्स की गोलियों को खा सकते हैं क्योंकि एक एक बोतल चार चार पांच पांच रुपए की मिलती है। हम अपने डाक्टरों से पूछते हैं कि हमें बताइये कि टमाटो में कौनसे विटामिन हैं, गाजर में कौनसे विटामिन हैं, वह हमको बताते हैं लेकिन क्या बात है कि हम गाजर खाते हैं और टमाटो खाते हैं लेकिन उसका असर हम पर नहीं होता, तो जवाब मिलता है कि जो मदर अर्थ है उसमें शक्ति ही नहीं रही है इसलिये विटामिन की गोलियां खाओ क्योंकि इनमें असर है। यह कहा जाता है। लेकिन ये चीज तो रईसों के लिये ठीक हो सकती है। हमारे सामने तो गरीब देहाती जनता के लिये इन्तिजाम करने का सवाल है। हम अपनी मिनिस्ट्री से बार बार सवाल करते हैं कि आपने गरीबों के लिये क्या किया है। अगर ये गरीब लोग जिन्दा नहीं रहते तो हम लोग भी जिन्दा नहीं रह सकते। हम यह जानते हैं। इसलिये हमारे सामने यह सवाल है।

अभी हमारे एक भाई ने कहा था कि हकीम अजमल खां के दवाखाने ने जड़ी बूटियों की किताब निकाली हैं जिनके जरिये बहुत सस्ता इलाज हो सकता है। मैंने भी उनको देखा है। वे बहुत अच्छी किताबें हैं। मैं चाहती हूं कि मिनिस्टर साहब भी कुछ इस तरह का इन्तिजाम करें। मुमकिन है कि आयुर्वेदिक के नाम से कुछ लोगों को तकलीफ होती हो। मुमकिन है कि कुछ लोगों को डर हो कि अगर आयुर्वेदिक का नाम लिया गया तो कहीं एलोपैथी नीची न हो जाए। लेकिन हमको यह काम गरीब जनता के ख्याल से और इस ख्याल से इस काम को करना चाहिये कि जड़ी बूटियों से बहुत फायदा हो सकता है। य चीज हमारे सामने हैं। महात्मा गांधी के आश्रम में जब मैं रहती थी तो मैंने खुद देखा कि महात्मा जी ने टाइफाइड के रोगी को पानी और मिट्टी के लेप लगा लगा कर अच्छा किया। हो सकता है कि इन सब बातों से एलोपेथिक डाक्टर एग्री न करें।

अब मुझे मिनिस्टर साहब से यह कहना है कि मुझ से बार बार कहा जाता है कि अस्पतालों में जो मेहतर हैं, मेहतरानियां हैं या ब्वायेज़ हैं उनको वर्दी शायद आप देते हैं लेकिन उनकी वर्दी और कपड़े इतने गन्दे रहते हैं कि उनको काम करते हुए देखना अच्छा नहीं लगता है और उनके कपड़ों से बदबू निकलती रहती है। मैं यह चीज आपसे इसलिये कह रही हूं क्योंकि मेरे पास इसके बारे में शिकायत आई है। मैं चाहूंगी कि इस ओर ध्यान दिया जाय।

मैं अपनी बहिन श्रीमती लक्ष्मी बाई का समर्थन करते हुए कहना चाहती हूं कि जैसे उन्होंने कहा रूरल इण्डिया में फैमिली प्लानिंग के साथ ही मैटरनिटी सेंटर्स खोले जायें। मैटरनिटी सेंटर्स बिल्कुल पब्लिक की फ्री सेवा करें और जनता से किसी किस्म की कोई फीस न ली जाय।

अभी मेरे किसी भाई ने चीन का जिक्र करते हुए यह कहा था कि चीन ने अपने वहां की मक्खियों को कत्ल कर दिया। अब कत्ल लफ्ज उन्होंने सही इस्तैमाल नहीं किया। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि चीन में एक भी मक्खी दिखाई नहीं देती। इससे पहले चीन में मक्खियां बहुत थीं लेकिन आज हालत यह है कि वहां पर एक भी मक्खी दिखाई नहीं देती है। यह चीज देख कर हम को यह खयाल होता है कि चीन ने बहुत कुछ बीमारियों को रोक लिया है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि चीन में सारे देहातों में केवल उबला हुआ पानी ही पिया जाता है और कोई भी चीन मे कच्चा

और गन्दा पानी नहीं पीता है। देहातों में और शहरों में सब उबला हुआ ही पानी पीते हैं। चीन ने लोगों पर काबू पाने में तरक्की की है और मैं समझती हूं कि हमारे यहां भी इस दिशा में तरक्की होगी। हमारे वहां भी वह दिन आयेगा जब हमारे यहां एक भी मक्खी दिखाई नहीं देगी। आज हमारे देश में बहुत अधिक मक्खियां मौजूद हैं और मैं समझती हूं कि जैसे चीन में हैं और यहां पर भी हमारे मिनिस्टर साहब को मक्खियां मारने के काम को प्रोत्साहन देने के लिये इनाम देने चाहियें। जब तक इनाम नहीं मिलेगा तमाम मक्खियां मरेंगी नहीं।

जहां तक आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा इलाज का सम्बन्ध है मुझे यह कहना है कि चीन में मोडर्न दवाइयां प्रचलित हैं मोडर्न सिस्टम आफ मैडिसिन राइज है लेकिन जो वहां की पुरानी दवाएं हैं उन पर भी रिसर्च वर्क होता रहता है। पुरानी दवाओं के अस्पताल हैं जहां कि उन पर रिसर्च हो रहा है। वहां पर एक अस्पताल मैंने भी देखा है जहां पर कि सुईयों से इलाज होता है। नसों में नीडिल्स के जरिए इलाज करा जाता है। पुरानी चीज बुरी नहीं है क्योंकि यह संसार ही बहुत पुराना है। संसार नया नहीं है। उचित यह है कि पुराने संसार को आप नई मालूमात और मोडर्न रिसर्चेज इन मैडिसिन का कपड़ा पहना कर रक्खें, हम अपने पुराने संसार को आज के हालात के मुताबिक फुल्ली इक्विप रक्खें लेकिन पुरानी चीज इससे इससे अपना महत्व नहीं खो देती। वह तो जड़ होती है और आप जानते हैं कि बगैर जड़ का कोई पेड़ खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिये हमें नयी चीजों के लिये अपनी पुरानी जड़ को उपेक्षित नहीं करना चाहिये।

मैं अधिक न कह कर अपने मिनिस्टर साहब से केवल अन्त में इतना ही कहना चाहूंगी कि वे इस आयुर्वेदिक सिस्टम को अधिक प्रोत्साहन दें और उसको फैलावें क्योंकि आयुर्वेदिक सिस्टम एलोपैथी की अपेक्षा बहुत कम खर्चीला है और इस नाते यह बहुत आवश्यक है कि देश के कोने कोने में और हर एक देहात में आयुर्वेदिक दवाएं पहुंचाई जायं।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर): उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुदानों के वादविवाद के अवसर पर कुछ बातें सदन् में माननीय सदस्यों ने कहीं। अब किसी भी कल्याणकारी राज्य की जांच इस बात से हुआ करती है कि उस देश की जनता का स्वास्थ्य कैसा है। देश की जनता को पेट भर अन्न मिलता है कि नहीं मिलता है। यदि हम दो बातों पर विचार करें तो मैं कह सकता हूं कि जब से इस देश में यह सरकार आई है तब से इस देश की जनता को न भरपेट भोजन मिलता है और न ही इस देश की जनता को समय पर उचित दवादारू मिलती है। अन्न की कौन कहे इस देश की जनता को कई भागों में पीने का पानी तक नहीं मिलता है। एक माननीय सदस्य ने यह ठीक ही कहा कि किसी भी स्वतंत्र देश के लिये यह बड़ी लज्जा और कलंक की बात है कि वह अपने देशवासियों को पीने का पानी तक न दे सके। जो सरकार अपने देशवासियों को पीने का पानी तक न दे सके, उस सरकार से जनता भला क्या आशा रख सकती है?

आज से दो वर्ष पूर्व हमारे देश के कुछ इलाकों में खास तौर से पिछड़े हुए इलाकों में पानी की इतनी भीषण कमी हुई कि सैकड़ों लोगों को पानी के अभाव में जान से भी हाथ धोना पडा था। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गरमी का अवसर आ रहा है वे इस को देखें कि सारे देश में और मुख्यतः हमारे ग्रामों में बहुत से स्थान ऐसे हैं बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिन में कि लोगों को पीने तक को पानी नहीं मिलता है उन को हम पानी पहुंचा सकें। इस प्रतिवेदन को मैं ने ध्यान से पढ़ा है और इस में कहीं पर भी सिवाय दो, चार लाइनों के, इस बात की कहीं भी चर्चा नहीं है कि सरकार पानी की व्यवस्था करने के बारे में क्या योजना करने जा रही है और क्या व्यवस्था करने जा रही है। इस

[श्री जगदीश अवस्थी]

प्रतिवेदन में कहीं उस के सम्बन्ध में चर्चा नहीं की गई है। इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि इस ओर मंत्री महोदय ध्यान दें और देखें कि लोगों को कम से कम शुद्ध जल पीने के वास्ते मिल सके। शुद्ध पानी मिलने की व्यवस्था खास तौर से ग्रामीण जगहों में की जानी चाहिये। आप के देश में ऐसे शहर हैं जिन में कि गरमी के आने पर ठीक से पीने का पानी नहीं मिलता है। मैं इस सम्बन्ध में आप से निवेदन करूं कि उत्तरप्रदेश में कानपुर एक ऐसा शहर है जहां पर कि प्रतिवर्ष लाखों नागरिकों को समय से पीने का पानी नहीं मिलता है। गरमी के दिन आ रहे हैं। वहां पर गंगा जी अपना किनारा छोड़ जाती हैं और पानी की बड़ी तंगी महसूस होती है। वहां के लिये कुछ आवश्यक व्यवस्था की जाय। केवल इतना कह देने भर से काम नहीं चलेगा कि यह राज्य सरकार का विषय है या स्थानीय निकाय का विषय है। मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस ओर ध्यान दे क्योंकि यह एक बड़ी गंभीर बात है कि उस जिले के और शहर के लोगों को पीने के पानी तक का तोड़ा हो जाय और शुद्ध जल उस को न मिल सके। उस का यह बुनियादी कर्तव्य है कि यह जो एक बड़ा भारी खतरा आने वाला है उस ओर ध्यान दे।

अभी हमारे मित्र ने उज्जैन की चर्चा की। सचमुच में यह बड़ी गम्भीर बात है और अनुचित बात है कि जिस गंगा के जल को इतना पवित्र माना जाता है उस गंगा के पवित्र जल को स्थानीय निकाय नाले उस में डाल कर अपवित्र किया करते हैं और इन नालों की गंदगी गंगा में मिलने के कारण जो लोगों को पीने का पानी मिलता है वह अशुद्ध होता है और उस गंदगी के परिणामस्वरूप लोगों को बहुत सी पेट की बीमारियां हो जाया करती हैं। इस अपवित्र जल को जोकि नालों की शक्ल में गंगा जी में छोड़ा जाता है लोगों को तरह तरह की पेट की बीमारियां हो जाती हैं। हमारे कानपुर शहर में मिलों का तमाम कूड़ा करकट और तमाम गंदगी मिला पानी गंगा जी में छोड़ा जाता है। उस को रोकने के वास्ते और गंगा के जल को अपवित्र होने से बचाने के लिये कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है।

अब यूं तो हमारे देश में बहुत सी समस्यायें और रोग हैं लेकिन सब से ज्यादा आदमी हमारे वहां टी० बी० में फंसे रहते हैं। अब पहले यह टी० बी० की बीमारी आमतौर से बड़े आदमियों को हुआ करती थी लेकिन जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से यह टी० बी० की बीमारी ने गरीबों को भी धर दबाया है। आज चूंकि गरीबों के पास खाने पीने के अन्य आवश्यक साधन सुलभ नहीं हैं इसलिये उन में यह टी० बी० का रोग निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है। अभी श्रीमान् जी आप को याद होगा कि सरकार ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी उस के अनुसार कानपुर नगर में न केवल हिन्दुस्तान भर के मुकाबले अपितु संसार में सब से अधिक टी० बी० से मरने वालों की संख्या रही है। मैं ने पिछले वर्ष भी इस सम्बन्ध में निवेदन किया था कि जहां पर संसार भर की अपेक्षा टी० बी० से मरने वालों की संख्या अधिक हो उस नगर में केवल टी० बी० के वास्ते ७२, ७३ बेड्स का इंतजाम है जबकि वहां पर हजारों नागरिक और गरीब लोग जिन के कि पास कोई साधन नहीं है इस रोग से ग्रसित होते हैं और उन के इलाज की कोई माकूल व्यवस्था नहीं हो पाती है। अब जब मंत्री महोदय से यह कहा जायगा कि वहां पर इस के वास्ते अस्पताल खुलवायें तो वे जवाब देंगे कि अस्पताल खोलना यह तो राज्य सरकार का विषय है हमारा विषय नहीं है लेकिन मेरा कहना है कि आप इस के प्रति सर्वथा उदासीन नहीं रह सकते हैं और आप का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि यह रोग जबकि देश में बढ़ रहा है तो उस का सामना करने के लिये अस्पताल आदि की सुविधायें जिस जगह की जानी चाहियें वहां ठीक से की गई हैं अथवा नहीं और यदि वहां इस का प्रबन्ध नहीं हो पाया है तो उस के लिये आवश्यक व्यवस्था करवायें। मैं खास तौर से कानपुर नगर के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान

दिलाना चाहूंगा और उनसे कहना चाहूंगा कि वह इस बात को देखें कि वहां पर शीघ्रातिशीघ्र एक अलग से क्षय रोग का अस्पताल खुले। आप को चाहिये कि आप राज्य सरकारों को परामर्श दें, उन से योजनायें मंगायें और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करें। आप ने देश में लगभग ६० कालेज खोले हैं। कानपुर नगर में भी एक कालेज है। लेकिन मैं उस के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं केवल इतना चाहता हूं कि कालेजों को खोलने से ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि जो रोगी हैं, उन के इलाज की अच्छी व्यवस्था हो और अस्पताल ठीक ढंग से खुलें।

जितने भी राजकीय चिकित्सालय हैं और खास तौर पर जो बड़े बड़े शहरों में खुले हुए हैं वहां पर प्रबन्ध अच्छा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इन को खोलने का विचार ही नहीं किया गया है। लेकिन बड़े बड़े नगरों में जो भी राजकीय चिकित्सालय हैं, उन के बारे में इस रिपोर्ट में बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं और कहा गया है कि राज्य सरकारों की सहायता भी इस मामले में की जाती है। जहां तक इन चिकित्सालयों का सम्बन्ध है, जैसी व्यवस्था वहां है, जैसी उन की दुर्दशा है, और जैसा वहां पर रोगियों के साथ व्यवहार किया जाता है उस को भुक्तभोगी ही जान सकता है। वहां पर पक्षपात से काम लिया जाता है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, गरीब लोगों के साथ ठीक सलूक नहीं किया जाता है, और दवाइयां न मिलने की तो अकसर शिकायत की जाती है। जब इस के बारे में आप से कोई शिकायत की जाती है तो आप की तरफ से कह दिया जाता है कि यह राज्य सरकारों का विषय है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की कई प्रकार से मदद करती है और वह उन को बाध्य कर सकती है कि इन की जांच पड़ताल के लिये वे राज़ी हों। देश के अन्दर जितने भी राजकीय चिकित्सालय हैं, वे आम तौर से बड़े बड़े शहरों में हो हैं। उन में दवाइयों का ठीक तरह से प्रबन्ध है या नहीं है, वहां डाक्टर हैं या नहीं हैं, वहां पर मरीज़ों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, ये सब ऐसे विषय हैं जिन की जांच की आवश्यकता है। आज देखा जाता है कि अगर डाक्टर होता है तो दवाइयां नहीं होती हैं और अगर दवाइयां होती हैं तो डाक्टर नहीं होता है, वहां पर बैड्स की कमी है, ठीक से भरती नहीं होती है और दूसरी कई तरह की शिकायतें सुनने को मिलती हैं मैं चाहता हूं कि इन राजकीय चिकित्सालयों की जांच के लिये एक जांच समिति बनाई जाय जो सारे देश में जा कर देखे कि डाक्टरों की क्या समस्यायें हैं, मरीजों की क्या समस्यायें हैं, दवाइयों की कैसी व्यवस्था है और कौन कौन से स्थान हैं जहां पर चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है। वैसे ही आज हमारे देश में चिकित्सालय कम हैं और जो हैं भी उनका भी प्रबन्ध ठीक से नहीं चल रहा है और इसका नतीजा यह है कि लोगों में बड़ा असन्तोष है। इस से नागरिकों में अविश्वास की भावना पैदा होती है, जो अच्छी बात नहीं है। हमें देखना चाहिये कि राजकीय चिकित्सालयों में तो कम से कम रोग-ग्रस्त लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जायें। बहुत से अस्पतालों में मरीज़ों के साथ आज मनुष्यता का व्यवहार नहीं होता है। अगर इस प्रकार की एक समिति बनाई जायेगी तो काफी सुधार हो सकता है। वह समिति सारे देश में जाये और देखे कि जो योजनायें चल रही हैं, उन में क्या दोष हैं, क्या त्रुटियां हैं क्या कमियां हैं और उनमें क्या सुधार किये जाने चाहियें। यदि ऐसा किया गया तो आप जनता में विश्वास की भावना पैदा करने में कामयाब हो सकते हैं, अन्यथा नहीं।

जिस तरह से आज की सरकार अंग्रेज़ी भाषा से, अंग्रेज़ी वेश भूषा से, अंग्रेज़ी भवनों से, बहुत कुछ प्रभावित है, उसी प्रकार से वह विदेशी चिकित्सा पद्धति से भी बहुत प्रभावित है। इस सदन के प्रायः सभी माननीय सदस्य इस बात पर बराबर जोर देते आ रहे हैं कि जो भारतीय चिकित्सा

[श्री जगदीश अवस्थी]

पद्धतियां हैं, जो देशी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उन पर ज्यादा जोर दिया जाये लेकिन अभी तक सरकार ने इस के बारे में कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी ध्यान नहीं दिया है । एलोपैथी पर हमारी सरकार विशाल धनराशि व्यय कर रही है लेकिन देशी चिकित्सा पद्धतियों पर बहुत ही कम खर्च कर रही है । विदेशों में हम एलोपैथी के लोगों को भेजते हैं ताकि वे वहां और अधिक पढ़ सकें और बाहर से जो पढ़ कर लोग आते हैं, उन को भी हम सहर्ष अपने चिकित्सालयों में रख लेते हैं । जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं उन की उपेक्षा कर के केवल इसी चिकित्सा पद्धति पर हम जोर देते हैं, इसी चिकित्सा पद्धति की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं । हमारे देश में आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति कितनी लोकप्रिय है । इस के सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । यह बहुत सस्ती भी है । मैं चाहता हूं कि इस की ओर सरकार विशेष तौर से ध्यान दे । खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर आप के एलोपैथी चिकित्सालय ठीक से अभी तक खुल नहीं पाये हैं, जहां पर इन डिसपेंसरीज का अभाव है, वहां पर तो आप आयुर्वेदिक डिसपेंसरीज़ बड़ी आसानी से खोल सकते हैं और बहुत थोड़े खर्च में खोल सकते हैं । अगर ग्रामीण क्षेत्रों में एक एक और दो दो मील के फासले पर इस तरह की डिसपेंसरीज़ आप खोल दें तो लोगों को बड़ा लाभ हो सकता है । इस से इतना ही लाभ नहीं होगा कि लोगों को चिकित्सा सुविधायें आसानी से सुलभ हो जायेंगी बल्कि साथ ही साथ आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को इस तरह से प्रोत्साहन भी देंगे ।

यह ठीक है कि आपने जामनगर में आयुर्वेदी का एक कालेज खोला है । उस पर आप खर्च भी काफी करते हैं । लेकिन वह ही पर्याप्त नहीं है । इस देश में जहां पर कि ८५ प्रतिशत लोग गावों में रहते हैं और एलोपैथी की अपेक्षा जिन का विश्वास आयुर्वेदी पर अधिक है यह जरूरी है कि इस तरह के और अधिक कालेज खोले जायें । अभी तक इस दिशा में काफी कुछ नहीं किया गया है । सरकार का फर्ज़ है कि वह हर प्रदेश में इस प्रकार के केन्द्र खोले, आयुर्वेदिक कालेज खोले और जहां पर ये पहले से ही हैं उनको और अधिक सहायता प्रदान करे । इस काम के लिए सरकार को और अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिये ।

अब मैं आयुर्वेदिक दवाइयों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । आपने एलोपैथी की दवाइयों के सम्बन्ध में कानून बना रखा है कि अगर कोई मिलावट करेगा तो उसको सज़ा होगी । आयुर्वेदी में भी जो दवाइयां हैं जो कि लोगों द्वारा या फर्मों द्वारा या वैद्यों द्वारा बनाई जाती हैं, उनमें भी कभी कभी मिक्सचर हो जाता है, मिलावट हो जाती है । इस चीज को रोकने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है । अभी तक सरकार ने कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं की है कि जिससे प्रामाणिक और शुद्ध औषधियां इस देश की जनता को मिल सकें । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर सरकार सचमुच आयुर्वेदी के लिए कुछ करना चाहती है, इस चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना चाहती है, इसकी दवाइयों को प्रोत्साहन देना चाहती है तो वह वाणिज्य मन्त्रालय की सहायता से देश में एक इस प्रकार की आदर्श रासायन शाला खोले जहां पर कि अच्छी अच्छी दवाइयां तैयार की जायें, शुद्ध और पवित्र दवाइयां तैयार की जाएं और वे जनता को सुलभ हों । आदर्श रासायनशाला खोलने से जनता में विश्वास का वातावरण पैदा होगा और हम कह सकेंगे कि सरकार सच्चे दिल से इस विषय में कुछ कर रही है । केवल कमेटी बना देने से और उसकी रिपोर्ट जब आ जाए तो उस पर चर्चा मात्र कर लेने से कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि कोई ठोस कदम उठाया जाए । जो देश की परम्परा है, देश का वातावरण है, वह आयर्वेदी चिकित्सा पद्धति के अनुकूल है । यह पद्धति यहां बहुत ही प्राचीन काल से चली आ

रही है लेकिन धीरे धीरे मर रही है। लोग चाहते हैं कि इसको मरने न दिया जाए और सरकार इसके लिए कुछ करे और देखें कि यह मरने न पाये। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको जीवित रखना चाहते हैं, तो इसकी ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा।

अब मैं परिवार नियोजन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस विषय को इस सदन में और बाहर भी बहुत चर्चा हुई है। मगर मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों ने और सरकार ने भी गम्भीरता से इस विषय पर विचार नहीं किया है। सरकार ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजना में करोड़ों रुपया इसके ऊपर खर्च किया है या खर्च करने की व्यवस्था की है, लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला है। वही कहावत मुझे याद आती है कि ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार ने जितने भी तरीके खोजे हैं, जितने भी कृत्रिम तरीके ईजाद किए हैं जितने भी साधन अपनाये हैं वे अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। अगर इसके अच्छे परिणाम निकले होते तो आज जनसंख्या में हमें कमी हुई दिखाई देती। लेकिन परिणाम उल्टा हो रहा है। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि परिवार नियोजन की जो योजनायें आपकी हैं, उन पर आप पुनर्विचार करें और देखें कि कहां पर दोष हैं, कहां पर कमियां हैं और उन दोषों को और उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करें ताकि यह काम आगे बढ़ सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर साधनविहीन लोग रहते हैं, दरिद्र लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि दवा दारू का अच्छा प्रबन्ध हो। और जो देश हैं जैसे इंग्लैंड है जिसके बारे में अभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि वहां पर इस बात की सरकार की तरफ से गारंटी है कि वह लोगों की हैल्थ की देखभाल करती है और उसने वहां कांट्रीब्यूटरी हैल्थ सर्विस स्कीम चलाई है और लोगों को दूसरी बहुत सी सुविधायें दी हुई हैं, उसी तरह से मैं चाहता हूं कि हमारे देश में भी कोई व्यवस्था हो ताकि लोगों के इलाज की जिम्मेवारी सरकार पर हो। माननीय सदस्यों ने इस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है और मैं भी उनके स्वर में स्वर मिला कर कहना चाहता हूं कि जब आप लोगों से टैक्स लेते हैं, पैसे लेते हैं तो आपका यह नैतिक कर्त्तव्य है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर अधिक जनसंख्या निवास करती है और जिन से कर ले कर आप सरकार चलाते हैं, समस्त कार्यालय चलाते हैं, उसके स्वास्थ्य की तो गारंटी दें, उसके लिए तो मुफ्त और सस्ते इलाज की व्यवस्था करें।

मैं आशा करता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं, उन पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे और जनता को आश्वासन देंगे कि सरकार उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार है और करेगी। आज की सरकार और कुछ नहीं कर सकती है तो इतना तो कर ही सकती है कि जनता के स्वास्थ्य को ठीक करे। मैं आशा करता हूं कि इस ओर कोई ठोस पग उठाया जाएगा।

श्री मोहन नायक (गंजम रक्षित अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में जो विचार हो रहा है उसमें एक बात के ऊपर कोई भी नहीं बोला है, जो कि भारत के लिये बड़ी जरूरी चीज है। मेरा मतलब मेहतर समस्या से है। मेहतर जाति ऐसी है जो कि नेशन के स्वास्थ्य को बनाने और उन को ताकतवर रखने के लिये जीवन भर काम करती है। मगर उन लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये सरकार को तरफ से कुछ नहीं होता है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि स्वाधीनता के पूर्व मेहतर समस्या जैसी थी वैसी ही स्वाधीनता के १३ वर्षों बाद भी बनी हुई है। मैं ने देखा कि मेहतर लोग दिन भर मैला उठाते हैं। मेहतरों से उनका हर वक्त का सम्बन्ध है। हम को देखने से पता चलता है कि ९५ परसेन्ट मेहतर किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं। मैं कहता हूं कि उन लोगों के रोग को हटाने के लिये हमारा स्वास्थ्य विभाग कुछ

[श्री मोहन नायक]

नहीं करता है। यह भी बड़े दुःख की बात है कि सरकार की तरफ से भी जो मेहतरों की बस्ती बनाई जाती है वह ऐसी जगह पर बनाई जाती है जहां पर कि शहर की तमाम गन्दगी इकट्ठी की जाती है। मैं ने कई बार वहां कहा है कि मेहतर लोगों की बस्ती अलग न बनाई जाय। अगर मेहतर का लोनी अलग बनाई जायेगी तो चिर दिन के लिये यह जाति लोगों से अलग हो जायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि लोग शपथ लेते हैं कि हम गांधी जी को मानते हैं, लेकिन हम गांधी जी की वाणी का व्यवहार तो करते हैं परन्तु हमारी जो नीति है वह बिल्कुल गांधी जी की वाणी से उलटी है, हम उस से उलटा काम करते हैं। मेहतरों के लिये एक एन्क्वायरी कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी ने भी सिफारिश की है कि यह बहुत गलत बात है कि मेहतरों की कालोनी अलग बनाई जाय। मगर जहां पर सवर्ण लोगों के घर हैं वहां पर मेहतरों के घर क्यों न बनाये जायें? आप देखेंगे कि मेहतर लोगों के जो बच्चे हैं वे ज्यादा से ज्यादा बीमार रहते हैं। हरिजन उत्थान के लिये हम बहुत कोशिश करते हैं मगर मेहतरों की समस्या जो आज जैसे है वह ऐसी ही रह जायेगी तो दस वर्षों के बाद भी यह मेहतर मेहतर ही रह जायेंगे। यह कलन्क कभी भी देश से दूर नहीं होगा। मेरा निवेदन यह है कि अगर सरकार को नेशन के स्वास्थ्य की रक्षा करने की इच्छा है तो पहले मेहतर के स्वास्थ्य की रक्षा कीजिये

मैं ने दिल्ली में भी देखा है कि जो मेहतर पाखाना साफ करते हैं उन को पाखाने के काम के बाद हाथ धोने के लिये साबुन भी नहीं मिलता है। जिस कपड़े को पहन कर वह मैला साफ करता है उसी को पहन कर खाना भी खाता है। मैं एक बार कलकत्ता गार्डेन में मेहतरों की बस्ती देखने गया था। वहां भी यही हालत थी। आप देखेंगे कि यहां पर १२, १४ या १५ मंजिल बड़े बड़े महल हैं, पार्लियामेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है। उन्हीं के पास मेहतरों की झोंपड़ियां भी हैं। आप को उन को देख कर दुःख होगा कि सब को निर्मल करने वालों के घर कैसे हैं। यह क्या हमारी सरकार के लिये बड़ी लज्जा की बात नहीं है। अगर इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो देश के स्वास्थ्य विभाग का अर्थ ही क्या है?

मैं आप से बतलाना चाहता हूं कि जहां पर म्यूनिसिपैलिटी है या कारपोरेशन है, उधर हम देखते हैं कि स्कूल में जाने वाले मेहतरों के लड़कों और लड़कियों का परसेन्टेज बहुत कम है। देहात में जो मेहतर हैं उन के बच्चे तो जाते कुछ हैं। लेकिन जो काम नहीं करते हैं, वे ही जाते हैं। टाउन में रहने वाले मेहतरों के बच्चे ज्यादा नहीं जाते हैं। इस का कारण क्या है? मैंने और मेरे बहुत से भाइयों ने इस की गवेषणा की है। इस का कारण यह है कि बच्चे के मां और बाप दोनों ही काम पर चले जाते हैं, और अगर घर में तीन बच्चे हैं, एक २ साल का दूसरा ४ या ५ साल का और तीसरा ७ या ८ साल का तो जो ७ या ८ साल का बच्चा होता है, जोकि स्कूल जा सकता है, वह दूसरे दो बच्चों को सम्भालता है। इस लिये उन बच्चों के मां बाप अपने लड़कों को पढ़ने के लिये स्कूल नहीं जाने देते। मैं ने उस बच्चे से पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? वह बोला कि मां बाप दोनों ही काम पर चले जाते हैं, अगर वे मुझे स्कूल भेजेंगे तो घर पर बच्चों को कौन सम्भालेगा? उन की शिक्षा के सम्बन्ध में यह प्रतिबन्धक है। मैंने स्टेट गवर्नमेंट से भी निवेदन किया कि अगर वे मेहतर लोगों की उन्नति चाहते हैं, उन को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं तो हर एक मेहतर बस्ती में बच्चों के पालन के लिये एक शिशु संरक्षण केन्द्र बनाया जाय जिस में अगर बड़े बड़े बच्चे स्कूल चले जायें और घर में छोटे छोटे बच्चे हों तो वहां पर उन की देख भाल की जाय। हमारे स्वास्थ्य विभाग का यह दायित्व है कि वह इस के लिये प्रयत्न करे।

जो मेहतर जीवन भर काम करते हैं, उन की ६० या ७० वर्ष की उम्र हो जाने पर उन को काम से हटा दिया जाता है, लेकिन उनके लिये कोई पेंशन नहीं होती है। भारत में बहुत से कामों

को करने वालों को पेंशन दी जाती है लेकिन जिन से यह काम लिया जाता है, जिस के लिये कहा जाता है कि एसेन्शल सर्विस है, जो अगर स्ट्राइक करेंगे तो अरेस्ट कर लिये जायेंगे, उन के लिये कुछ नहीं है। जब वे काम छोड़ते हैं तो उन को एसेन्शल सर्विस के प्रिविलेजेज कोई नहीं मिलते हैं। उन को पेंशन नहीं दी जाती, उन को ड्रेस नहीं दी जाती, भले ही एसेन्शल सर्विस में उन को अरेस्ट कर लिया जाता हो। यह उन पर अन्याय किया जाता है। मैंने पुरी में देखा कि बहुत से मेहतर बूढ़े होने पर भीख मांगते हैं जिन्होंने जीवन भर मेहतर का काम किया है। जगन्नाथ पुरी के मन्दिर के पास मैं ने उन को भीख मांगते देखा है। मैं ने पूछा कि तुम भीख क्यों मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि क्या करें? मेरी उम्र ज्यादा हो गई और काम छूट गया। मेरे यहां बहू है, बच्चे हैं, सब हैं उन को खाना नहीं मिलता तब क्या किया जाय। भीख ही मांगता हूं। यह हमारे देश के लिऐ बड़ी लज्जा की बात है। मैं स्वास्थ्य विभाग से निवेदन करूंगा कि उन लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना उस का कर्त्तव्य है जिन के ऊपर देश के स्वास्थ्य का दायित्व है। जिन आदमियों को नेशन की रक्षा करनी है उन की पहले उन्नति होनी चाहिये।

मैं देखता हूं कि स्कैवेंजर्स एन्क्वायरी कमेटी ने भी सिफारिश की है कि मैला सिर पर ले जाना गैरकानूनी है। मैं भी मानता हूं कि यह बहुत खराब बात है। मगर मैं यह भी देखता हूं कि सरकार की तरफ से जो पाखाने बनाये जाते हैं वे ऐसे तरीके से बनाये जाते हैं कि आदमी को सिर पर ही उसे उठा कर ले जाना पड़ता है। अगर कोई प्राइवेट तरीके से मकान बनाये और पाखाना इस तरह से बनाये कि मेहतरों को सिर पर पाखाना ले जाना पड़े, तब तो बात दूसरी है लेकिन सरकार जो मकान बनावती है, जो फ्लेट्स बनवाती है उन में भी उसी तरीके के पाखाने बनते हैं। यह लोगों को फोर्स किया जाता है कि वे अपने सिर पर पाखाना उठायें। इसलिये इस तरह का कानून बनाना चाहिये कि जहां पर भी मकान बनाया जाय, जब म्यूनिसिपैलिटी या कारपोरेशन उन को पास करे तो उस में यह चीज होनी चाहिये कि सब जगह फ्लश के लेट्रिन्स बनाये जायें। मैंने स्टेट में हैल्थ मिनिस्टर से इंटरव्यू लिया। मैं ने उनसे कहा कि देश में ऐसा कानून बनाया जाय कि पाखाने इस तरह से बनाए जाएं कि किसी को मैला न उठाना पड़े। उन्होंने बड़ी सहानुभूति दिखाई लेकिन कहा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत से लोग बेकार हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि अगर यह काम बन्द हो जाएगा तो बहुत से लोग बेकार हो जायेंगे। मैं ने उनसे कहा कि यह आप सहानुभूति नहीं दिखाते मगर एक आदमी को मैला उठाने के लिये मजबूर करते हैं। यह तो एक प्रकार का पाप है। मैंने कहा कि चाहे ये लोग मर जाएं लेकिन इस प्रकार का कानून बना दिया जाए। भारत में केवल मैला साफ करने वाले ही नहीं रहते हैं। यहां ४३ करोड़ आदमी रहते हैं। अगर उनको जिन्दा रहने के लिये कोई काम मिल सकता है तो इन मैला उठाने वालों को भी काम मिल सकता है। ये काम करने वाले लोग हैं और उनके हाथों में ताकत है। जब तक मैला उठाने के काम को घृणित नहीं माना जाएगा तब तक देश में एक ऐसी जाति रहेगी जिसका काम इतना गन्दा है। मेरा निवेदन है कि इसके लिए कानून बनाना चाहिये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। उड़ीसा में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत जरूरत है। वहां हालत यह है कि बहुत से अस्पतालों में तो तीन तीन चार चार साल से डाक्टर ही नहीं हैं। बंगाल से दो सौ या तीन सौ डाक्टर लिए हैं तब भी बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जहां पर डाक्टर नहीं है और उनमें चाबी लगी हुई है। कोई २०० दवाखाने ऐसे हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं। मेडीसिन्स भी सप्लाई नहीं की जातीं। तो मेरा निवेदन है कि उड़ीसा में ज्यादा से ज्यादा मेडीकल कालेज खोले जाएं, उड़ीसा में सिर्फ एक ही मेडीकल कालिज है कटक में और दूसरी ब्रांच है बुर्ला में। हमारे यहां बरमपुर में लोग जमीन देने के लिये तैयार हैं और कंट्रीब्यूशन

[श्री मोहन नायक]

भी देने को तैयार हैं अगर वहां एक मेडीकल कालिज स्थापित किया जाए । आज उड़ीसा के लोगों की स्वास्थ्य रक्षा के लिये कम से कम चार मेडिकल कालिजों की जरूरत है जिनमें कि हम उड़ीसा के अस्पतालों के लिये डाक्टर तैयार कर सकें । हमको बराबर अन्य प्रान्तों से डाक्टर बुलाने पड़ते हैं ।

उड़ीसा में मैटरनिटी सेंटर भी हैं । लेकिन गवर्नमेंट जब कोई स्कीम बनाती है तो यह नहीं देखती कि उसकी परिणति क्या होगी । मैं दो तीन मैटरनिटी सेंटर्स से सम्बन्धित हूं । लोगों ने ५० पर सेंट कंट्रीब्यूशन दिया और उनके लिये मकान बना हुआ है लेकिन वहां काम करने के लिये कोई दाई नहीं है । मेरा निवेदन है कि मकान के लिये रुपया देने के पहले सरकार को यह तो सोचना चाहिये कि यह सेंटर चलेगा किस प्रकार । पहले उसको चलाने के लिए भी स्कीम बनायी जानी चाहिये । लेकिन सिर्फ मकान बनाने की योजना बना देते हैं और यह नहीं देखते कि किस तरह चलेगा । हमने देखा है कि दो-दो तीन-तीन मकान बने हैं, लोग उनकी खिड़कियां और किवाड़ निकाल कर ले गये हैं सिर्फ घर खड़ा है । इसलिये मेरा निवेदन है कि उड़ीसा में ज्यादा मेडिकल सहायता देने के लिये सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

श्री राम सहाय तिवारी (खाजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हैल्थ मंत्रालय के बारे में काफी चर्चा हुई और आज इस मंत्रालय के बजट पर विचार किया जा रहा है । देश वासियों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है । जो मनुष्य स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है वह सुखी है ।

अभी हमारे मित्र अवस्थी जी ने कहा कि इस राज्य के समय में लोगों को न दवा मिलती है, न भोजन मिलता है और न पानी मिलता है यह बड़े शर्म की बात है । उन्होंने यह ऐसी चीज कही जो कि उचित नहीं है । मैं यह मानता हूं कि अगर जीवन निरोग न हो तो वह बेकार हो जाता है । तुलसीदास जी ने रामायण में रामराज्य की कल्पना करते हुये एक चौपाई इस प्रकार कही है :

दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा ।

यानी राम के राज में लोगो को शारीरिक या दैवी यातनाएं नहीं मिलती थीं और अगर इस प्रकार के कष्ट होते भी थे तो उनका उपाय था । इसमें सन्देह नहीं हमारी सरकार ने भी इन कष्टों को दूर करने के लिये आज काफी उपाय किये हैं । काम चल रहा है । जब मैं आंकड़ों को देखता हूं तो मानना पड़ता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य में काफी उन्नति हुई है, हमारे यहां मृत्यु संख्या १०—६ है और जन्म संख्या २५—६ है । तो इससे स्पष्ट है कि मृत्यु संख्या पर कंट्रोल हुआ है गोकि यह बहुत कम है । आज इस देश में मनुष्य की औसत आयु ४२ साल की है जब कि दस साल पहले कोई २७ या २८ साल की औसत आयु थी । लेकिन यह भी नाकाफी है क्योंकि दूसरे देशों में, जैसे अमरीका और इंगलैंड आदि में औसत आयु ६० और ७० वर्ष है । फिर भी हमारे यहां उन्नति हुई है और धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है । लेकिन यह सही है कि जितना काम होना चाहिये था वह नहीं हुआ है ।

बड़े बड़े कसबों में, बड़े बड़े शहरों में और राजधानियों में बड़े बड़े अस्पताल खुले हैं । अभी यहां टी० बी० का जिक्र हो रहा था । इस सिलसिले में मैं अपने यहां का जिक्र कर दूं । हमारे यहां नौगांव में एक टी० बी० का अस्पताल खोला गया । वह गांव के नजदीक था । तो हमारे विरोधी भाइयों ने इसके विरुद्ध इतना आन्दोलन किया कि हजारों आदमी गिरफ्तार

हुए और झगड़ा हुआ । आखिर वह अस्पताल गांव के पास खोल दिया गया; उसमें ११८ मरीज रह सकते हैं और उनकी दवादारू होती है । अगर अस्पताल खोलने का प्रयास किया जाता है तो सत्याग्रह आन्दोलन होने लगता है और जब कहीं अस्पताल नहीं होता है तो कहा जाता है कि आपने अस्पताल नहीं खोला । तो ऐसा नहीं करना चाहिये । मैं अपने हैल्थ मिनिस्टर से कहूंगा कि जो उन्होंने किया है वह बहुत अच्छा किया है । आपने बड़े-बड़े शहरों में और बड़ी-बड़ी जगहों पर टी० बी० के अस्पताल खोले हैं लेकिन देहात में जहां देश की ७५ और ८० प्रतिशत जनता रहती है वहां नहीं हैं । और जब देहात के लोग इन अस्पतालों में आते हैं तो डाक्टर उनको नहीं देखते क्योंकि उनको शहर के आदमियों से ही फुरसत नहीं होती । शहर के आदमी अधिकतर बीमार होते हैं । क्योंकि उनको दवा की चाट हो गई है । तो मेरा निवेदन है कि देहातों के लिये दवा का प्रबन्ध किया जाए । ऐसा नहीं है कि वहां कोई दवा का प्रबन्ध है ही नहीं । आज भी वहां आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं चलती हैं । ये इतनी सरल और सीधी दवाएं हैं कि इनसे बहुत कम दाम में इलाज किया जा सकता है । मैं तो कहता हूं कि आप इन दवाओं के पैम्फलैट तैयार करारकर वंटवायें ताकि लोग उनसे लाभ उठा सकें । बहुत से उपचार तो बिना पैसे के किये जा सकते हैं, जैसे हमारे यहां कहा जाता है

हर्रा, पन्था, निद्रा, वारि,
अजीर्ण व्याधि का हो संहार ।

यानी हर खाने से, चलने से, सोने से और पानी पीने से अजीर्ण रोग दूर हो जाता है । तो इस प्रकार की चीजें प्रचलित थीं कि बिना पैसा खर्च किए इलाज हो सकता है । लेकिन जब से अंग्रेज़ यहां आए तब से इस प्रकार की दवाओं का लोप होता गया । आपकी अंग्रेज़ी दवाइयों का बोलबाला हो गया है और लाखों और करोड़ों रुपये उन पर खर्च होने लगे हैं । अगर आप उसका आधा रुपया भी देशी दवाइयों पर खर्च करने लगें तो मैं समझता हूं कि देश स्वास्थ्य के सम्बन्ध में काफी प्रगति कर सकता है और यहां के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है ।

श्रीमन्, एक निवेदन मैं आपके द्वारा मिनिस्टर साहब से करना चाहता हूं और वह यह है कि जहां के पानी से वायु से शीत से गरमी से और मिट्टी से हमारा शरीर बना है, वहां पैदा होने वाली दवा हमारे वास्ते ज्यादा मुफीद साबित हो सकती है । अब हम भारतवासियों का शरीर चूंकि हिन्दुस्तान की वायु, शीत और गरमी से बना है इसलिये यह देशी जड़ी बूटियां और दवाइयां जो यहां की वायु, मिट्टी, सर्दी और गरमी में पैदा होती हैं उनके मुकाबले वह अंग्रेजी दवायें जोकि इंग्लैंड से बन कर आती हैं और जहां की वायु, गरमी और सर्दी सब कुछ हमारे वहां से भिन्न है, हमारे लिये उतनी फायदेमंद साबित नहीं हो सकती हैं ।

लेकिन श्रीमन्, निवेदन इसमें यह है कि जो हमारे औषधालय हैं वह बड़ी तनख्वाह पाने वाले अंग्रेजी दवा वालों के नीचे रह कर काम करते हैं । अंग्रेजी दवा वाले हैड होते हैं और हम उनके असिस्टेंट होते हैं और जाहिर है कि असिस्टेंट वगैर हैड के हुक्म और इजाजत के आगे नहीं चल सकता । अब हैड अपनी सरदारी को छोड़ना नहीं चाहते और नतीजा इसका यह है कि वह अंग्रेजी सिस्टम आफ मेडिसिन को लगातार बढ़ावा देते हैं और हर तरह से उसको प्रोत्साहन देते रहते हैं । वे आयुर्वेदिक और यूनानी की कोई कद्र नहीं करते और न उनका सम्मान करते हैं । इसलिये निवेदन यह है कि जो समितियां आप बनायें उनमें देशी दवा वालों को देशी वैद्यों को ही ज्यादातर रक्खें, एलोपैथिक वालों को भी रक्खें लेकिन देशी दवा वालों का प्रतिनिधित्व अधिक रक्खें और देशी

[श्री राम सहाय तिवारी]

दवाओं के बारे में अनुसंधान करायें और आयुर्वेदिक और यूनानी को प्रोत्साहन दें और मुझे विश्वास है कि वे इस प्रकार उनकी अपेक्षा इस काम को अधिक अच्छी तरह से सम्पन्न कर सकते हैं ।

थोड़ा सा मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो भी दवायें हमारे यहां पैदा होती हैं उन पर आपने इतना टैक्स लगा रक्खा है कि उनको पनपना मुश्किल हो गया है। आपने यहां तक कर दिया है कि मैडिसिनल ऐंड टायलेटप्रिपरेशंस (एक्साइज ड्यूटी), १९५५ के द्वारा आसव अरिष्टों पर ३ रुपया प्रति गैलन का टैक्स लगा दिया है जिसकी कि वजह से लोगों ने उसका बनाना बन्द कर दिया है। यह टैक्स इसलिये उस पर लगा दिया गया कि यह शराब की ऐसी चीज है। अब श्रीमन्, दवाई कोई शौक के लिये नहीं खाई जाती है अपितु दवाई जब शरीर को दुःख होता है, कष्ट होता है और व्याधि हो जाती है तब शरीर को ठीक करने के लिये खाई जाती है और यदि आप उन आवश्यक दवाओं को न पनपने दें तो मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी चीज नहीं है गोकि अब सरकार ने ३ रुपये के बजाय वह टैक्स घटा कर पौने दो रुपया प्रति गैलन कर दिया है। ऐक्साइस ड्यूटी कम कर दी है। लेकिन अभी भी उस पर ड्यूटी कायम है और शेष टैक्स पहले से हैं। जब तक सरकार हमारे यहां की दवाओं के निर्यात का काम अपने हाथ में न ले और उनको बाहर निर्यात करने में बढ़ावा और प्रोत्साहन न दे तब तक वह देशी दवायें चल नहीं सकती हैं। आज देश के लिये इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम जनसाधारण के लिये सस्ता इलाज मुहैय्या करें और वह इन देशी दवाओं के जरिये ही संभव हो सकता है। आप कब तक अंग्रेजी दवाओं और अस्पतालों पर करोड़ों रुपये खर्च करते रहेंगे ? अब हमारे डाक्टर्स जोकि बी० एस० सी० और एम० एस० सी० और दूसरे डिग्री कोर्स ४, ४ और ५, ५ साल के पास करके निकलते हैं तो वह अंग्रेजी डाक्टर्स देहात में जाना पसन्द नहीं करते हैं। देहात में उनको बढ़िया मकान नहीं मिलता है, वहां पर उनके लिये कार मोटर नहीं होती है और बिजली भी वहां पर नहीं होती है और वे गांवों में जाकर बसना और जनता की सेवा करना ही नहीं चाहते हैं। आप उनको बड़ी-बड़ी तनख्वाहें देकर यहां शहर में पालते रहते हैं लेकिन गांवों की पहले के समान उपेक्षा होती रहती है। इसलिये आज आवश्यक हो गया है कि देहातों में देशी चिकित्सा के कार्य को आप फैलायें, उसका वहां पर प्रसार करें ताकि हर घर में जो देशी दवायें और जड़ी बूटियां सुलभ होती हैं उनका ग्रामीण जनता सही तौर से उपयोग करना सीख ले ।

आपने अभी इस पंचवर्षीय योजना में देशी दवाओं के लिये ५ करोड़ रुपये की धनराशि रक्खी है। इसका मतलब यह हुआ कि देशी दवाओं के लिये आयुर्वेदिक और यूनानी के लिये एक वर्ष के लिये एक करोड़ रुपया होगा जबकि अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति के लिये और अंग्रेजी अस्पतालों के लिये ३४५ करोड़ रुपये की धनराशि रक्खी है। जब देशी और अंग्रेजी चिकित्सा पद्धतियों में बहुत बड़ा अन्तर आपने रक्खा है। जो इलाज ८० फी सदी आदमियों के लिये हो उसके लिये आपने केवल १ करोड़ रुपये एक साल में प्रोवाइड किये हैं, पांच साल में ५ करोड़ रुपये खर्च करेंगे जबकि केवल २० फी सदी आदमियों के वास्ते जोकि शहरों में आपके पास उठने बैठने वाले होते हैं, हमारे जैसे पालियामेंट के मेम्बर्स हुये और कुछ आफिसर्स हुये उनके लिये आपने ३४५ करोड़ रुपये रक्खें हैं और मुझे कहने पर विवश होना पड़ता है कि आपने यह अन्तर करके न्याय नहीं किया है। आपको न्याय करना चाहिये ।

बिक्री कर के बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने सारे बिक्री कर को बन्द कर दिया है और मैं समझता हूं कि अगर आप इस विषय में राज्य सरकारों को साउन्ड करेंगे

तो हर एक राज्य सरकार इस बात को मानने को तैयार हो जायेगी और वे अपने यहां से देशी दवाओं पर बिक्री कर को हटा देंगी ।

आपको देशी चिकित्सा के लिये जगह-जगह कालिजेज खोलने चाहियें ताकि देशी चिकित्सा पद्धति का विकास हो और वह प्रगति करे। भारत की पुरानी चिकित्सा आयुर्वेदिक है जिसका कि आधार वैज्ञानिक सिद्धांतों पर है और यह केवल मनोवैज्ञानिक ही नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बारे में आप अवश्य ध्यान दें और देशी दवाओं को प्रोत्साहन दें, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

†**श्री सुबिमन घोष** (वर्दवान) : मैं अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं क्योंकि यह योजना देश के अन्य भागों में भी विस्तृत की जाने वाली है।

इस योजना के अन्तर्गत डाक्टर तभी मरीज के घर आता है जबकि वह बिल्कुल चारपायी से लग जाता है, तब तक वह इतना बीमार नहीं हो उसे उसके रिश्तेदार डिस्पेंसरी में ले जायेंगे। वहां उन्हें बहुत देर तक लम्बी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। डिस्पेंसरी में कुछ मिक्शचर और टिकियां होती हैं डाक्टरों को केवल उन्हें ही विहित करना होता है। पश्चिम बंगाल के एक डाक्टर को अपनी नौकरी से केवल इस कारण हाथ धोना पड़ा कि उसने अपना नुक्सा उक्त द्रवों या टिकियों के अनुसार नहीं बनाया।

डाक्टर किसी भी रोगी को विशेषज्ञ के पास भेज सकता है। होता यह है कि जब मरीज विशेषज्ञ के पास पहुंचता है तो उसे ज्ञात होता है कि वह विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञ को दिखाने के पश्चात् भी दवायें डिस्पेंसरी से ही लेनी होती हैं।

रात्रि को एक डाक्टर ड्यूटी पर रहता है। वह कहीं बाहर या क्लब में चला जाता है और अपने परिवार में कह जाता है कि यदि कोई मरीज आये तो यह कह देना कि वे किसी मरीज को देखने गये हैं। ऐसे समय यदि कोई मरीज आता है तो उसे परेशानी होती है। यदि कोई कर्मचारी रात्रि के समय ऐसे मरीज के लिये डाक्टर को बुलाये जो कि अस्पताल तक जा सकता है तो उस पर उसका विभाग अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है।

कार्डों पर वेतन लिखा गया है इससे यह ज्ञात हो जाता है कि मरीज किस वर्ग का कर्मचारी है यह बहुत अनुचित है। ८०० रु० मासिक से अधिक वेतन पाने वाला कर्मचारी विशेषज्ञ के पास सीधा जा सकता है।

संसद् भवन में भी एक डिस्पेंसरी है तथापि उसका उपयोग केवल आपातकाल में किया जा सकता है। समझ में नहीं आता कि साधारण दवायें भी हम तभी ले सकते हैं जब आपातकालीन स्थिति हो।

यद्यपि यह कहा गया है कि ७० प्रतिशत व्यक्तियों का इलाज आधे घंटे के भीतर ही हो जाता है, तथापि यह गलत बात है, वस्तुतः डिस्पेंसरी जाने से दवा लाने तक बहुत समय लगता है।

डाक्टरों की अवस्था भी अच्छी नहीं है। उनका कोई भविष्य नहीं है। उसे कुछ विशेष दवायें ही देनी होती हैं, अतः वह यांत्रिक ढंग से काम करता है। इस संबंध में मेरा सुझाव इस प्रकार है। दिल्ली के स्वायत्त शासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये पृथक्-पृथक् क्षेत्रों में डाक्टर नियुक्त किये गये हैं। वे डाक्टर कर्मचारियों का इलाज करते हैं और यदि डाक्टर उन्हें अस्पताल में रखने की सलाह देता है तो स्वायत्तशासी संस्था उसे अस्पताल में रखने तथा उसके इलाज का पूरा व्यय देती है। मेरे विचार से सरकारी कर्मचारियों के लिये भी यही पद्धति अपनायी जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुबिमन घोष]

इसी संबंध में मैं आपका ध्यान केन्द्रीय औषध स्टोर कलकत्ता की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां के कर्मचारियो का वेतन क्रम स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों की अपेक्षा कम है। इस संबंध में एक सदस्य तथा मंत्री महोदय में पत्र व्यवहार हो रहा है। यह पत्र व्यवहार १९५९ से चल रहा है तथापि अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं हो सका है।

एक मां जो कि नवें बच्चे की मां बनने जा रही थी वह डाक्टर के पास आपरेशन के लिये पहुंची, तो डाक्टर ने उससे कहा कि जब वह आठ बच्चे शांतिपूर्वक जन चुकी है तो उसके जीवन को कोई खतरा नहीं है अतः आपरेशन की आवश्यकता नहीं है। भला ऐसी हालत में परिवार नियोजन किस प्रकार सफल हो सकता है। पश्चिम बंगाल में परिवार नियोजन संबंधी गैर-सरकारी केन्द्रों में बहुत वृद्धि हो रही है अतः सरकार को इन पर अंकुश रखना चाहिये।

सुश्री मणिबेन पटेल (आनन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां दिल्ली शहर और नई दिल्ली में जो पानी नलों के द्वारा पीने को मिलता है, उसके रिजर्वायर जहां हैं, मुझ को ऐसा लगता है कि हमारे मिनिस्टर को जाकर उनको देखना चाहिये। मेरे पास बहुत शिकायतें आई हैं कि वह जगह जितनी स्वच्छ होनी चाहिये उतनी स्वच्छ नहीं है। मेरी इच्छा थी कि डिबेट शुरू होने के पहले मैं स्वयंम् वहां जाकर उनको देखूं, परन्तु मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिये बाहर गई थी। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचना चाहती हूं कि जो पानी के रिजर्वायर हैं उनको देखने की जरूरत है।

हम लोग यहां पर फैमिली प्लैनिंग पर भी काफी खर्च कर रहे हैं। आप की मर्जी है आपको खर्च करना हो तो खर्च कीजिये, लेकिन मेरी राय में उससे लोगों का नैतिक अधःपतन ही हो रहा है। अगर उस का आधा पैसा भी देहातों में लोगों को स्वच्छ पानी मिले, इसके लिये खर्च किया जाय तो लोगों को ज्यादा लाभ होगा। लोगों का स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होगा और देहात के लोग काफी बच सकेंगे।

अपने देश में सिर्फ, ऐलोपथी ही नहीं, परन्तु आ ुर्वेद, होमियोपैथी और यूनानी दवाओं का भी काफी लाभ लोग लेते हैं। ऐलोपैथी इतनी महंगी है कि हमारे यहां के सब लोग उस तक पहुंच नहीं सकते हैं। वे इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। और डाक्टर हमारे देहातों में जाना नहीं चाहते हैं। डाक्टरी की शिक्षा पाने में कितना खर्च होता है? लड़के मां बाप का पैसा भी खर्च करते हैं, या विद्यार्थी स्कालरशिप्स लेकर युनिर्वासिटी में डाक्टर बनने में काफी पैसा खर्च करते हैं। उतना पैसा वह कमाना चाहते हैं। यह सीधी बात है और इसमें कोई शिकायत हमारी नहीं हो सकती है। परन्तु यह अपने देश की जब परिस्थिति है तब खुद डाक्टर्स भी, मैं जानती हूं, कभी-कभी अपने-अपने परिवार के लिये कभी ऐलो थिक, कभी आयुर्वेदिक उपचार का उपयोग करते हैं। देश में यह सब चल रहा है। गरीब लोग सब चीजों का लाभ उठा रहे हैं, और उनमें भी आखिर कोई शास्त्र तो है ही। ऐसी बात तो नहीं है कि उसमें कोई शास्त्र नहीं है। तो जब यह सारी जनता के लाभ के लिये है और सरकार सब प्रकार के लोगों से कर भी लेती है तब यह सब प्रकार के उपचारों के लि ठीक तरह से पैसा क्यों खर्च नहीं करना चाहती। आप ऐलोपथी के ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं, उस के संशोधन में कितना पसा खर्च करते हैं और युनानी, आयुर्वेद, होमियोपैथी और कुदरती उपचार के ऊपर कितना खर्च करत इसके बारे में सोचने की जरूरत है। जब तक ऐलोपैथी में श्रद्धा रखने वाले डाक्टरों के पास यह काम रहेगा, वे इस कारोबार को देखेंगे, तब तक दूसरे जो शास्त्र हैं उनको कभी न्याय मिलने वाला नहीं है। जैसे हमारे की ट्रेड युनियन्स है उनके ज्यादा ताकतवर

हमारी मैडिकल ऐसोसियेशन्स कही जा सकती हैं। आप उनको डागमैटिक कहें या कुछ भी कहें लेकिन वे देखते हैं कि उनकी जो चीज है उसमें कोई घुस न आये और उनका जो काम है वह चलता रहना चाहिये। और शास्त्र के लिये उनमें किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है। अब जामनगर आयुर्वेदिक इंस्टिट्यूशन है, अगर उसके ऊपर आप कोई ऐलोपैथिक के पक्ष वाला आदमी बिठला दें, कोई ऐलोपैथिक डाक्टर बिठला दें तो मैं नहीं मानती कि उसके साथ कोई जस्टिस हो सकती है। अगर आप कहें कि अपने देश में कोई आयुर्वेद जानने वाला होशियार आदमी नहीं है, तो यह भी मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। काफी लोग यहां पर आयुर्वेद जानते हैं और उसके शास्त्र को उपयोग करने वाले और जानने वाले भी हैं। इसके बारे में भी आपको देखने की जरूरत है।

जो दवायें ऐलोपैथिक की हैं वे बहुत महंगी हैं, और उनमें भी बहुत जोखिम है। उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है ऐसी बात नहीं है। कई ऐसी दवायें स्प्यूरिअस निकली हैं जो कि उस तरह की चीजें नहीं होती जो उन पर लिखा होता है, और उनसे काफी नुकसान होता है। छोटी-छोटी बातों के लिये हमारे देश में पैंसिलीन और माईसीन का उपयोग होता है। उनके नकली होने से काफी नुकसान होता है। परन्तु एच० जी० वेल्स ने सोल्जर्स और डाक्टर्स के बारे में लिखा है, एक किताब "मेडिकल मेन एड सोल्जर्स" के बारे में लिखा है कि डाक्टर और सोल्जर्स दोनों को मर्डर करने का लाइसेंस होता है। डाक्टर के हाथ से कोई मर जाय तो उसका हिसाब पूछने वाला कोई नहीं है, सोल्जर्स के हाथ से कोई मारा जाय तो उससे भी पूछा नहीं जाता। वे सही नियत से काम करते हैं यह ठीक है, उनकी नियत होती है लोगों को अच्छा करने की, परन्तु नकली ऐलोपैथिक दवाओं से काफी नुक्सान होता है, नुक्सान नहीं होता है ऐसा नहीं है। लेकिन आयुर्वेद, यूनानी और होमियोपैथी को जानती हूं, कुदरती इलाज से भी मैं जानती हूं। उनमें मैं समझती हूं कि कोई ऐसी तेज चीज नहीं है जिससे आदमी के जीवन को जोखिम हो। हां न उपचारों में देर लग सकती है अच्छा होने में। परन्तु जब हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास इतनी साधन सामग्री नहीं है हमारे डाक्टर देहातों में जाना नहीं चाहते, हम उनको वहां भेज नहीं सकते तो हम क्यों उन शास्त्रों का उपयोग न करें, अपने देश में आरोग्य के लिये। खाली उड़ीसा में ही नहीं, हर स्टेट में यह परिस्थिति है कि आप डिस्पेंसरीज के लिये पैसा सैंक्शन करें, डिस्पेंसरीज के लिये कुछ पैसा खर्च भी करें, लेकिन देहात में जाने के लिये डाक्टर तैयार नहीं हैं। अब किसी-किसी जगह आपने ऐसा किया है कोई-कोई यूनिवर्सिटी ने, कोई-कोई स्टेट ने यह किया है कि जब तक कोई विद्यार्थी मेडिकल परीक्षा देकर छः महीने तक देहात में प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक उसको डिग्री नहीं मिलेगी। इसमें भी मैं देखती हूं कि शहर के आसपास के जो गांव हैं, वहां जाने के लिये तरकीब की जाती है। कोशिश होती है। दूर-दूर के गांवों में कोई जाने के लिये तैयार नहीं है। आप के पास ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं है कि आप उन को दूर-दूर के देहातों में भेज सकें। इसलिये मेरा यह कहना है कि जो हमारे शास्त्र हैं उनको भी उत्तेजन देना चाहिये और जैसे आप ऐलोपैथी में दिलचस्पी लेते हैं और उसके अस्पतालों के लिये आप धन देते हैं उतना ही ध्यान आयुर्वेदिक, यूनानी और होमियोपैथी आदि के लिये देना चाहिये।

ड्रेनेज तो अच्छी चीज है। खुली नालियां न हों और अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेज रखा जाये तो बहुत अच्छा हो, परन्तु जो ड्रेनेज का पानी और मैला नदियों में फेंका जाता है यह बहुत गलत चीज है। इससे शहर तो अच्छा रहता है और शहर में आरोग्य भी रहता है, परन्तु नदी में जो पानी फेंका जाता है उससे जो नीचे के देहात हैं वे खत्म हो जाते हैं, उनमें लोगों को तरह-तरह के रोग हो जाते हैं और वह खत्म हो जाते हैं और देहात खत्म हो जाते हैं। इसलिये मेरी यह बिनती है कि इसके बारे में कोई कानून बनाना चाहिये कि कहीं भी किसी भी राज्य में ड्रेनेज का उस समय तक सेंक्शन न किया जाये जब तक कि उसके निकालने का पूरा बन्दोबस्त न किया जाये और गैस का उपयोग

[सुश्री मणिबेन पटेल]

हो सके, और पानी को साफ करके, ट्रीट करके तब ही नदी में डाला जाये। इसके बारे में ठीक से और जल्दी से काम करना चाहिये।

दिल्ली में बारबार पानी पोल्यूट होता है इसलिये सावधान रहने की कोशिश की जाती है और कभी-कभी इसके बारे में अखबार में भी बात आती है। इसके लिये हैल्थ डिपार्टमेंट ने एक ही रास्ता सोचा है। वह इतने जोर से क्लोरीनेशन करते हैं कि पानी पीना मुश्किल हो जाता है और उसका स्वाद ही खराब हो जाता है। परन्तु क्या यह सोचा जाता है कि इतना क्लोरीनेशन करने से पेट को क्या खराबी होती है और क्या नुक्सान होता है और उससे कितनी और बीमारियां पैदा होती हैं। इसके बारे में सोचने की जरूरत है। यही एक इसका उपाय नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा क्लोरीनेशन करो।

हमारे यहां आसपास के जंगलों में अनेक वृक्ष और बेलें हैं जोकि दवा के काम में आ सकती हैं। तो मेरा तो यह कहना है कि दवा चाहे ऐलोपैथी की हो, या आयुर्वेदिक की हो या यूनानी की हो लेकिन वह महंगी नहीं होनी चाहिये। जो दवा एक आने में हो सकती है अगर वही दो रुपये में आती है तो उसको अच्छा माना जाता है। यह ख्याल छोड़ देना चाहिये। जो दवा हमारे देश में बनी हो, सस्ती हो और लाभ कर सकती हो, उसी को लेना चाहिये ऐसा मुझे लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

†**श्री करमरकर** : माननीय सदस्यों ने इस मंत्रालय की बहस के बारे में बहुत सी लाभदायक बातें बताई हैं, उसके लिये मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। बहुत सी बातें जो माननीय सदस्यों ने कही हैं उससे मैं सहमत हूं परन्तु दो माननीय मित्रों से मैं सहमत नहीं हूं। उनके बारे में मैं सबसे पहले कहूंगा।

एक मित्र ने बहुत ठीक बातें कहीं परन्तु वे सब अनुदान की मांगों पर हो रही चर्चा के संबंध में उचित नहीं कही जा सकतीं। वे बातें उन्हें गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर विचार करते समय कहनी चाहियें थीं। मेहतरों की स्थिति का उल्लेख मुझे प्रासंगिक नहीं लगा। यह विषय गृह-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। मैं स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से इस दिशा में क्या कर सकता हूं। परन्तु इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भी कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उन्हें काम पर लगाया गया है, इनकी स्थिति को अधिकाधिक अच्छी बनाने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री जगदीश अवस्थी का यह कहना कि न पेट भर खाने को मिलता है, और बीमार हो जायें तो खाने को दवा नहीं मिलती है, मेरा विचार है कि ऐसा कहते हुये वह भूल गये होंगे कि वह क्या कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे इस दिशा में और जानकारी देने की वह कृपा करें। मेरा मत यह है कि यह कहना सत्य नहीं है कि गत १३ वर्षों में स्थिति में कोई सुधार ही नहीं हुआ है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अभी बहुत कुछ किया जाना है तब भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उसको देखते हुये असन्तोष की कोई भावना नहीं होनी चाहिये। मेरा विचार है कि यदि हम और अधिक उत्साह से कार्य करते तो और अधिक सफलता होती। मेरा निवेदन है कि हम लोग प्रतिदिन २ घंटे कम काम करते हैं। और हमारे लोगों की यह आदत सी बन गयी है। यह मामला केवल स्वास्थ्य के मामले में नहीं प्रत्युत लगभग सभी दिशाओं में है। इस पर भी मेरा विश्वास है कि हमने प्रगति की ओर कदम बढ़ाया ही है। वह प्रगति कैसी है उसे आप अपनी आंखें खोल कर देखें

†मूल अंग्रेजी में

सकते हैं। मैं गांवों में चलकर उन्हें दिखाने को तैयार हूं । मलेरिया उन्मूलन के लिये जो कुछ किया गया है, उसको प्रत्येक गांव वाला भली भांति जानता है ।

आज की स्थिति यह है कि औसत आयु बढ़ कर ४२ हो गयी है, जबकि १९४७ में औसत आयु केवल ३२ थी । प्रसव में माताओं तथा बच्चों की मृत्यु का औसत भी कम हो गया है । इसका कारण यह है कि लोग स्वास्थ्य के सुधार उपायों का प्रयोग कर रहे हैं । बच्चों की मौतें भी १३५ प्रति हजार से कम होकर १०० प्रति हजार हो गयी हैं । इन व्याधियों का मूल कारण स्वास्थ्यवर्धक भोजन न मिलना है ।

संक्रामक रोगों के संबंध में भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं । अभी हाल ही में अर्द्ध कुम्भ का मेला हुआ था । यह मेला इलाहाबाद तथा हरिद्वार में हुआ था । लगभग ४० लाख लोग वहां एकत्रित हुये थे । वहां हैजे का एक भी मामला देखने को नहीं मिला । राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है । मलेरिया पर नियंत्रण रखने की दिशा में भी काफी प्रगति हुई है और इस ोग का समूल नाश करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है । मुझे पूर्ण आशा है कि तीसरी योजना के अन्त तक हमारा यह लक्ष्य पूरा हो जायेगा । मच्छरों और खटमलों के खतरों का मुकाबला करने के लिये आधुनिक उपायों का आविष्कार किया जा रहा है और इसके लिये हम चिन्तित भी हैं । इस समय मलेरिया उन्मलन की ३९० ईकाइयां सारे देश भर में काम कर रही हैं । यह ईकाइयां केवल उन्हीं क्षेत्रों में ही नहीं जाती जहां कि इस समय मलेरिया फैला हुआ है, परन्तु उन क्षेत्रों में इसके नियंत्रण की व्यवस्था की जा रही है जहां कि यह अभी पहुंचा तक नहीं । इस दिशा में महान प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

अब हम और भारी रोगों की ओर आते हैं । तपेदिक मलेरिया से अधिक हमारा शत्रु है । कानपुर में यह बीमा ी बहुत अधिक है मैं इसे स्वीकार करता हूं । कारण यह कि कानपुर कलकत्ता की तरह बड़े अस्तव्यस्त ढंग से विकसित हुआ नगर है । इस तपेदिक अथवा क्षय रोग के संबंध में मेरा निवेदन है कि इस दिशा में स्थिति गम्भीर है । इस रोग के आपात तथा इससे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को देखते हुये, केवल सरका ी प्रयत्नों से इस समस्या का सामना नहीं किया जा सकता । स रोग के रोगियों की सहायता करने क लिये समाज को स्वयं आगे आना होगा ।

कभी यह सोचा जाता था कि रतिज रोगों सम्बन्धी काम मुश्किल होगा क्योंकि यह पूछा जाता था, "यदि आप इस रोग का हस्पताल खोल दगे तो कौन आएगा । जिस को रोग होना है वह तो जरूर आता है । विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से हमने पहला अस्पताल शिमला में खोला । अब लगभग १८ क्लिनिक हैं । उनमें काफी रोगी आते हैं और हमारा विचार है कि इनके कारण रोगों का प्रभाव भी कम हो गया है ।

रिपोर्ट में तत्सम्बन्धी आंकड़े दिये गये हैं और मेरा विचार है कि हम इस दिश में कुछ आगे बढ़े हैं । हमें और भी आगे बढ़ना है । इसका जिक्र मैं इस कारण कर रहा हूं कि यह रोग इतना भयानक है कि पुश्त दर पुश्त चलता है । इसका महत्व सामाजिक है । इसी कारण इसके बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ।

श्री कोडियान ने जो कुछ कहा उसका उत्तर देने से पूर्व मैं यह बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के लिए कितनी व्यवस्था की गयी है । जल सम्भरण के विषय पर हम लोग भावुक हो उठते हैं और ऐसे ही किसी क्षण में मैंने भी कहा होगा कि यदि सारी रकम इसी प्रयोजन के लिये रख दी जाय तो भी ठीक ही होगा । किन्तु मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि जनता के लिये स्वच्छ जल की व्यवस्था की जानी चाहिये । इससे अनेक बीमारियों की रोकथाम हो जाती है क्योंकि गन्दे पानी के इस्तैमाल से रोग फैलते हैं ।

[श्री करमरकर]

इस सम्बन्ध में यथाशक्ति कुछ काम हुआ है। आज से ६ बरस पहले एक योजना बनाई गयी थी। पहली और दूसरी योजनाओं के फलस्वरूप अभी तक ३४८ योजनाओं को स्वीकृत किया गया है और १८ करोड़ पया खर्च किया जा चुका है। नगरों के लिये जल सम्भरण की ३६४ ोजनाएं और स्वास्थ्य सम्बन्धी ८२ योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं जिन पर ८० करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है। माननीय सदस्यों को यह पता लग जायगा कि अधिकांश मध्यम परिमाण के राज्यों में यह चीज अमल में आ रही है और ८२ जगहों में स्वच्छता सम्बन्धी योजाएं शुरू की जानी हैं।

जन स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरों ने मोटे तौर पर हिसाब लगाया है कि यदि सारे नगरों में जल की व्यवस्था की जाय तो उसके लिये ९०० करोड़ रुपया चाहियेगा। यदि हम सारे गांवों में सुरक्षित कुएं लगवाएं तो भी इस काम के लिए २०० करोड़ रुपया चाहिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अकेले इसी काम के लिये ११००/१२०० क ोड़ पया चाहिये। तीसरी योजना के लिये शायद हमें ६४ करोड़ रुपया इस काम के लिये मिला है जो काफी नहीं है। पहले तो इसमें भी कमी करने का विचार था परन्तु शायद अब कमी न होगी। गांवों के लिए तत्सम्बन्धी विकास निधि से भी ३० करोड़ रुपया प्राप्त हो जायगा। ५० करोड़ के कुल धन में से, हमें आशा है, कि ३० करोड़ रुपया हम गांवों में लगा सकेंगे। परन्तु गांवों के लिये जितना रुपया चाहिए यह तो उसका पांचवां भाग ही है। हमें विचार से पता लग जायगा कि इस समय सामाजिक सेवा तथा आर्थिक क्षेत्र में भारतीय पारस्परिक प्रतियोगिता है। अन्य देशों के अनुभव से पता चलता है कि सम्पन्न होने पर क्षय जैसे रोग समाज में नहीं ठहरते जैसे कि इंग्लैण्ड में हुआ था। उन्होंने अभी इसके निवारण के लिये ठीक ढंग से कोशिश भी शुरू न की थी कि यह ोग लुप्त होने लगा था। इसी तरह अमरीका में भी लोगों के समृद्ध होने के साथ ही इस रोग का लोप होता गया था। मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे हमारे देश की जनता की आर्थिक स्थिति ठीक होती जायगी वैसे वैसे ही इस विनाशक रोग का प्रकोप भी कम होता जायगा। इसलिए हमें अब आर्थिक उन्नति के लिये संघर्ष करना है। हमें हर चीज की आवश्यकता को ठीक ढंग से अनुभव करके ही सारे काम करने हैं। मुझे आशा है कि जब हमारी बड़ी सिंचाई योजनाएं पूरी हो जायेंगी शायद चौथी योजना में ही हो--हमें समाज सेवा पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करने का सामर्थ्य प्राप्त होगा। और तब हम सारे देश में जलसम्भरण की समस्या को हल कर पायेंगे।

इस बार ग्रामों में चिकित्सा सुविधाओं के विकास के बारे में सदस्यों ने संयम में रह कर ही सारी बातें कहीं। इस बात की अनुभूति हो चुकी है कि एक काम भले ही वांछनीय हो पर संसाधनों के बिना उसे नहीं किया जा सकता। गैर-सरकारी डाक्टरों के बारे में भी कुछ कहा गया। मुझे उनसे कोई गिला नहीं। पर इतनी बात जरूर है कि कई बार वह इतनी फीस लेते हैं जो आम आदमी नहीं दे सकता। यह भी ठीक है कि आ ुनिक दवाएं महंगी हैं। परन्तु भविष्य की कल्पना करते हुए मैं यही सोचता हूं कि भारत में चिकित्सा समाजवादी ढंग पर चलेगी। इसका यह मतलब नहीं कि निजी डाक्टर रहेंगे ही नहीं। पर आगे चल कर बड़े बड़े नगरों और जिलों में बड़े हस्पताल बनेंगे, तहसीलों में भी हस्पताल होंगे जिनमें पचास पचास बिस्तरे होंगे और उधर गांव गांव में भी हस्पताल बन जायेंगे।

इस समय आरम्भिक हस्पतालों के बारे में काफी गलतफहमी है। आरम्भिक हस्पताल ६६,००० लोगों की आबादी के लिये नहीं होगा। मेरा मतलब यह था कि ऐसे हस्पताल हर गांव में या ६६,००० की आबादी के एकक में होंगे। हमारे यहां २९०० प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। तीस ी योजना में हर सामुदायिक विकास क्षेत्र में ऐसे हस्पताल बन जायेंगे।

यह भी गलत है कि वहां डाक्टर नहीं होते। कुछ में शायद ऐसी हालत हो किन्तु हमें सामूहिक चित्र देखना चाहिये। १९५९ या उसके लगभग हमारी मांग ३००० की थी। किन्तु अब हमारे यहां

६० मेडिकल कालेज हैं जिनसे ६३००डाक्टर निकलते हैं । हमें अब ज्यादा डाक्टर मिल रहे हैं । किन्तु तब भी हमारी मांग के मुकाबले डाक्टरों की संख्या बहुत ही कम है । २० प्रतिशत स्वास्थ्य केन्द्रों में शायद डाक्टर नहीं हैं । इसलिये बजाय इसके कि हम आलोचना करें हमें यह देखना चाहिये कि हम क्या कुछ प्राप्त कर चुके हैं । यदि हमारे यहां २००० स्वास्थ्य केन्द्र हैं तो उनमें से १६०० केन्द्रों में तो डाक्टर हैं । अब आगे चल कर और भी डाक्टर आते जाते रहेंगे । किन्तु बात यह है कि कुछ क्षेत्रों में डाक्टरों का अभाव है और कुछ क्षेत्रों में डाक्टर लोग आ जाते हैं । यह समस्या मानवीय समस्या है और इसके लिये ऐसी अड़चनें आती ही रहती है । किन्तु इस मार्च तक हम २६०० केन्द्र बनाना चाहते हैं । चाहे कुछ स्थानों पर डाक्टर न भी मिलें । इससे आखिर फायदा तो होगा ही ।

यदि हमारे संसाधन आगे चल कर बढ़े तो इन केन्द्रों का प्रसार शायद चौथी योजना में गांव गांव में हो जाय । पहले हमारे यह केन्द्र उन कस्बों में बनेंगे जिनकी आबादी बीस हजार होगी और तत्पश्चात् १०,००० वाली आबादी में भी इनकी स्थापना होगी । भावी १५ वर्षों में ऐसे केन्द्रों का बाहुल्य हो जायगा ।

पन्द्रह वर्ष कोई ज्यादा नहीं होते । शायद हम सभी इस चीज को देखने के लिये जिन्दा रह जायं । परन्तु इनके बारे में मैं झूठी आशाएं नहीं दिलाना चाहता । यदि ५००० केन्द्रों में से ५०० में डाक्टर न हों तो हमें उनकी ज्यादा चिन्ता नहीं करनी चाहिये । पता नहीं माननीय सदस्य कैसे जांच पड़ताल करते हैं । कम से कम मैं तो ऐसे नगर का रहने वाला हूं जहां और डाक्टर नहीं खप सकते । हमारे छोटे से कस्बे में पानी की व्यवस्था नहीं और उसके बिना डाक्टर नहीं रहते । किन्तु स्थिति में सुधार होने के साथ ही डाक्टर लोग आने लगते हैं । फिर धीरे धीरे डाक्टर तहसीलों और फिर आगे गांवों में भी चले जाते हैं ।

लोग कहते हैं कि डाक्टर गांवों में नहीं जाते । पर इसके लिये डाक्टरों को दोष क्यों दिया जाय । इसके लिये हमें गांवों में ऐसे उपयुक्त सुधार करने चाहियें जिनसे व लोग आकर्षित हों । इंजीनियर, राजनीतिज्ञ और सभी लोग नगरों में मौज करें और डाक्टर ही अकेले हमारी आलोचना का लक्ष्य बनें । हर डाक्टर बच्चों वाला होगा । उसे उनकी शिक्षा दीक्षा का भी तो ध्यान ोगा । उसे गांव में ये सुविधायें नहीं मिल सकतीं अतः उसे नगर में ही रहना होता है । यह मानव की वृत्ति है । यदि मैं ही डाक्टर होता तो मैं भी शायद बड़े शहर में ही रहता । यदि पहले पहल ऐसा करना कठिन होता तो पहले तहसील में काम करते । वकील भी तो ऐसा ही करते हैं । इसी तरह राजनीतिक नेतागण करते है । गांव से जिला और फिर राज्य और तब केन्द्र तक पहुंचते हैं। मैं "राजनीतिज्ञ" से कोई अनुपयुक्त अर्थ नहीं ले रहा हूं । राजनीतिज्ञ यह सब इसी कारण करता है कि जितने ऊंचें मंच से वह बोलेगा वह उतना ही असर रखेगा । उसके बाद फिर वे गांवों में भी जाते हैं और लोग उनके पीछे लगते हैं । इसलिये डाक्टर को दोष देना ही ुक्ति-संगत नहीं । उन्हें इस अवस्था में तो जबरदस्ती ही वहां भेजा जा सकता है और यह काम तानाशाही सरकारें ही कर सकती हैं कि अमुक डाक्टर गांव में अनिवार्य रूप से तीन साल काटे और वहां जाकर वह अनमने ढंग से चाहे ज्यादा मरीजों को मारता ही क्यों न रहे । परन्तु हम ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते । हमारा रास्ता दूसरा है ।

इसी तरह से दवाओं का जहां तक सम्बन्ध है, जब तक उस क्षेत्र में पूर्ण रूप से समाजवादी प्रणाली लागू नहीं की जा सकती तब तक नफा कमाने की भावना बनी रहेगी । हम धीमी गति से इसी दिशा की ओर अग्रेसर हो रहे हैं ।

सरकार स्थिति को सुधारने का यथासंभव प्रयास करेगी । मैं समझता हूं कि यदि आज हमें एक जगह पर स्वास्थ्य एकक खोलते हैं तो कल वहां हमें डाक्टर के लिए मकान भी बनाना होगा ।

हर स्वास्थ्य केन्द्र के लिये रिहायशी भवनों की खातिर हमें ६६,००० के क ीब पया मिलता है। हमारा यह कर्तव्य है कि उन केन्द्रों के चिकित्सकों आदि को रिहायश की सुविधायें हम दें।

उ र हमारे मित्र ने कानपुर में क्षय रोग के बारे में शिकायत की। यह मामला राज्य सरकार के पास ले जाना चाहिये। व ी इस म मले पर विचार कर सकती है। किन्तु क्षय रोग से सम्बन्धित इस विषय के बारे में मुझे कुछ जानकारी भी देनी चाहिये। दूसरी योजना में क्षय रोग तथा कैंसर का उपचार करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं को १ करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करनी थी किन्तु वास्तव में हमने १० लाख रुपया ज्यादा ही दे दिया है। तीसरी योजना की अवधि में हम २।। क ोड़ रुपया इसी प्रयोजन के लिये रख रहे हैं। इससे अनेक संस्थाओं को और भी ज्यादा सहायता मिलेगी।

जहां तक सरका ी प्रयत्नों का सम्बन्ध है हमने राज्य सरकारों को भी काफी सहायता दी है। ५००० से अधिक अलग अलग बिस्त ों की व्यवस्था कराने के लिये भी हम ने सहायता दी है और हम उनसे प्रदर्शन केन्द्रों आदि की स्थापना के लिए भी कह रहे हैं। किन्तु मुख्य रूप से वित्तीय सहायता राज्यों के लिये ही है। जहां कहीं समस्या व्यापक हो वहां चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं भी दी जाती हैं और वैसे ही वित्तीय दृष्टि से राज्यों को सहयोग दिय जाता है।

श्री राधेलाल व्यास ने नदियों के जल के गंदा होने की बात कही। मैं उन से सहमत हूं और तथ्य तो यह है कि हम खुद भी इस बात पर विचार कर रहे हैं। हम ने जांच की थी और हमें उसी से पता चला है कि विभिन्न राज्यों ने कारखानों के गंदे जल की निकासी के बारे में नियम बना रखे हैं। किन्तु इस बात से मैं सहमत हूं कि यह सारा काम राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिये अर्थात् इस बारे में एक ऊंचा बोर्ड होना चाहिये। हम निकट भविष्य में ही इस विषय पर गहन विचार करेंगे। इस में थोड़ी कठिनाइयां होंगी जैसेकि राज्यों की राय जाननी पड़ेगी। किन्तु यह बात ठीक है कि उद्योगों की स्थापना के साथ साथ नदियों के जल की स्वच्छता की समस्या गम्भीर हो उठती है। इसलिये पहले से ही रोकथाम कर लेना श्रेष्ठ है।

श्री राधेलाल व्यास ने देशभर के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा की बात कही। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के लिये ऐसी योजना की परिकल्पना हम ने की है। दिल्ली में ऐसी योजना चल रही है। परन्तु उस योजना की कड़ी आलोचना हुई है। इस कारण पहले मैं उसी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। पहले तो हमें यही समझना चाहिये कि यह योजना वास्तव में है क्या। कुछ नियमों के अनुसार हमें भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करनी थी। जो सुविधाएं इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को दी जाती हैं वह पहले की सुविधाओं से पृथक प्रकार की हैं। कुछ रोगों में हम जो अब कर रहे हैं वह पहले नहीं किया जा रहा था। पहले तो यही होता था कि कुछ खर्चा जो वह एक सीमित क्षेत्र में करते थे उन्हें दे दिया जाता था। किन्तु अब पूरी की पूरी योजना है। हम क्या लेते हैं ? दो ढाई रुपये प्रतिमास। चार हजार रुपया पाने वाले कर्मचारी केवल १२ रुपये प्रतिमास हिस्से के रूप में अदा करता है। कम से कम चंदा आठ आना है। आठ आने में तो सिनेमा का टिकट भी नहीं मिलता।

उस पर भी १० आने तो कम से कम लगते हैं।

पिछले साल हम ने एक साथी को यह सब देखने के लिये भेजा था। वह एक मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के पास गये और पूछा कि आप यहां क्यों बैठे हैं और यह क्या है ? किन्तु उस ने उत्तर दिया कि भले ही यहां असुविधायें हों परन्तु इस में फायदे भी हैं और हमें वह चीजें मिलती हैं जिन्हें हम बाजार से खरीदने की हिम्मत नहीं रखते। तब एक चपड़ासी से जा कर उन्हों ने कठिनाइयां पूछीं। परन्तु उस ने उन का अनुभव ही न किया था यदि वह कुछ बताता तो मैं उसे जरूर सुनता। बल्कि चपड़ासी ने तो यह कहा, "साहिब मेरी तकदीर में कब लिखा था कि मेरे लड़के के लिये एक्सरे हो

जायगा । जो कुछ हो सकता है वह सभी करते हैं ।" मैं ने सब प्रकार के कर्मचारियों को ६००० से भी अधिक पत्र लिखे और सब से ज्यादा तारीफ उन लोगों ने की जो सब से कम कमाते हैं । उन्हों ने यही लिखा कि यह योजना गरीबों के लिये बहुत ही लाभदायक है । ज्यों ज्यों ऊपर जाते हैं ज्यादा शिकायतें होती हैं । इन पत्रों के करीब १,४०० उत्तर हमारे पास आये थे ।

अन्य सभी को हम ने जवाबी पत्र भेजे थे । इसलिये उन को डाक-खर्च नहीं उठाना पड़ा । १४६६ व्यक्तियों ने अपनी राय दी है । लगभग ८६०० व्यक्तियों ने कोई उत्तर नहीं दिया । इस से यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि १४६६ व्यक्ति झूठ बोलते हैं ; और ८६०० व्यक्ति जो कुछ कहते हैं वही सच है । जिन लोगों ने उत्तर दिये हैं, उन्हों ने इस योजना को बड़ा पसन्द किया है । इसलिये माननीय सदस्य को पहले तथ्यों की ठीक-ठीक जानकारी हासिल करनी चाहिये । उस के बाद ही ऐसी बात कहनी चाहिये ।

†**श्री सुबिमन घोष** : मुझे इस का कहीं अधिक अनुभव है । मैं ने इस योजना का कार्य-संचालन देखा है ।

†**श्री करमरकर** : माननीय सदस्य को अन्य मामलों का अधिक अनुभव होगा । मैं सभी मामलों में उन से होड़ नहीं लगाना चाहता ।

†**श्री सुबिमन घोष** : बिना कुछ जानते हुए भी, विशेषाधिकार-प्राप्त पद से ऐसी बात कहना आसान है ।

†**श्री करमरकर** : जी हां, विशेषाधिकार-प्राप्त स्थान पर ऐसी बात कहना आसान है सभा के बाहर ऐसी बात कहने का नतीजा कुछ और हो सकता है । खैर, मैं माननीय सदस्य से उलझने के लिये तैयार नहीं ।

मैं उन को ऐसे दस व्यक्तियों के पास ले चल सकता हूं । वह खुद समझ लेंगे कि दोष कहां है । लेकिन अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में एक कठिनाई अवश्य पड़ रही है । डाक्टरों की संख्या बढ़ाये बिना बहिरोंगियों की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा सकता । लेकिन उस के लिये अधिक धन चाहिये । मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य खुद सरकारी कर्मचारियों के पास जायें और सही स्थिति का पता लगायें, और यदि तब माननीय सदस्य ऐसी बात कहें तो मेरे सामने उस का वज़न कहीं ज्यादा होगा । मैं स्वयं इस योजना को सफल बनाने के लिये प्रयत्नशील हूं । माननीय सदस्य ने जो भी कहा, वह सही नहीं है ।

अभी मैं माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा था । उन के सुझाव काफी युक्तिपूर्ण थे, लेकिन सभी सुझाव व्यावहारिक नहीं थे ।

खान-पान की आदतों, इत्यादि के बारे में जो सुझाव था, मैं उसे मानता हूं । म श्री राधेलाल व्यास की प्राकृतिक चिकित्सा वाली बात से सहमत हूं । मैं स्वयं भी प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करता हूं । दवाओं से बचने की कोशिश करनी चाहिये । यदि कुपच हो, तो आराम किया जाये या टहला जाये । मैं खुद यही करता रहा हूं । लेकिन अधिक बड़ी बीमारियों के लिये, मैं यही अच्छा समझता हूं कि कोई न कोई दवा ले ली जाये । वह चाहे आयुर्वेदिक हो, या होम्योपैथिक या एलोपैथिक । हमारे संसद्-कार्य मंत्री, श्री सत्यनारायण सिंह के पास कुछ देर बैठने से भी काफी आराम

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करमरकर]

होती है, उन की मुद्रा इतनी प्रसन्न रहती है। उन के पास बीमार आदमी जाये तो उसी से २५ प्रतिशत बीमारी दूर हो जायेगी।

मैं आप को पढ़ कर सुनाता हूं कि महमारे प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों ने इस के बारे में क्या लिखा है। मैं उसे बहुत बहुमूल्य समझता हूं। उन की औषधियां चाहे पुरानी पड़ गई हों, पर स्वास्थ्य के बारे में उन्हों ने जो कहा था वह बुनियादी तौर पर आज भी सही है। उन्हों ने रोगरहित होना ही स्वस्थ होना नहीं माना। वे इस से भी आगे गये थे।

आयुर्वेद का मतलब है ऐसा ज्ञान जो मानव के हित में हो। वे कहते हैं :

"तत्र शारीरभानसाम्यां रोगभ्यामन मिद्रुतस्य हितम्
समृद्धसर्वारम्भस्य यथेष्ट विचारिण हितम्।"

स्वास्थ्य वही है जो मनुष्य को जीवन की सभी अच्छी चीजों का उपभोग करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। जो मनुष्य को सुखपूर्वक अपने काम करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। स्वास्थ्य की सही परिभाषा वास्तविक प्रसन्नता है। आज लोग रोगरहित होना ही स्वास्थ होना मानते हैं। यदि माननीय सदस्य यह समझ लेते, तो शायद इतनी शिकायतें नहीं करते।

श्री तिवारी ने बिल्कुल सही कहा था कि मृत्यु-दर घट गई है, और इस से पता चलता है कि कुछ प्रगति हुई है। नौगांव के तपेदिक अस्पताल के बारे में उन्होंने जो कहा है, मैं उस की जांच करूंगा, यदि वह मुझे उस का पूरा ब्यौरा दे दें।

हम ने अब यह व्यवस्था की है कि आयुर्वेद गवेषणा परिषद् में सभी सदस्य आयुर्वेद के ज्ञाता रहेंगे, केवल एक को छोड़ कर। वे काफी अच्छा काम कर रहे हैं।

श्री सुबिमन घोष ने कहा है कि आधी रात को डाक्टर नहीं मिलता। डाक्टरों को भी बड़े अजीब से अनुभव होते रहते हैं। एक डाक्टर के पास आधी रात को फोन आया। लेकिन वहां जाने पर उसे घर में कोई भी नहीं मिला। डाक्टरों को सख्त हिदायत है कि यदि रोगी की हालत चिन्ताजनक हो, उसे बहुत अधिक बुखार हो, तो उन को अवश्य जाना चाहिये। यदि इस सम्बंध में व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कोई शिकायत हो, तो मैं उस की जांच कराने के लिये तैयार हूं। इसलिये कि उस से सेवा की कार्यक्षमता सुधरेगी।

यह भी कहा गया है कि परिवार-नियोजन क्लिनिकों की संख्या बरसाती मेंढकों की तरह बढ़ रही है। बात समझ में नहीं आई। हम इस मामले में धीरे-धीरे पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह कोई ऐसा विषय तो नहीं जिस को ले कर जोशीले भाषण दिये जायें। लोगों को समझाना पड़ता है। पति-पत्नी दोनों को सहमत करना पड़ता है। हम किसी का घर तो बिगाड़ना नहीं चाहते। इसलिये दोनों को सहमत करना आसान काम नहीं। परिवार नियोजन का काम बड़ा दुसाध्य है। हमारे प्रधान मंत्री ने इस के उद्देश्यों को प्रचारित करने में काफी अगुआई की है। जनता आर्थिक रूप से भी इस की जरूरत समझ रही है। इसलिये अब परिवार नियोजन का संदेश गांवों की जनता के दिलों में भी घर करता जा रहा है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : लेकिन आप क्या कर रहे हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर :** कोई क्या करता या क्या नहीं करता--इसे जान कर किसी को कोई लाभ नहीं होता ।

हम इस मामले में बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं । अब यह सन्देश गांवों की जनता में भी पैठने लगा है । जनता इसे अपनाने लगी है । इंगलैण्ड और स्वीडन में जनसंख्या की वृद्धि को कुछ नियंत्रित किया गया है, लेकिन उस में ५०--६० साल लगे हैं । यह इतना आसान काम नहीं है । इसलिये हमारे प्रयत्नों को देख कर हमें आश्वस्त होना ही चाहिये । मैं उन गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं जिन्होंने स्वयं आगे बढ़ कर इस में सहयोग किया है । मैं उन सभी को बधाई देता हूं जो परिवार नियोजन के उपायों का इस्तेमाल करते हैं ।

इस सम्बन्ध में मुझे यही कहना है ।

†सुश्री मणिबेन पटेल ने पीने के पानी के बारे में जो कहा है, उससे किसी को मतभेद नहीं हो सकता ।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : मेरे प्रदेश के लोगों को आशंका है कि अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान को वहां से स्थानांतरित किया जा रहा है । माननीय मंत्री इसका स्पष्टीकरण कर दें ।

दूसरी चीज़ यह कि द्वितीय योजना में लगभग ३०० तपेदिक क्लिनिक खोलने की व्यवस्था थी, अब उसे ६० क्यों कर दिया गया है ?

राष्ट्रीय जल-सम्भरण की समस्या तभी हल की जा सकेगी जब नल-कूपों की समुचित व्यवस्था की जाये ।

†**श्री करमरकर :** माननीय सदस्य के तीसरे सुझाव पर मैं विचार करूंगा ।

पहली दो बातों के बारे में यह है कि माननीय सदस्य के लिये स्वाभाविक है यह सोचना कि वह प्रतिष्ठान बंगलौर में ही बना रहे । मुझे भी बंगलौर में कोई खामी नजर नहीं आती । लेकिन प्रतिष्ठान आरम्भ करते समय भारत सरकार और मैसूर सरकार के बीच एक लिखित करार हुआ था । मैं नहीं चाहता कि उसे स्थानांतरित किया जाये । उस करार में व्यवस्था थी कि प्रतिष्ठान का कार्य सामंजस्यपूर्ण ढंग से चलाने के लिये प्रतिष्ठान का निदेशक ही अस्पताल का पदेन अधीक्षक होना चाहिये । अब मैसूर सरकार शायद उसे बदलने की कोशिश कर रही है । हमारी अपनी पक्की राय है कि प्रतिष्ठान और अस्पताल दोनों एक ही प्रबन्ध में रहें । आशा है कि मैसूर सरकार करार की शर्तों पर चलेगी और वह प्रतिष्ठान बंगलौर में ही रहेगा ।

मैं आप सभी का आभारी हूं।

श्री अब्दुल लतीफ ने जो भी कहा है, मुझे उससे बड़ी दिलचस्पी है । मैं उस पर अवश्य विचार करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
४३	स्वास्थ्य मंत्रालय	१५,२९,०००
४४	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	९,९०,१५,०००
४५	स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	९७,८३,०००
१२४	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी-व्यय . . .	११,५९,१५,०००

———

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की मांगे लेंगे ।

वर्ष १९६१—६२ के लिये वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७६	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय	३१,५२,०००
७७	पुरातत्व .	१,२१,५५,०००
७८	भारत का सर्वेक्षण	१,८१,६५,०००
७९	वानस्पतिक सर्वेक्षण	२२,६४,०००
८०	प्राणिकीय सर्वेक्षण	१५,२७,०००
८१	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य .	१८,३६,१०,०००
८२	वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	५१,१७,०००
१३१	वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	३,६७,३७,०००

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : कुछ ही सप्ताह में द्वितीय योजना समाप्त हो रही है और तृतीय योजना प्रारम्भ होने जा रही है । इसलिये मैं द्वितीय

†मूल अंग्रेजी में

योजना-काल की और विशेषकर गत वर्ष की, सफलताओं का संक्षिप्त ब्यौरा आपके सामने रखना चाहता हूं।

द्वितीय योजना के प्रारम्भ के समय देश में तकनीकी शिक्षा के डिग्री पाठ्यक्रमों की ६५ संस्थायें थीं, जिनमें ५,८९० विद्यार्थी लिये जाते थे, और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की ११४ शिक्षण-संस्थायें थीं, जिनमें १०,४८० विद्यार्थी थे। आज डिग्री पाठ्यक्रमों की ९७ शिक्षण-संस्था हैं और उनमें १३,५०० विद्यार्थी भर्ती होते हैं और पोलीटैक्नीक संस्थायें १९३ हैं, जिनमें २५,२९० विद्यार्थी लिय जाते हैं। शिक्षण-संस्थाओं की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। उनकी क्षमता तो इससे भी अधिक बढ़ गई है।

शिक्षण का स्तर उच्च बनाने के लिये अध्यापक प्रशिक्षण कार्य-क्रम पिछले दो साल से चल रहे हैं। अध्यापकों के वेतन-क्रमों के सुधार का पूरा व्यय पांच साल तक के लिये केन्द्र ने अपने ऊपर ले लिया है। निर्धन पर सुयोग्य और मेहन्ती विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां शुरू की गई हैं। डिग्री और डिप्लोमा विद्यार्थियों को २,००० छात्रवृत्तियां दी गई हैं। तृतीय योजना में इसका और विस्तार किया जायेगा। गवेषणा संबंधी छात्रवृत्तियों की संख्या ८०० और राष्ट्रीय गवेषणा फैलोशिप की छात्रवत्तियों की संख्या ८० कर दी गई है।

टैक्नीकल और व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में चार उच्चतर टैक्नोलोजिकल संस्थायें हैं, इनमें से तीन की स्थापना दूसरी योजना में की गयी। हमने हैदराबाद में प्रशासनिक स्टाफ कालेज की स्थापना भी कर दी है। तथा हम दो भारतीय प्रबन्ध संस्थायें खोलना चाहते हैं, इनमें से एक कलकत्ता और दूसरी अहमदाबाद में खुलेगी। राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्था की स्थापना बम्बई में की जायेगी।

वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में दूसरी योजना की अवधि में जो कार्य कि गये उनमें से १० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले चश्मे के शीशे का एक सं त्र भी है। सभा को ज्ञात है कि हमारे देश में हमारे ही वैज्ञानिकों द्वारा चश्में के शीशों का विकास एक प्रशंसनीय बात है।

ऐसा कोयला जिससे कोक नहीं बनता उसके सुधार तथा खनिज संसाधनों के विकास के लिये कार्य जारी है। मूंगफली से प्रोटीन के उत्पादन तथा केल्शियम फास्फेट और विटामिन युक्त मैकारौनी के उत्पादन से हमारे भोजन में सुधार होगा तथा खाद्य संबंधी समस्यायें हल करने में सहायता मिलेगी।

इस वर्ष भारतीय पैट्रोलियम संस्था की स्थापना हुई तथा राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, केन्द्रीय वैज्ञानिक औजार संगठन, केन्द्रीय भारतीय जड़ी बूटी संगठन की स्थापना के संबंध में अग्रेतर कार्य हुआ। अधिक ऊंचाई का चिड़ियाघर की स्थापना का कार्य किया गया और भारतीय पर्वतारोहण संस्थान, जिसने पहिले भारतीय दल को माउन्ट एवरेस्ट भेजा था, को सहायता जारी रही। वर्ष १९६१ में अन्नपूर्णा ३ नन्दादेवी तथा कुछ अन्य शिखरों पर पर्वतारोहण किया जायेगा। १९६२ में दूसरा भारतीय दल माउन्ट एवरेस्ट पर अभियान करेगा।

१९५९ में भौतिक शास्त्र का ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम (समर स्कूल) आरम्भ किया गया था। १९६० में वनस्पति शास्त्र का ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया। इस वर्ष नरतत्वीय शास्त्र, सावयिक रासायन शास्त्र, सैद्धान्तिक भौतिक शास्त्र, और जीव शास्त्र में चार ग्रीष्मकालीन पा यक्रम आरम्भ करने का विचार है।

गांवों में विज्ञान संबंधी ज्ञान के प्रचारार्थ हम बलवन्त राय मेहता समिति और जनवरी, विस्तृत १९६१ में हुए मुख्य मंत्री सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर विज्ञान मंदिर कार्यक्रम

[डा० म० मो० दास]

को ओर करना चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कि हम तीसरी योजना के अंत तक प्रत्येक जिले में एक विज्ञान मंदिर की स्थापना कर सकें, एक पूर्व सम्मत कार्यक्रम के आधार पर इन विज्ञान मंदिरों का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा ले लिया जायेगा।

वैज्ञानिक रुचि के प्रचार के हेतु एक अन्य कार्यक्रम के अनुसार भारतीय भाषाओं में विज्ञान पर लोकप्रिय पुस्तकें तैयार की जा रही है। जैसा कि पिछले वर्ष कहा गया था 'वांडर वरल्ड आफ साइंस' का हिन्दी तामिल, बंगाली और मराठी में अनुवाद किया गया। अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद तैयार किया जा रहा है। कन्नड़ में विज्ञान का एक विश्वकोष तैयार करने में तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विज्ञान संबंधी मासिक पत्रों को निकालने में काफी सहायता प्रदान की गयी। आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास कार्य की ओर पुरजोर प्रयत्न किया जा रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ हुई चर्चाओं के दौरान उनसे एक पंच वर्षीय योजना कार्यक्रम बनाने को कहा जिससे कि तीसरी योजना के अंत तक सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध हो सकें। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक एक खंड वाला विश्वकोष तैयार किया जा रहा है जिससे कि भारतीय नागरिकों को विश्व तथा भारत की महत्वपूर्ण बातों के संबंध में पर्याप्त जानकारी मिल सके। यह विश्वकोष राज्य सरकारों के सहयोग से तमाम भारतीय भाषाओं में छापा जायेगा।

यह वर्ष पुरातत्व विभाग की शताब्दि का है। इस विभाग ने पिछले वर्षों में असाधारण कार्य किया है और इस व ' वह एशियाई पुरातत्व पर एक सम्मेलन करके अपनी शताब्दि मना रहा है। उसी अवसर पर एक एशियाई इतिहास कांग्रेस का आयोजन भी किया जा [illegible]। यह विभाग यूनेस्को के अधीन अन्य देशों के सम्पर्क से, अत्याधिक ऐतिहासिक महत्व के कुछ स्मारकों को बचाने के लिये मिश्र के नूबिया नामक स्थान पर खुदाई भी करेगा।

नाट्यशालाओं के विकास के कार्यक्रम के रूप में हम प्रत्येक राज्य की राजधानी में टैगोर नाट्यशाला का निर्माण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में खुली ग्रामीण नाट्शालाओं का निर्माण किया जायगा तथा देश की व्यवसायिक तथा अर्द्ध-व्यवसायिक नाटक मंडलियों को सहायता दी जायेगी।

पिछले वर्ष इस उद्देश्य से कि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की संस्कृति को समझ सकें तथा इस प्रकार भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता के दृष्टिकोण का विकास हो सके हमने सांस्कृतिक मंडलियों के अदल बदल का कार्यक्रम आरम्भ किया। यह कार्यक्रम अभी चल रहा है। इस के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों के साहित्यक आयोजनों को इस उद्देश्य से सहायता दी गयी कि विभिन्न भाषाओं के लेखकों में व्यक्तिगत सम्पर्क बढ़ सके और विभिन्न भाषाओं के संबध में जानकारी विस्तृत हो।

इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय संग्रहालयों का विकास किया जा रहा है। दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय एक नई इमारत में चला गया है। भारतीय संग्रहालयों पर लागू होने वाले पुराने अधिनियमों पर संशोधन किया जा चुका है। सालारजंग संग्रहालय अधिनियम राज्य सभा द्वारा पारित हो चुका है और अब इस सभा के सम्मुख है। राज्यों तथा अन्य संग्रहालयों को उपकरणों, प्रकाशनों, इमारतों तथा संग्रहणीय वस्तुओं की खरीद के लिए काफी उपदान दिया जा गया है श्री रगपट्नम् में टीपू सुल्तान संग्रहालय का उद्घाटन किया जा चुका है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार के सहयोग से एक शिवाजी संग्रहालय की स्थापना की जा रही है।

अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक अदल बदल का कार्य जारी है। विशाल भारतीय कला प्रदर्शनी जो कि जर्मनी और स्विट्जर लैंड में दिखाई गयी थी उसे फ्रांस, आस्ट्रिया और इटली में काफ़ी प्रसंशा प्राप्त हुई है। भारत ने मास्को की प्राच्य कांग्रेस में हिस्सा लिया और उसका अगला अधिवेशन भारत में होगा। विभिन्न देशों में भारतीय विद्या के अध्यापन के लिए सुविधायें दे दी गयी हैं, बम्बई कलकत्ता और दिल्ली में विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गृहों की स्थापना हो चुकी है।

विदेश अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम का अग्रतर विकास किया जा रहा है। इस समय विश्व के बीस देशों में लगभग ६०० भारतीय विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। हम विदेशों से आये हुए २०० विद्यार्थियों को सुविधायें प्रदान कर रहे हैं।

में अधिक विस्तार में न कह कर माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि विस्तृत वर्णन के लिये वे मंत्रालय का प्रतिवेदन देखें। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि विज्ञान और टैक्नोलोजी न केवल समृद्धि और प्रगति के प्रतीक हैं अपितु आधुनिक विश्व में इसके बिना कोई राष्ट्र जिन्दा नहीं रह सकता है। सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना आवश्यक है क्योंकि केवल इसी के द्वारा इस बात की प्रत्याभूति दी जा सकती है कि विज्ञान की प्रगति रचनात्मक और निर्माणात्मक कार्यों में लगगी तथा इससे मानवता का विनाश नहीं होगा। जनता के हितों के रक्षक के रूप में मुझे विश्वास है कि संसद् तीसरी योजना के लिए राशि प्रदान करेगी जिससे कि भारत के सभी नागरिकों को शांति प्रगति और लोककल्याण प्राप्त हो सके और विश्व के अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बने रहें।

†श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—केन्द्र) : संसद् सदैव से ही वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय को आवश्यक राशि देने को प्रस्तुत रही है, आवश्यकता केवल यह है कि इस राशि का सर्वोत्तम उपयोग किया जाय।

मेरे विचार से मंत्रालय के पुनर्गठन की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार को भी इसी मंत्रालय के अधीन ले लिया जाय।

इंडिया आफीस लायब्रेरी के संबंध में मंत्री जी ने चुप्पी साध ली है, अभी हाल ब्रिटिश सरकार के साथ हुई वार्ता से हम किसी निश्कर्ष पर पहुंचे हैं, तथापि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है।

पुरातत्व विभाग अपनी शताब्दि मना रहा है। इस विभाग के काम में सभा बहुत दिलचस्पी लेती है तथापि मुझे दुख है कि यह विभाग तथा मंत्री भी सदस्यों की नेक आलोचना के प्रति उदासीन रहे हैं और उस दिशा में कोई सुधार नहीं किया गया है।

नागार्जुनगकोंडा जो कि भारतीय पुरातत्व का एक खजाना है, उसके नष्ट हो जाने की संभावना है तथापि उसे बचाने के लिए जो व्यवस्था की गयी है वह पर्याप्त नहीं है। अरिकनमेडू तथा कावेरीपटनम् के संबंध में दक्षिण के निवासियों ने मांग की है कि वहां के स्थानीय निवासी वहां की खोज में सक्रीय दिलस्पी रखते हैं तथापि उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मेरा सुझाव है कि दकन कालेज, बड़ौदा कालेज और असुतोश संग्रहालय कलकत्ता को दिये जाने वाले उपदान में वृद्धि की जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

अब मैं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद् के कार्य को लेता हूं। मुझे यह जानकर दुख हुआ कि इस विभाग के सचिव एक शिष्टमंडल को लेकर विदेश गये। उस शिष्टमंडल में प्रो० कृष्णन जैसे वैज्ञानिक थे तथापि उसके नेता इस विभाग के सचिव थे जबकि इसका नेता प्रो० कृष्णन को होना चाहिये था। उक्त सचिव मई से नवम्बर १९६० तक विदेशों में विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेते रहे मेरे विचार से इस प्रकार की कार्य पद्धति उचित नहीं है।

मैंने विज्ञान मंदिर मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन पढ़ा है उससे ज्ञात हुआ कि विज्ञान मंदिरों को गांवों के उस परम्परागत ज्ञान को सांग्रहीत करना चाहिये जिसके नष्ट होने की संभावना है। तथा विज्ञान मंदिरों को स्थानीय वैज्ञानिक जानकारी के उपयोग का साधन बनना चाहिये। मेरी एक आम शिकायत यह है कि विज्ञान को देश की आवश्यकता को देखते हुए उपयोगी बनाने की ओर कम ध्यान दिया जा रहा है। उदाहरणस्वरूप मलमत्र को उठाने के लिए किसी सुधारे हुए साधन का अभी तक प्रयोग नहीं किया जा रहा है इसके लिए कोई वैकल्पक उपाय सुझाने चाहियें।

दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में चार आने से एक रुपये तक का टिकट लगता है वह बन्द हो जाना चाहिये और यह संग्रहालय आम जनता के लिए निशुल्क खोल दिया जाना चाहियें। संग्रहालय से संलग्न पुस्तकालय का विकास किया जाना चाहिये।

कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल को वर्ष में ३ लाख रुपये का अनुदान मिलता है जब कि भारतीय संग्रहालय कलकत्ता को केवल १७७६०० रुपये का ही अनुदान मिलता है, यह विषमता दूर की जानी चाहिये। एशियाटिक सोसाइटी को और अधिक अनुदान की आवश्यकता है वह उसे दिया जाना चाहिये, यह उपदान उसे वातानुकूलित संयंत्र लगाने के लिए चाहिये जिससे पांडुलिपियों के परिरक्षण में सहायता मिलेगी।

जिला गजेटियरों को तैयार करने का काम बहुत ढ़िलाई से हो रहा है। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की वित्तीय और नैतिक जिम्मेदारी है कि वह राज्य सरकारों से कहे कि इस कार्य में शीघ्रता की जाय।

अब में संगीत साहित्य तथा ललित कला अकादमी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। इस वर्ष साहित्य अकादमी का पुरस्कार सात भारतीय भाषाओं को इस कारण नहीं मिल सका कि उनमें अपेक्षित स्तर की कोई रचना प्रकाशित नहीं हुई। इस संबंध में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में कटु आलोचना प्रकाशित हुई है। उक्त संस्थाओं में एक प्रकार की नौकरशाही का विकास हो रहा है इसका यह फल है कि लेखक और कलाकार सरकार के कृपापात्र बन गये हैं और इस प्रकार एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसे किसी प्रकार भी कला के हित में वांछनीय नहीं कहा जा सकता है। ललित कला अकादमी के सबंध में मेरा सुझाव यह है कि उसे देश की विभिन्न कला प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करना चाहिये, तथापि वह एक इस प्रकार के अमूर्त प्रकार की चित्रकला को प्रोत्साहन दे रहा है जो कि हमारी चित्रकला के विकास के लिए घातक है।

जहां तक सांस्कृतिक संबंधों का प्रश्न है मेरे विचार से ऐसे समय जब कि हमारे पास धन की कमी है माननीय मंत्री जी का पेरिस जा कर इंडिया हाउस का उद्घाटन करना, जिसमें २५

लाख रुपये व्यय हुए हैं उचित नहीं कहा जा सकता है। जहां तक सांस्कृतिक राजदूतों के रूप में कलाकारों को भेजने का संबंध इस संबंध में निश्चित सिद्धांत होना चाहिये, तथा चुनाव करने के लिए कुछ निश्चित मापदंड भी स्थिर किया जाना चाहिये।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने भारत की एक सांस्कृतिक ग्रन्थसूचि का प्रकाशन किया है। यह ग्रन्थ निसंदेह उपादेय है तथापि उसमें कुछ भयंकर भूलें हैं, भारतीय संगीत तथा भारतीय कविता में कुछ ऐसे नाम नहीं दिये गये हैं जिनके बिना कोई भी ग्रन्थसूची परिपूर्ण नहीं हो सकती है।

मैं मंत्रालय से यह अनुरोध करता हूं कि ज़हूर बक्श, जो हिन्दी के एक अच्छे लेखक हैं, उनको सरकार की ओर से सहायता दी जाय क्योंकि जबलपुर के दंगों में उनका मकान जला दिया गया और उनकी सम्पत्ति में आग लगा दी गयी।

अब मैं स्वतंत्रता संग्राम इतिहास को लेता हूं। मुझे यह जानकर दुख हुआ कि उस पुस्तक में हमारी जनता की महत्त्वाकांक्षाओं तथा स्वतंत्रता संग्राम का सही चित्रण नहीं किया गया है। यद्यपि मंत्री महोदय ने अपनी भूमिका में लिखा है कि लेखक का दृष्टिकोण और उसकी कल्पना बहुत व्यापक है, तथापि लेखक जनता की भावनाओं और उसके संघर्ष को नहीं चित्रित कर सका है और वह विषय की व्यापकता में उलझ गया है।

उक्त पुस्तक के पहिले खंड में १८५७ की पहिली शताब्दि में स्वतंत्रता संग्राम के विषय में लिखा गया है। यह युग हमारे राष्ट्रीय संग्राम का महत्वपूर्ण अंश है। इससे हमें यह ज्ञात हो सकता है कि १८५८ के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि क्या है? हम उस आन्दोलन के सही स्वरूप को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं को न समझ लेवें। तथापि दुख की बात है कि इस पुस्तक में इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गयी है। इसमें सन्यासी विद्रोह, वाहबी और फराजी आन्दोलनों के संबंध में कुछ भी नहीं दिया है। इसमें दक्षिण में मालाबार और मैसूर में हुए विद्रोहों के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है वस्तुतः इसमें स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में कुछ है ही नहीं इसके स्थान पर रोमन साम्राज्य के पतन से उस समय तक यूरोप में क्या हुआ उस संबंध में बहुत कुछ लिखा हुआ है इतना ही नहीं इसमें विषय से संगत बातों के अतिरिक्त और बहुत कुछ कहा गया है। अतः मेरा सुझाव है कि इस पुस्तक का परिचालन रोक दिया जाय। मुझे दुःख है कि प्रधान मंत्री इस समय यहां नहीं हैं अन्यथा इस संबंध में उच्चतम स्तर पर विचार किया जाना चाहिये जिससे कि इस प्रकार की बातें भविष्य में न होने पावें।

†**श्री हेम बरुआ (गौहाटी)**: इस मंत्रालय के अधीन इतने व्यापक विषय रखे गये हैं कि वे एक दूसरे के विरोधी हैं, अतः मेरा सुझाव है कि इस मंत्रालय का विभाजन कर वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य के लिए दो पृथक मंत्रालय बना दिये जायें।

यह प्रसन्नता की बात है कि वैज्ञानिक अनुसंधान की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा तथापि सांस्कृतिक कार्यों की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। पर्वतारोहण को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है वह उचित है।

वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद् हमारे देश में अनुसंधान का कार्य कर रही है। वहां अधिकतर उद्योगों के उपयोग में आने वाले अनुसंधान का ही कार्य चल रहा है। तथापि

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री हेम बरुआ

उद्योगों को विज्ञान के कार्य से कोई मतलब नहीं है। इन दोनों के बीच समायोजन होना चाहिये। ब्रिटेन में उद्योग और विज्ञान के बीच अच्छा समन्वय है इसी से वहां उद्योगों की तरक्की हो रही है। तथापि यहां के उद्योग विज्ञान की तरक्की के प्रति उदासीन हैं।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

सरकार को चाहिये कि वह देश में इस प्रकार की चेतना पैदा करें कि लोग वैज्ञानिक अनुसंधान का उपयोग उद्योगों में करें।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अलावा प्रतिरक्षा-विज्ञान-संगठन, आणविक-शक्ति आयोग इत्यादि में भी अनुसंधान कार्य होता है। मेरा सुझाव है कि इन सभी प्रयोगशालाओं में होने वाले कार्यों का समन्वय किया जाय।

†श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : हमारे देश के जिन लोगों ने विदेशों में वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हें भारत में वापिस बुला कर उन के लिए स्थान और वातावरण तैयार करना चाहिये। ऐसे लोगों का न केवल सरकारी क्षेत्र में प्रत्युत गैर सरकारी क्षेत्र में भी स्वागत होना चाहिये। मेरा यह भी मत है कि इन वैज्ञानिक व्यक्तियों का चुनाव लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं प्रत्युत एक अलग बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिये, ताकि ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का सन्देह इत्यादि न रहे। क्योंकि मैं यह अनुभव करता हूं कि केवल सूखी देशभक्ति की भावना को अपील करके काम नहीं बन सकता। अतः ऐसे लोगों से काम लेने के लिये समुचित वातावरण पैदा करना ही होगा।

इंडिया आफिस लाइब्रेरी का काम काफी समय से खटाई में पड़ा है। ऐसा मालूम होता है कि हम लोगों ने इस मामले पर आवश्यक जोर नहीं दिया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान का कार्यक्रम प्रशंसनीय है। इस की ओर अधिक व समुचित ध्यान नहीं दिया गया। हमारे देश के लिये आज एकता सब से जरूरी चीज है और इस उद्देश्य के लिये भावनात्मक एकता की जरूरत है। वह तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से निर्माण की जा सकेगी। इस दिशा में यह बात बड़े खेद से कह रहा हूं कि हमारी तीनों अकादमियां कुछ नहीं कर रहीं। मेरा निवेदन है कि इन अकादमियों के कार्य की निश्चित अवधि के बाद समीक्षा की जानी चाहिये। इस के लिये लेखकों का भी सहयोग प्राप्त करना चाहिये।

विदेशों के साथ जो हम सांस्कृतिक करार करते हैं, यह अच्छी बात है, करने चाहियें। परन्तु इस बात को हमेशा याद रखना चाहिये कि इन करारों को राजनीतिक बातों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिये। विदेशों में भारतीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं उन के कार्यों की देखभाल का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये।

†श्री नरसिंहन् (कृष्णगिरि) : जो सफलताओं की सूची हमें बताई गई हैं, वे ठीक हैं और हम उस की सराहना करते हैं। परन्तु फिर हमें उन में और सुधार करना है और कार्य को आगे बढ़ाना है। इस मंत्रालय का विशेष रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान से सम्बन्ध है। यहां तक मुझे पता चला है तथ्य यह है कि जो भी अनुसंधान विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया गया है उस का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है। उद्योगों के सम्बन्ध में जो अनुसंधान आवश्यक हैं, उन्हें करने के लिये अनुसंधान संस्थाओं को स्पष्ट निदेश नहीं दिया गया है। यही कारण है कि उन के परिश्रम का समुचित रूप से प्रयोग नहीं हो

†मूल अंग्रेजी में

पाया। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस के लिये किसी न किसी स्तर पर निदेश दिया जाना चाहिये।

प्राविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि जो लोग भी तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर के डिप्लोमा अथवा उपाधि इत्यादि प्राप्त करें, उन्हें एक वर्ष तक कामकाज की व्यावहारिक शिक्षा देने के लिये सरकार को कोई योजना बनानी चाहिये। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारे यहां जितने वैज्ञानिक हैं, उसके अनुपात से ही हमें संस्थायें खोलनी चाहियें। यदि समुचित व्यक्तियों की व्यवस्था न हो सके तो इस प्रकार की संस्थायें नहीं खोली जानी चाहियें। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत जो संस्थायें हैं उन्हें मंत्रालय द्वारा आदेश दिये जायें कि इन संस्थाओं में अनुसंधान करने वाले विद्यार्थी जहां कहीं सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर सकते हों वहां उन्हें जाने दिया जाना चाहिये।

इस के अतिरिक्त पुरातत्व विभाग का भी बड़ा महत्व है, उसका भी कायापलट होना बड़ा आवश्यक है। यह विभाग एक बहुउद्देश्यीय विभाग बन कर रह गया है। दक्षिण भारत में कांजीवरम् और तंजौर के मन्दिरों में मूल्यवान चित्र हैं। इन स्थानों में कुछ नये चित्र मिले हैं जिन की रक्षा की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। इस विभाग द्वारा भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिये पर्याप्त कार्य नहीं किया जा रहा है।

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
७६	१	श्री बै० च० मलिक .	कुतुब मीनार पर दर्शकों को मुफ्त जल पिलाना	१०० रुपये
७६	२	श्री बै० च० मलिक .	कुतुब मीनार के बाग की समुचित व्यवस्था करना	१०० रुपये
७६	१९५	श्री मो० ब० ठाकुर .	इंडिया आफिस लायब्रेरी को वापिस लेने में असफलता	१०० रुपये
७६	१९६	श्री मो० ब० ठाकुर .	बड़ौदा संग्रहालय को ठीक रखने की आवश्यकता	१०० रुपये
७६	१९७	श्री मो० ब० ठाकुर .	पूर्व और पश्चिम में प्राचीन हिन्दू सभ्यता के प्रसार का अनुसंधान करने वाले विद्वानों को सुविधायें देने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७६	१९८	श्री मो० ब० ठाकुर	गुजरात राज्य के लिये अलग से पुरातत्व सर्कल की स्थापना करने में असफलता	१०० रुपये
७६	१९९	श्री मो० ब० ठाकुर	मुधारा के सूर्य मन्दिर के आस पास तार लगवाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७६	२००	श्री मो० ब० ठाकुर	गुजरात राज्य के रक्षित स्मारकों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७६	४६१	श्री मो० ब० ठाकुर	रायल एशियाटिक सोसाइटी के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
७६	५७८	श्री मो० ब० ठाकुर	सभी भारतीय और आदिवासी भाषाओं के लिये विश्वविद्यालय की आवश्यकता	१०० रुपये
७६	६६५	श्री मो० ब० ठाकुर	क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में सहायता की आवश्यकता	१०० रुपये
७६	७२२	श्री मो० ब० ठाकुर	वैज्ञानिक विषयों पर अनुसंधान के लिये धन की आवश्यकता	१०० रुपये
७६	७२३	श्री मो० ब० ठाकुर	विज्ञान का अनुसंधान करने वालों के भत्तों को बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७६	७२४	श्री मो० ब० ठाकुर	गैर सरकारी उद्योगों पर दबाव डालने की आवश्यकता कि वह विज्ञान के विद्यार्थियों को क्रियात्मक प्रशिक्षण दें	१०० रुपये
७६	७२५	श्री मो० ब० ठाकुर	विज्ञान भवनों, वैज्ञानिक संस्थाओं तथा विज्ञान कालिज के कार्यों का समुचित समन्वय	१०० रुपये
७६	७५९	श्री मो० ब० ठाकुर	प्रत्येक उद्योग के लिये एक अनुसंधान केन्द्र की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७६	७६०	श्री मो० ब० ठाकुर	अनुसंधान केन्द्रों के गवेषणा परिणामों के प्रचार की आवश्यकता	१०० रुपये
७६	८६५	श्री मो० ब० ठाकुर .	भारतीय संग्रहालय के पुस्तकालय के विस्तार की आवश्यकता	१०० रुपये
७६	८६६	श्री मो० ब० ठाकुर .	श्री रंगपट्टनम् में संग्रहालय की आवश्यकता	१०० रुपये
७६	८६७	श्री मो० ब० ठाकुर .	इंडिया आफिस लायब्रेरी का लाभ उठाने में असफलता	१०० रुपये
७६	८६८	श्री मो० ब० ठाकुर .	संगीत नाटक अकादमी के लिये समुचित वित्तीय व्यवस्था करने में असफलता	१०० रुपये
७७	४	श्री मो० ब० ठाकुर .	भुवनेश्वर के राजारानी मन्दिर में पुरातत्व उद्यान की आवश्यकता	१०० रुपये
७७	५	श्री मो० ब० ठाकुर .	उड़ीसा के रत्नागिरि के बाकी भाग की खुदाई की आवश्यकता	१०० रुपये
७७	२८५	श्री मो० बो० ठाकुर .	मुधारा (चांस्मा तालुक)—गुजरात राज्य की संरक्षित यादगारों की मरम्मत की आवश्यकता	१०० रुपये
७७	६६६	श्री लै० अचौ सिंह .	मनीपुर तथा गोबिन्दा जी के पुराने मन्दिर के संरक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
७७	६६७	श्री लै० अचौ सिंह	मनीपुर के मंदिरों की पुरानी यादगारों के रूप में रक्षित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७७	७२६	श्री लै० अचौ सिंह	पुरातत्वीय क्षेत्रों के देखभाल की आवश्यकता	१०० रुपये
७७	७२७	श्री लै० अचौ सिंह .	पुरातत्वीय महत्व के स्थानों के प्रचार की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७७	७२८	श्री लै० अचौ सिंह	. पुरातत्वीय छानबीन के लिए और धन की आवश्यकता	१०० रुपये
७७	८६९	श्री लै० अचौ सिंह	. पांडीचरी के आस पास खुदाई जारी रखने की आवश्यकता	१०० रुपये
७७	८७०	श्री लै० अचौ सिंह	. मद्रास राज्य के केनरी, पूमपत्रम और तंजोर जिलों में खुदाई आरम्भ करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	६५१	श्री लै० अचौ सिंह	. नक्शों के प्रकाशन में विलम्ब .	१०० रुपये
७८	६५२	श्री लै० अचौ सिंह	. काम में ह्रास . .	१०० रुपये
७८	७२९	श्री अरविन्द घोषाल	. अनधिकृत नक्शों के प्रकाशन को रोकने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७९	६५३	श्री लै० अचौ सिंह	. विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए फलों के वृक्षों का निर्यात करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७९	६५४	श्री लै० अचौ सिंह	. मनीपुर में एक वानस्पतिक बाग लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७९	७३०	श्री अरविंद घोषाल	. जड़ी बूटियों के अनुसंधान के लिए अनुसंधान संस्था बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७९	७३१	श्री अरविंद घोषाल	. फूल उगाने के बारे में अनुसंधान की आवश्यकता	१०० रुपये
८०	६६८	श्री लै० अचौ सिंह	. मनीपुर पहाड़ियों के पौधों का सवक्षण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८०	६६९	श्री लै० अचौ सिंह	. मनीपुर के कैबुल शरणस्थान में संगाई जाति के हिरणों के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
८०	७३२	श्री अरविन्द घोषाल	. पशुओं की अनुपलब्ध जातियों का संरक्षण करने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८०	७३३	श्री अरविन्द घोषाल	. कलकत्ता के चिड़ियाघर में भ्रष्टाचार रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	६	श्री बैं० च० मलिक	. उड़ीसा के रत्नगिरि संग्रहालय के निर्माण में विलम्ब	१०० रुपये
८१	७	श्री बैं० च० मलिक	. ओड़ीसी नृत्य की पुस्तकों को अंग्रेजी में प्रकशित करने में विलम्ब	१०० रुपये
८१	८	श्री बैं० च० मलिक	. प्रत्येक सब डिवीजनल हैडक्वार्टर में पोलिटैक्नीक स्कूल बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	९	श्री बैं० च० मलिक	. सालारजंग संग्रहालय में प्रवेश शुल्क को पच्चीस नये पैसे करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	१०	श्री बैं० च० मलिक	. बाढ़ वाले क्षेत्रों के सभी एन० ई० ब्लाकों में एक विज्ञान मंदिर बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	६५५	श्री लै० अचौ सिंह	. राष्ट्रीय अनुसंधानशाला की नई खोजों को वाणिज्यिक रूप में लागू करने में विलम्ब	१०० रुपये
८१	६५६	श्री लै० अचौ सिंह	. विदेशों में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों को सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित करने में असफलता	१०० रुपये
८१	६५७	श्री लै० अचौ सिंह	. इम्फाल में नरतत्वीय सर्वेक्षण करने के लिए एक एकक बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	६५८	श्री लै० अचौ सिंह	. मनीपुर में पहाड़ी लोगों का नरतत्वीय सर्वेक्षण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	६५९	श्री लै० अचौ सिंह	. इम्फाल में एक बाल संग्रहालय बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	६६०	श्री लै० अचौ सिंह	. इम्फाल में एक पोलिटैक्निक बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कतौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
८१	६६१	श्री लै० अचौ सिंह	. मनीपुर नृत्य कालिज तथा होस्टल बनाने में विलम्ब	१०० रुपये
८१	६६२	श्री लै० अचौ सिंह	. मनीपुर नृत्य कालिज का कार्यवहन	१०० रुपये
८१	६६३	श्री लै० अचौ सिंह	. इण्डियन स्कूल आफ माइन्स एण्ड अप्लाइड ज्योलोजी को ऊंचा बनाना	१०० रुपये
८१	६६४	श्री लै० अचौ सिंह	. राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का कार्यवहन	१०० रुपये
८१	६७०	श्री लै० अचौ सिंह	. मनीपुर के देहाती क्षेत्रों में सांस्कृतिक केन्द्र खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	६७१	श्री लै० अचौ सिंह	. संघ क्षेत्रों के देहाती क्षेत्रों में सांस्कृतिक केन्द्रों का कार्यवहन	१०० रुपये
८१	६७२	श्री लै० अचौ सिंह	. मनीपुर में विज्ञान मन्दिर बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	६७३	श्री लै० अचौ सिंह	. मनीपुर में विज्ञान की सरल पुस्तकों का प्रकाशन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	६७४	श्री लै० अचौ सिंह	. मनीपुर का आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में विकास करने की आवश्यकता	१०० रुपयें
८१	६७५	श्री लै० अचौ सिंह	. मनीपुर साहित्य के साहित्यिकों को अनुदान देने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	६७६	श्री लै० अचौ सिंह	. मनीपुर की पुरानी लिपि के प्रकाशन की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	६७७	श्री लै० अचौ सिंह	. स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में मनीपुर की १८९२ की स्वतंत्रता की लड़ाई शामिल करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	६७८	श्री लै० अचौ सिंह	. मनीपुर में मईतेई के उद्भव के बारे में नरतत्वीय अनुसंधान की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८१	६७९	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर के विभिन्न समुदायों का भाषा संबंधी सर्वेक्षण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	६८०	श्री अरविन्द घोषाल	धनबाद के इण्डियन स्कूल आफ माइन्स एण्ड अप्लाइड ज्योलाजी में खान इंजीनियरिंग का छोटा सा पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	६८१	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता संग्रहालय में गैलरी लैक्चरों को बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	६८२	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता संग्रहालय के लिए प्रशिक्षित मार्गदर्शकों की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	६८३	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता संग्रहालय की वस्तुओं का अच्छा संरक्षण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	६८४	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता में एक आधुनिक कला की गैलरी बनान की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	६८५	श्री अरविन्द घोषाल	उच्च-अध्ययन के लिए सरकारी छात्रवृत्ति देने में भेदभाव	१०० रुपये
८१	६८६	श्री अरविन्द घोषाल	टैगोर शताब्दि समारोह का एक समन्वित कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	६८७	श्री अरविन्द घोषाल	इनाम देन के लिए साहित्य-अकादमी द्वारा बंगाली पुस्तकों का चुनाव	१०० रुपये
८१	६८८	श्री अरविन्द घोषाल	साहित्य अकादमी का प्रशासन	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८१	८२५	श्री अरविन्द घोषाल	खड़गपुर टैक्नालाजिकल कालिज में चिकित्सा प्रशासन सुधारने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	८२६	श्री अरविन्द घोषाल	खड़गपुर टैक्नालाजिकल कालिज के लिए पीन के पानी की योजना की क्रिया-न्विति की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	८७१	श्री त० ब० विट्ठलराव	अखिल भारतीय टैक्निकल शिक्षा परिषद की सिफा-रिशों के अनुसार डिग्री कालिजों तथा डिप्लोमा संस्थाओं को अध्यापकों को वेतन देने का प्रश्न	१०० रुपये
८१	८७२	श्री त० ब० विट्ठलराव	खान संस्थाओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	८७३	श्री त० ब० विट्ठलराव	आंध्र प्रदेश के कोठागुडियम में खान संस्था के कर्म-चारियों के लिए क्वार्टर बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	८७४	श्री त० ब० विट्ठलराव	खान संस्था, कोठागुडियम के विद्यार्थियों के लिए होस्टल बनाने में विलम्ब	१०० रुपये
८१	८७५	श्री त० ब० विट्ठलराव	पालिटैक्निक संस्थाओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८२	८२७	श्री अरविंद घोषाल	स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास को पूरा करने में शीघ्रता की आवश्यकता	१०० रुपये
८२	८२८	श्री अरविंद घोषाल	स्वतंत्रता आन्दोलन में हिंसा तथा अहिंसा सभी प्रकार के आन्दोलनों को शामिल करने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की संख्या
८२	८२९	श्री अरविंद घोषाल	स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास को सभी प्रादेशिक भाषाओं में अनूदित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८२	८३०	श्री अरविंद घोषाल	पुराने चित्रों के संरक्षण के लिए विक्टोरिया मैमोरियल हाल को राष्ट्रीय कला-भवन में परिवर्तित करने की आवश्यकता	१०० रुपये

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर) : सभापति महोदय, आरम्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं इस बात का पूर्णत: विरोधी हूं कि इण्डिया आफिस लाइब्रेरी का विभाजन किया जाये। यदि इसका विभाजन करने का विचार है तो अच्छा यह होगा कि इसको उसी रूप में लन्दन में ही रहने दिया जाये। क्योंकि इसका विभाजन होने पर जो पुस्तकें पाकिस्तान चली जायेंगी उनका अध्ययन करने के लिए किसी को भी अवसर नहीं मिलेगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरा माननीय मंत्री से यही अनुरोध है कि विभाजन का निर्णय किया जाये तो वह कृपा करके ऐसा प्रबन्ध करें कि जिससे मूल पुस्तकें भारत आ जायें और उनकी 'माइक्रोफिल्म' प्रतियां पाकिस्थान को दे दी जायें। अन्यथा उसको लन्दन में ही रहने दिया जाये जिससे अनुसन्धान कार्य करने वाला व्यक्ति यदि अनुसन्धान करना चाहेतो किसी प्रकार धन एकत्र करके लन्दन जाये और वहां पर सभी पुस्तकें पढ़ सकें। यदि इसका विभाजन किया गया तो निश्चित है कि पाकिस्तान में इन पुस्तकों का वह भाग, जो कि रुचि के अनुसार नहीं होगा, नष्ट कर दिया जायेगा। क्योंकि पाकिस्तान को अरुचिकर पुस्तकों के आधार पर ही 'जदुनाथ सरकार' ने खोज की थी और पाकिस्तानी इसी कारण उनको 'हीनमति' जदुनाथ सरकार कहते हैं।

श्री हेम बरुआ ने कहा कि सांस्कृतिक-कार्य और वैज्ञानिक अनुसंधान इन दोनों के अलग अलग मंत्रालय बना देने चाहिएं। मेरा अपना विचार है कि हमारे वर्तमान मंत्री इतने योग्य हैं कि इन दोनों मंत्रालयों का भार वहन कर सकें। इसलिए इनके लिए अलग अलग मंत्रालय बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री कुन्दन राजा, मद्रास के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर ने सरकारी संस्कृत कालिज में भाषण देते हुए बताया था कि दिल्ली के एक विद्वान की तीन किताबों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री श्री राजा से उन किताबों को पूछें और विचार करके उनके प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगायें।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च० का० भट्टाचार्य]

पुरातत्वीय खोजों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मैंने राजा शशांक की राजधानी के स्थान मुर्शिदाबाद जिले के रंगामति की खुदाई का सुझाव दिया था। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाया जाना चाहिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने सुझाव दिया कि आशुतोष संग्रहालय को बंगाल के पूर्वी भाग में खुदाई के लिए सहायता दी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस संस्था को उड़ीसा में भी खुदाई करनी चाहिए। मैं यह सुझाव डा० महताब उत्कल विश्वविद्यालय के दो उप-कुलपतियों को दे चुका हूं परन्तु खेद है कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं बताना चाहता हूं कि उड़ीसा के अधिकांश मन्दिरों की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि इन के बारे में खोज की जाये। खोज करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए; जिससे इसका पता लगाया जा सके कि कोणार्क मन्दिर किस प्रकार बनाया गया था। जगन्नाथ के मन्दिर में पत्थर की छतरी को किस प्रकार ऊपर उठाया गया था।

मेरा एक सुझाव और है। जमींदारी खत्म होने के साथ साथ जमीदार भी खत्म होते जा रहे हैं। परन्तु इन जमीदारों के बड़े बड़े महल हैं जो कलाकृतियां हैं उनके संरक्षण का सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। मेरा तो माननीय मंत्री से यहां तक कहना है कि सुदूर पूर्व के देशों में भी भारतीय संस्कृति की खोज कराने के लिए लोगों को भेजें। कम्बोडिया आदि देशों में बड़े बड़े मन्दिर हैं। उनके बारे में खोज की जानी चाहिए।

भारतीय वैज्ञानिकों को अपने देश में बुलाने के बारे में बहुत सी बात कही जाती हैं। परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार हमारे जो वैज्ञानिक भारत में आ जाते हैं वह यहां पर बेकार मारे मारे फिरते हैं। कई मेरे पास आए और मैंने माननीय मंत्री को उन्हें बताया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसका ध्यान रखेंगे।

डा० पट्टाभि सितारामैया ने स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास लिखा परन्तु मुझे खेद है कि उन्होंने गांधी जी के काल से ही उसको लिखा और पहले की समस्त घटनाएं छोड़ दीं। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इसका ध्यान रखें कि जब इस प्रकार के इतिहास लिखे जाय तो मेरी इस बात का ध्यान रखा जाये और गांधी जी के आने से पहले का भी इतिहास विस्तार से लिखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कल उत्तर देंगे।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, २२ मार्च, १९६१/१ चैत्र, १८८३ (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मंगलवार, २१ मार्च, १९६१
३० फाल्गुन, १८८२ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२९८३—३०१०
तारांकित प्रश्न संख्या		
९८८	निर्यात गृह	२९८३—८५
९८९	भारी विद्युत् संयंत्र	२९८५—८८
९९०	योजना आयोग का पुनर्गठन	२९८८—९०
९९१	तिब्बत में भारतीय व्यापारी	२९९१—९३
९९२	कोचीन पत्तन पर गोदी श्रमिक योजना	२९९३–९४
९९३	'इन्सटेन्ट चाय	२९९४–९५
९९४	सिन्दरी उर्वरक	२९९५—३०००
९९५	तिब्बत में काश्मीरी मुसलमान	३०००
१००६	तिब्बत में भारतीय	३०००–०२
९९६	शुद्ध मापक उपकरण तैयार करने वाला कारखाना	३००२–०३
९९९	दक्षिण अफ्रीका में भारतीय	३००३–०४
१०००	सरकारी क्षेत्र में इस्पात "रोलिंग मिल"	३००४–०५
१००१	एशियाई देशों को लौह—अयस्क का निर्यात	३००५
१००२	निर्यात प्रोत्साहन	३००५–०६
१००३	बेरोजगारी सहायता निधि	३००६–०७
१००५	स्थायी श्रम समिति	३००७—०९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
८	आवाज की गति से तेज चलने वाले विमानों का निर्माण	३००९–१०

49(Ai)LSD—9

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३०१०—४५
तारांकित प्रश्न संख्या		
९९७	सिक्किम के महाराजा की भारत यात्रा	३०१०
९९८	लोयाबाद कोयला खान . .	३०११
१००४	नाहन फाउण्ड्री (ढलाई कारखाना) .	३०११–१२
१००६	प्रोफेसर हाल्डेन का त्याग पत्र .	३०१२
१००७	लाम्रोस . .	३०१२
१००८	केन्द्रीय महिला प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्था	३०१३
१०१०	राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	३०१३
१०११	मद्रास शहर के लिए जल सम्भरण योजनाएं .	३०१४
१०१२	सन्तराजाची का सरकारी मुद्रणालय .	३०१४
१०१३	इटली को लौह और मैंगनीज अयस्क का निर्यात	३०१५
१०१४	हज यात्री	३०१५
१०१५	कोयला खान कर्मचारियों को स्थायी बनाने की योजना	३०१५–१६
१०१६	चाय, काफी और रबड़ बागान के लिये मजूरी बोर्ड	३०१६
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१९९२	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ऊनी खादी की वर्दियां	३०१६
१९९३	कल्याणी सरकारी खिलौना समिति . . .	३०१६–१७
१९९४	रबड़ बोर्ड द्वारा उपकर की वसूली . .	३०१७
१९९५	चीन द्वारा सन की बोरियों तथा टाट की खरीद	३०१७
१९९६	महाराष्ट्र में विद्युत् करघे . . .	३०१७
१९९७	सफेद कागज . . .	३०१८
१९९८	जूतों का निर्यात . .	३०१८
१९९९	राल के कारखाने	३०१९
२०००	जनता द्वारा व्यवसाय परिवर्तन . .	३०१९–२०
२००१	होटल जनपथ, नई दिल्ली . .	३०२०
२००२	जम्मू और काश्मीर में मध्यम आय वर्ग आवास योजना	३०२०
२००३	जम्मू और काश्मीर में अनबिका हथकरघे का कपड़ा	३०२०
२००४	दिल्ली में मत्स्य पालन उद्योग का सम्मेलन	३०२१
२००५	कर्मचारियों द्वारा कारों का आयात .	३०२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः) विषय पृष्ठ

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२००६	मोटर और जीप के विदेशी पुर्जे	३०२२
२००७	कपड़े का मूल्य .	३०२२
२००८	उद्योगों के लिये विदेशी सहयोग	३०२२–२३
२००९	कम्पनियों का पंजीयन	३०२३
२०१०	नागा विद्रोहियों द्वारा आक्रमण .	३०२३–२४
२०११	पंजाब में आवास योजनाएं	३०२४
२०१२	पंजाब में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	३०२४
२०१३	पंजाब में रेशम के कीड़े पालने का उद्योग .	३०२४–२५
२०१४	स्टोर क्लर्क और अन्य तृतीय श्रेणी अनुसचिवीय कर्मचारी .	३०२५
२०१५	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरण .	३०२५–२६
२०१६	विदेशी फिल्मों का आयात . . .	३०२६–२७
२०१७	बीड़ी और बीड़ी के तम्बाकू का निर्यात	३०२७
२०१८	उत्तर प्रदेश में खादी और ग्राम उद्योग	३०२७–२८
२०१९	फैक्टरियां	३०२८–२९
२०२०	दिल्ली में गन्दी बस्तियों से निकाले गये लोगों के लिये मकान .	३०२९
२०२१	डाक बंगले और सर्किट हाउस	३०३०
२०२२	मध्य प्रदेश में नयी कागज मिल	३०३०
२०२३	जिला कोरापुट में विस्थापित व्यक्ति	३०३०
२०२४	उत्तर प्रदेश में खादी और अम्बर खादी का उत्पादन	३०३१
२०२५	खाल और चमड़े का निर्यात .	३०३१–३२
२०२६	राज्यों द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय पत्रिकाएं .	३०३२–३३
२०२७	काजू का निर्यात	३०३३
२०२८	तम्बाकू का निर्यात	३०३३
२०२९	औद्योगिक मशीनों का आयात .	३०३३–३४
२०३०	सामरिक महत्व की वस्तुओं का तिब्बत को निर्यात .	३०३४–३५
२०३१	नयी दिल्ली में गगन चुम्बी इमारतें	३०३५
२०३२	मनीपुर में छोटे पैमाने के उद्योग	३०३५–३६
२०३३	होटल जनपथ, नयी दिल्ली	३०३६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०३४	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के मामले	३०३६
२०३५	निष्क्राम्य सम्पत्ति	३०३६–३७
२०३६	मिलों का आर्थिक वैज्ञानिकन	३०३७
२०३७	दण्डकारण्य परियोजना के लिये ट्रैक्टर	३०३७–३८
२०३८	जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानियों के सीमावर्ती आक्रमण	३०३८
२०३९	नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों का निर्माण	३०३९
२०४०	मनीपुर लोक-निर्माण विभाग	३०३९
२०४१	मनीपुर लोक-निर्माण विभाग	३०३९
२०४४	सतीगुडा बांध परियोजना	३०४०
२०४५	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स बंगलौर के सहायक कारखाने	३०४०
२०४६	आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां	३०४१
२०४७	सीमेन्ट पर लाभ	३०४१
२०४८	उड़ीसा में नारयिल जटा उद्योग के लिये प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र	३०४१–४२
२०४९	नागालैण्ड-मनीपुर सीमा पर नागा विद्रोही	३०४२
२०५०	राज्य व्यापार निगम के लिये आयात लाइसेंस	३०४२
२०५१	कृषि सम्बन्धी फिल्में	३०४३
२०५२	अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड	३०४३
२०५३	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ड्राफ्ट्समैन	३०४३–४४
२०५४	सिक्किम में मु णालय	३०४४
२०५५	निर्यात संवर्द्धन	३०४४–४५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३०४५

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने बिहार और उड़ीसा में सीमेण्ट की कमी की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री का ध्यान दिलाया। उद्योग मन्त्री ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य टेबल पर रखा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३०४५–४६

(१) १ जनवरी से ३१ दिसम्बर, १९६० तक की अवधि के लिए प्रशासनिक सतर्कता विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(२) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६४१की उप-धारा (३) के अन्तर्गत समवाय अधिनियम १९५६ की

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

अनुसूची ५ में कुछ और परिवर्तन करने वाली दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या २२१ ।

(दो) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ४ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २५८ में प्रकाशित समवाय (केन्द्रीय सरकार को अपीलें) (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(तीन) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४२५ में प्रकाशित अलौह धातु नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(३) शिमलाबहल कोयला खान में २७ फरवरी, १९६१ को और बद्रूचक कोयला-खान में ५ मार्च, १९६१ को हुई दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य ।

राज्य सभा से सन्देश ३०४६

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा को निम्नलिखित बिलों के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

(१) रेलवे यात्री भाड़ा (निरसन) विधेयक, १९६१, जो १५ मार्च, १९६१ को लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था ;

(२) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१ जो १७ मार्च, १९६१ को लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था ।

(दो) कि राज्य सभा ने १८ मार्च, १९६१ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा १४ दिसम्बर, १९६० को पास किये गये औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, १९६१ को संशोधनों सहित पास कर दिया है और बिल को इस प्रार्थना के साथ लौटा दिया है कि संशोधनों पर लोक-सभा की सहमति की सूचना राज्य सभा को भेज दी जा ।

ाज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में विधेयक सभा पटल पर रखा गया ३०४६

सचिव ने औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, १९६१ को, जो राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटा दिया गया है सभा पटल पर रखा ।

विषय पृष्ठ

अनुदानों की मांगें . . . . . . ३०४७—३११०

स्वास्थ्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई।

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

बुधवार, २२ मार्च, १९६१/१ चैत्र, १८८३ (शक) के लिए कार्यावलि

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा।

GIPND—LS III—49 (Ai) LS—5-5-61—125